

All rights, including those of reproduction, abridgment  
keys and notes, are reserved )

लेखक द्वारा प्रकाशित  
तथा  
युनाइटेड प्रेस लि०, पटना में  
गुद्रिन

[ नवाँयिका सुरक्षित है ]

# विषय-सूची

पृष्ठ  
(क)

## समाज-तंत्र

मनुष्य और समाज	...	...	१
समाज क्या है ?	...	...	४
समाज का विकास	...	...	७
सामाजिक संस्थाएँ	...	...	१०
परिवार	...	...	११
विराद्धी	...	...	१३
जाति	...	...	१४
धार्मिक-संघ	...	...	१४
सांख्यिक-संघ	...	...	१५
भौगोलिक संस्थाएँ	...	...	१६
विश्व-समाज	...	...	१८
समाज का आधार	...	...	२२
ज्यक्ति	...	...	२५
ज्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य	...	...	२९
ज्यक्तिगत शील	...	...	४६
ज्यक्ति के अपने प्रति कर्तव्य	...	...	५०
(क) वलिष्ठ और स्वस्थ शरीर	...	...	५०
(ख) वलिष्ठ और स्वस्थ मन	...	...	स्था २
			३ कर्तव्य

## राज्य-तंत्र

१०—मनुष्य और राज्य			
११—राज्य का लक्षण			...
१२—राज्य के कर्तव्य ।			..
१३—राज्य की प्रणालियाँ	...		..
१४—राज्य के अङ्ग या प्रभु-सत्ता का विभाजन			
व्यवस्थापन अधिकरण	..	.	..
अनुशासन अधिकरण		...	५१
न्याय अधिकरण	.	.	८४
तीनों अधिकरणों का समन्वय	..	..	८६
जनन्त्र और जनता ।	.	.	८८
२१—भारतीय शासन-विधान का विस्तार			८९
आदि काल	...		८९
पूर्व मध्य-काल	.	...	९१
इतर मध्य-काल	.	..	९३
वर्तमान काल	..	...	१०५
† गवर्नरेंट आह इंडिया एस्ट, १८३७		...	११२
२६—नवे विधान के पश्चात्—	...	...	११६
२७—भारतीय शासन की स्थिरता ,	.	...	११८
२८—भारतीय स्वराज्य	.	...	१३१
२९—परिविहार (क) वैज्ञानिक आविष्कार	...		१३३
३०—परिविहार (ग) साकारण परिवर्तन .	.		१५६

# भूमिका

नागरिक-विज्ञान एक नया विषय है। इसका सूत्रपात इसी युग में हुआ है। अमरीका तथा इंग्लिस्तान जैसे सभ्य राष्ट्रों में भी इसे अभी 'नया' ही मानते हैं। भारतवर्ष में तो यह वस्तुतः ही नया है। तिसपर हमारे हिन्दी-पाठकों के लिये तो यह सर्वथा नया है। अतः इसकी रूपन्रेखा को भली प्रकार समझ लेना चाहिये।

साधारण अर्थों में नगर शहर को कहते हैं, और नगर में रहने वाले व्यक्ति का नाम है नागरिक। पर व्यापक अर्थ में नगर से अभिप्राय 'निवासस्थान' से है। इस अर्थ में एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति को भी नागरिक कह सकते हैं, कारण किं उसका ग्राम ही उसका निवासस्थान है और उसके लिये वही उसका नगर है। ग्राम और नगर किसी न किसी प्रांत, देश या राष्ट्र में होते हैं। अतः प्रत्येक नागरिक का अपना प्रांत, देश या राष्ट्र भी उसका निवासस्थान है। और अधिक विस्तृत अर्थ में प्रत्येक मनुष्य इस संसार में रहता है। अतः यह संसार भी उसका निवास स्थान है। इस आधार पर संसार भर के प्रत्येक मनुष्य को—चाहे वह किसी ग्राम से रहता हो, चाहे नगर में, चाहे किसी प्रांत में रहता हो, चाहे राष्ट्र में—नागरिक कह सकते हैं।

एक ग्राम, नगर एवं राष्ट्र तथा संसार के निवासी के रूप में मनुष्य के अनेकविधि अधिकारों और कर्तव्यों के अध्ययन को 'नागरिक-विज्ञान' कहते हैं। एक नगर-निवासी के नाते मनुष्य की क्या २ ज़िम्मेवारियाँ हैं, उसके अपने ग्राम या शहर के प्रति क्या २ कर्तव्य

हैं, घपने राष्ट्र के प्रति क्या २ कर्तव्य हैं और संसार-भर के प्रति क्या २ कर्तव्य हैं, इन सब बातों का परिज्ञान नागरिक-विज्ञान का विषय है। श्री हाइट महोदय ने नागरिक विज्ञान का लक्षण यों किया है—“नागरिक-विज्ञान मानवीय परिज्ञान की उस उपयोगी शाखा का नाम है जो एहु नागरिक की प्रत्येक प्रकार की—भूत भविष्यत् तथा वर्तमान एव स्थानीय, राष्ट्रीय तथा विश्वजनीन—समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी कराती है”।

एक शब्द में प्रत्येक सभ्य व्यक्ति को ‘मनुष्य-समाज के सदस्य’ के स्वप में जो कुछ ज्ञातव्य तथा कर्तव्य है, उसका प्रतिपादन करना नागरिक विज्ञान का काम है। कारण कि आम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र तथा विश्व मनुष्य-समाज की ही भिन्न २ इकाइयाँ हैं—मनुष्य-समाज के ही भिन्न २ स्वप हैं। अतः इन सब के सम्बन्ध में, इनकी समस्याओं, प्रबन्ध तथा शामन के सम्बन्ध में जो कुछ जानना आवश्यित है, उसी का प्रतिपादन नागरिक विज्ञान करता है।

आज के समार में वडे प्रदल वेग में परिवर्तन आ रहे हैं। आज की दुनिया अब पुरानी दुनिया नहीं रही। प्राचीन आचार-विचार, पुरानी भावनाएं तथा धारणाएँ, एवं प्राचीन ज्ञान-विज्ञान वडे वेग में बदल रहे हैं। पुराने लोगों का यह विश्वास था कि ‘राज्य किसी एक व्यक्ति की वयोर्नी या जड़ी जायदाद है। अप्पा स्वर्ग में ही उम व्यक्ति को हमारे पर शामन करने के लिये हमारा राजा बना कर भेज देता है। उमर्ही आज्ञा का मूल्यन् पालन करना हमारा धर्म है’। पर आज का संतान इस बात को नहीं मानता। आज हम व्रद्धा की मदायता के बिना स्वद छिरी योग्य व्यक्ति को अपना गजा बनाना चाहते हैं, जो परे, हमारे लिये, हमारी इच्छा के अनुसार,

हमारा शासन-प्रबन्ध करे । अपनी, अपने नगर की और अपने एवं अपने संसार को समस्याओं को हम स्वयं सुलझाना चाहते आज लोगों को राजा की 'ईश्वरीयसच्चा' पर विश्वास नहीं आज जन-तंत्र का युग है । आज राजा को सत्ता ब्रह्मा से नहीं, जनता से मिलती है ।

इस जन-तंत्र को कार्य रूप में परिणत करने के लिये यह : १० को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार दिये जा रहे हैं । स्थानीय ..म । के प्रबन्ध की जिम्मेवारी उन पर ढाली जा रही है । स्थानीय राष्ट्रीय समस्याओं को समझना तथा उनके लिये उपयोगी विधान बनाना आदि सब कुछ अब जनता के हाथ में आ रहा है । इन सब बातों सफलता के लिये यह आवश्यक है कि जन-साधारण में अपने अ.व कारो तथा कर्तव्यों के पालन की समुचित ज्ञानता हो । जब जनता ने ब्रह्मा का काम अपने जिम्मे लिया है तो उसे ब्रह्मा के समान ही चतुर होना पड़ेगा ।

दूसरे, आज के विधान प्रत्येक व्यक्ति से सम्बन्ध रखते हैं । एक भारीण से लेकर प्रतिष्ठित नागरिक तक सब को राज्य के संपर्क में आना पड़ता है । अतः यह अनुभव किया गया है कि शासन के सञ्चालन में भाग लेने के योग्य होने के लिये जन-साधारण को इस विषय की जानकारी होनी चाहिये । जब एक व्यक्ति को घोट देने का अधिकार दिया गया है, तो घोट के सद्-उपयोग की दुष्कृति भी उसमें होनी चाहिये । जब किसी व्यक्ति को प्रबन्ध के लिये चुना गया है, तो प्रबन्ध की योग्यता भी उसमें होनी चाहिये ।

इस क्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिये ही इस नागरिक विज्ञान की सृष्टि की गई है । इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपने

निवास स्थान—ग्राम या नगर—के प्रबन्ध में, तथा राष्ट्र के शासन में भाग लेने के योग्य बनाना अभीष्ट है। एक शब्द में प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय भावना या राजनैतिक चेतना को विकसित करना इसका उद्देश्य है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक सभ्य व्यक्ति में 'सामाजिक चेतना' का होना भी अत्यन्त अपेक्षित है। जब तक मनुष्य में समाज-हित या लोक-हित की भावना जागृत नहीं होती, जब तक उसका दृष्टि-कोण सर्व-आर्थ तक ही सीमित रहता है, तब तक वह शासन-विचार जैसे सर्व-हित-कारी कार्यों में भाग लेने के योग्य नहीं समझा जा सकता। सामाजिक चेतना का अर्थ यह है कि मनुष्य यह अनुभव करें कि मैं समाज पर आधित हूँ और समाज के बिना में निर्वाह नहीं हो सकता। वह यह भी समझें कि समाज का गाग कार्य सहयोग और गह-कारिता से चल रहा है। वह योग्य हों कि समाज-हित को सर्वोपरि समझ सके, अपने हित में दूसरों के हित का अधिक ध्यान रख सकें और लोक-हित में सर्व-हित की अनुमति कर सकें। उसके लिये यह भी जरूर है कि वह अपने विचार या अपनी राय को व्यक्ति में विनीत कर सके। अपने प्रतिपक्षी की राय का पूरा मान कर सकें और उस पर भी गम्भीरता से विचार कर सकें।

इस सामाजिक भावना की प्राप्ति के लिये यह भी जरूरी है कि मनुष्य निर्भय हो। विद्या, गिज़ा, आत्म-ग्राम और कर्णधर-परायणना के द्वारा उससे स्थिरान हो। उसका शरीर स्वस्य ही, मन मुररिछत और दर्ढ़ निर्भय हो। उसमें प्रत्यन मनन शक्ति हो जिस से वह हित-नियंत्रण कर सके, यदू-अदू का विनोह कर सके और निष्पत्ति

ह सके । इन सब के साथ उसे अर्थ-शास्त्र का भी साधारण परिज्ञान होना चाहिये । वह अपनी, अपने समाज की, अपने नगर और राष्ट्र की आर्थिक समस्याओं को समझ सके और उनकी पूर्ति कर सके ।

इस प्रकार परोक्ष रूप से नागरिक विज्ञान का सम्बन्ध राज्य-तंत्र, राजनीति, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, निति-शास्त्र, धर्म तथा धाचार-शास्त्र, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-शास्त्र एवं शिक्षा-शास्त्र आदि सभी उपयोगी शास्त्रों से है । एक सभ्य व्यक्ति या नागरिक के जीवन को सर्वाङ्गीण बनाने के लिये जो कुछ भी जानना अपेक्षित है, उसका समावेश नागरिक विज्ञान में किया गया है । एक प्रकार से 'विशेषज्ञों की सम्पत्ति' समझे जाने वाले इन शास्त्रों के आवश्यक तथा सर्व-साधारणोपयोगी सामान्य परिज्ञान को लेकर पृथक् रूप से इस नागरिक विज्ञान की सृष्टि की गई है । एक शब्द में यह विज्ञान, एक नागरिक में शील का निर्माण करने के लिये सब उपयोगी शास्त्रों का 'सर्व-साधारणी-करण' मात्र है । "नागरिक के लिये उपयोगी विज्ञान" के अर्थ में ही इसे नागरिक विज्ञान कहते हैं । एक प्रसिद्ध लेखक के राचनाओं में 'नागरिक विज्ञान मनुष्य को सब-कुछ का कुछ-कुछ और कुछ-कुछ का सब-कुछ परिज्ञान कराता है' ।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नागरिक-विज्ञान की शिक्षा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान-कोश में पुष्कल और उपयोगी वृद्धि करती है—उस की साधारण जानकारी को बढ़ाती है, उस के दृष्टि-कोण को विस्तृत करती है—जहाँ देश के नवयुवकों में व्यक्तिगत शील के निर्माण और राष्ट्रीय भावों की जागृति के लिये भी यरम उपयोगी है । यह स्वराज्य और देश-भक्ति की नींव है । शिष्टता, सभ्यता और सामाजिकता की प्रथम सीढ़ी है । इस से भी बढ़ कर—राष्ट्रवाद से भी ऊपर—विश्वभर में, मनुष्य-

निवास स्थान—ग्राम या नगर—के प्रवन्ध में, तथा राष्ट्र के शासन में भाग लेने के योग्य बनाना अभीष्ट है। एक शब्द में प्रत्येक व्याख्या में राष्ट्रीय भावना या राजनैतिक चेतना को विकसित करना इस उद्देश्य है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रत्येक सभ्य व्यक्ति में 'सामाजिक चेतना' का होना भी अत्यन्त अपेक्षित है। जब तक मनुष्य में समाज-हित या लोक-हित की भावना जागृत नहीं होती, जब तक उस दृष्टि-कोण स्व-अर्थ तक ही सीमित रहता है, तब तक वह शासन-विधान जैसे सर्व-हित-कारी कार्यों में भाग लेने के योग्य नहीं समझा जा सकता। सामाजिक चेतना का अर्थ यह है कि मनुष्य वह अनुभव करे कि मैं समाज पर आश्रित हूँ और समाज के लिये मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। वह यह भी समझे कि समाज वह सारा कार्य सहयोग और सह-कारिता से घल रहा है। वह इस योग्य हो फि समाज-हित को सर्वोपरि समझ सके, अपने हित से दूसरों के हित का अविकृ ध्यान रख सके और लोक-हित में स्व-हित की अनुभूति कर सके। उसके लिये यह भी जरूरी है कि वह अपने विचार या अपनी राय को व्युत्पन्न में विलीन कर सके। अपने प्रतिपक्षी की राय का पूरा मान कर सके और उस पर भी गम्भीरता में विचार कर सके।

इस सामाजिक भावना की प्राप्ति के लिये यह भी जरूरी है कि मनुष्य शिक्षित हो। विद्या, शिवाय, आनन्दनाम और कर्तव्यजरायननाम के गुण उसमें विद्यमान हों। उसका शरीर स्वस्थ हो, मन मुश्किलों और धुँधि नीत्र हो। उसमें प्रथल मनन शक्ति हो जिस से यह दिल-अहित का निर्गाय कर सके, सद्-असद् का दर्शक कर सके और निष्पत्ति-

प्रकृति के । इन सब के साथ उसे अर्थ-शास्त्र का भी साधारण परिज्ञान में फैला चाहिये । वह अपनी, अपने समाज की, अपने नगर और राष्ट्र का आर्थिक समस्याओं को समझ सके और उनकी पूर्ति कर सके ।

इस प्रकार परोक्ष रूप से नागरिक विज्ञान का सम्बन्ध राज्य-तंत्र, ज्ञानीति, समाज-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र, निति-शास्त्र, धर्म तथा आचार-भूत-ज्ञान, इतिहास, भूगोल, स्वास्थ्य-शास्त्र एवं शिक्षा-शास्त्र आदि सभी उपयोगी शास्त्रों से है । एक सभ्य व्यक्ति या नागरिक के जीवन को वृद्धिरूप बनाने के लिये जो कुछ भी जानना अपेक्षित है, उसका समावेश नागरिक विज्ञान में किया गया है । एक प्रकार से 'विशेषज्ञों द्वारा निर्मित' समझे जाने वाले इन शास्त्रों के आवश्यक तथा सर्व-साधारण-उपयोगी सामान्य परिज्ञान को लेकर पृथक् रूप से इस नागरिक विज्ञान की सृष्टि की गई है । एक शब्द में यह विज्ञान, एक नागरिक में शील का निर्माण करने के लिये सब उपयोगी शास्त्रों का 'सर्व-साधारणी-करण' मात्र है । "नागरिक के लिये उपयोगी विज्ञान" के अर्थ में ही इसे नागरिक विज्ञान कहते हैं । एक प्रसिद्ध लेखरु के शब्दों में 'नागरिक विज्ञान मनुष्य को सब-कुछ का कुछ-कुछ और कुछ-कुछ का सब-कुछ परिज्ञान कराता है' ।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नागरिक-विज्ञान को शिक्षा जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान-कोश में पुष्कल और उपयोगी चृद्धि करती है—उस की साधारण जानकारी को बढ़ाती है, उस के दृष्टि-कोण को विस्तृत करती है—वहाँ देश के नवयुवकों में व्यक्ति-गत शील के निर्माण और राष्ट्रीय भावों की जागृति के लिये भी परम उपयोगी है । यह स्वराज्य और देश-भक्ति की नींव है । शिष्टता, सम्मता और सामाजिकता की प्रथम सीढ़ी है । इस से भी बढ़ कर—राष्ट्रवाद से भी ऊपर—विश्वभर में मनुष्य-

सत्ताएँ व्यर्थ हैं। ऐसी बदलती हुई परिस्थिति मे प्रत्येक १२<sup>व</sup> युवक को अपने राष्ट्र और राज्य के मामला से जानकारी नहीं। वांछनीय है। इस कियात्मक कठिनाई को अनुभव करके ही अब भारतीय शिक्षा-क्रम मे भी इस विषय को स्थान दिया गया है। पर रंग है कि अभी हमारे शिक्षाधिकारियों ने इसे वह महत्व नहीं दिया, जो पाठ्याल्य शिक्षाशास्त्री इसे दे रहे हैं।

इस विषय के विद्वानों ने इस बात को भी अनुभव किया है कि प्रोड और वयस्क मनुष्यों की ढीली आदतों का बदलना कठिन होता है। 'मामाजिह भावना' का विकास बालकों मे सुगमता से हो सकता है। आज के बालक ही कल को युवक होंगे और परसों वे ही देश के बगावार बनेंगे। अतः उनके विचारानुसार नागरिक शिक्षा का प्रारम्भ बालक-पन से ही होना चाहिये।

बालकों के लिये 'नागरिक शिक्षा' का क्या स्वरूप हो इस विषय में अमरीका के श्री मार्क (Mr. Threlton Mark) महोदय ने 'ओर्ड आफ प्रूंसेन' की संगत रिपोर्टम के दगवें भाग में 'अमरीका के स्कूलों मे नागरिक शिक्षा' के शीर्षक से अपने विचार यो प्रकट किये हैं। वे लिखते हैं—“यह अनुभव किया गया है कि बालकों के लिये 'नागरिक शिक्षा' की पुण्य दग की पुस्तकें जो राजकीय तथ्यों का संग्रह-साहित ('compendium of governmental facts') हैं— वहाँ उपलब्ध नहीं हैं। इस राजकीय भू-संग्रह में एवं प्रधान नागरिक भावना ।

दिलासा देने वाली शिक्षा ।

उस अवधि अनुप्रिय है,

... वाली शिक्षा ।

शेकर शासन सम्बन्धी वातो में भाग लेने के योग्य होंगे, तब तक रायद इन राजकीय तथ्यों में आकाश-पाताल का अन्तर होगा। अतः उन की सम्मति यह है कि वात्कों के लिये लिखी जाने वाली पुस्तकों में राजकीय तथ्यों के सूचन विस्तार की रासन-तंत्र के मौलिक लक्षण ( elementary definitions ) और स्थायी ढांचे की रूप-रेखा मात्र ही पर्याप्त समझनी चाहिये। ‘अन्तर्जातीय मौरल पञ्जुकेशन कांग्रेस, के प्रथम अधिवेशन में लार्ड अवेबरी ( Lord Avebury ) ने भी इसी प्रकार के भावों को प्रगट किया है। उनका कथन है कि ‘मनुष्य को राष्ट्रीय वातों में भाग लेने के योग्य बनाने के लिये पहले उस के ‘सामाजिक हृष्टि-कोण’ को विस्तृत करना नितान्त आवश्यक है।

इस से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक श्रेणियों के वालकों के लिये इस विषय पर जो भी पुस्तक लिखी जाय, उस में कोरे राजकीय तथ्य और उन के सूचन विस्तार की तालिकाएं ही न होनी चाहिये। उन में इस बात पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये कि वज्ञों में एक प्रवल सामाजिक भावना प्रस्फुरित हो।

इसी अभिप्राय से प्रस्तुत पुस्तक में उक्त विशेषज्ञ महानुभावों की सम्मति का यथायोग्य उपयोग करने का पूर्ण यत्न किया गया है। इसमें ‘सामाजिक भावना’ को उत्पन्न करने की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। राजकीय तथ्यों में मूल लक्षण और ‘स्थायी ढांचे की रूपरेखा’ का ही निर्दर्शन कराया गया है। इसमें जो कुछ लिखा गया है, यह भारतीय हृष्टि-कोण से और भारतीय जीवन के उदाहरणों के प्रकाश में लिया गया है। इसके लिखने में इस बात को भी हृष्टि से ओम्फल नहीं होने दिया गया कि यह पुस्तक हिन्दी के प्रारम्भिक विद्यार्थियों के

लिये लिसी जा रही है। मुझे कई वर्षों के निरन्तर साक्षात् संपर्क कारण, इन विगाधियों की मानसिक सज्जता का सूक्ष्म अध्ययन कर का पर्याप्त अवसर मिला है। अतः विषयों के निर्धारण तथा प्रतिपाद शैली में उनकी गमनशक्तियों और बौद्धिक ज्ञानता का विशेष ध्यान रखा गया है।

हिन्दी में तो इस विषय की पुस्तकों का ग्राह्य अभाव सा ही है। आगे जी से भी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें राजकीय 'तथ्यों' के संग्रह में बहुत परिश्रम किया गया है और सामाजिक अंश की उपेक्षा की गई है। विशेषी लेखकों द्वारा लिखी हुई पुस्तकें भारतीय नागरिकता के लिये कोई बहुत उपयोगी नहीं हैं। अतः इस पुस्तक की रूपरेखा के निर्माण में मुझे स्वयं ही राज कुछ निर्धारण करना पड़ा है।

मेरी यह पुस्तक मेरे देश के बालकों के लिये कितनी उपयोगी मिथ्या होगी, इस बात का निर्णय मैं विज्ञ पाठकों पर ही छोड़ता हूँ। इस पुस्तक से यहि हिन्दी के द्वारों और हिन्दी के पाठकों के साधारण प्रचिन्नान में कुछ भी वृद्धि हो सकती है और इस नूतन विषय के अध्ययन से इसका विस्तृतन हो। कुछ भी विनृत हो पाया एवं राष्ट्रीय तथा नागरिक भावना का निरुद्ध भी विकास हो सकता, तो मैं अपने परिश्रम को पूरा सम्पूर्ण सम्पन्न कूँगा।

—रमेश्वरन

१-३५१

# नागरिक-शिक्षा

## समाज-तंत्र

### मनुष्य और समाज

मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है। संसार के किसी प्राणी को अपनी स्थिति, रक्षा और वृद्धि के लिये समाज की इतनी अपेक्षा नहीं, जितनी मनुष्य को है। प्रकृति ने पशु-पक्षियों को, यहां तक कि कीट-पत्तगों तक को अपने जीवन की रक्षा के साधनों से सुसज्जित करके संसार में भेजा है। किसी को सींग, किसी को दांत, किसी को छक और किसी को नाखून प्रकृति की ओर से मिले हुए हैं। वे अपनी रक्षा के लिये किसी के मुहताज नहीं। वे अपने रहन-सहन, पोशाक, भोजन और इतर सुख-सामग्री के लिये किसी दूसरे को अपेक्षा नहीं रखते। गौ और बकरी का बशा पैदा होते ही चलने फिरने लग जाता है। घन्दर का बशा जन्म से ही तैरना जानता है। उन्हे रहने के लिये न घरों की ज़रूरत है, न कपड़ों की, न दूसरों के धनाए हुए भोजन की और न बीमारी की हानित में डाक्टर की। उनकी आवश्यकताएँ उनके अपने अधीन हैं।

पर मनुष्य जो अपने आप को संसार के सब जीवों से श्रेष्ठ मानता है, इस अंश में अधूरा है। इसे प्रकृति ने न तो सींग आदि के समान

अपनी रक्षा का कोई साधन ही दिया है और न ऐसा सुहृद् बनाया कि गह भिना किसी दूसरे की सहायता के जीवित रह सके, चल-फिल सके, गा रा-पी सके। इसे आपने पालन-पोषण के लिये, खान-पान के लिये, रहन-माहन के लिये, वेप-पहिरावे तथा ज्ञान-विज्ञान के लिये सभी आपने राधियों की आवश्यकता रहती है; मनुष्य का वशा पैदा होने ही दूसरों का मुहताज होता है। यदि माता अपनी अगाध ममतामयी संवाद्यश्रृङ्गा रो उसका पालन न करे तो उसका संसार में जीवित रहना भी अगमध्य हो जाय। मनुष्य के वज्रे को जितनी दूसरों की गदायता की आवश्यकता है, उतनी और किसी जन्तु के वज्रे की जर्दी।

इंद्र वार मनुष्य घमाड़ में आकर यह सोचने लगता है कि मैं “अपना कमाना हूँ, अपना खाना हूँ, मुझे दूसरे साधियों की क्या ज़रूरत है। मेरी भिराड़ी या मेरा ममाज मेरी क्या महायता करता है। मैं उनके बिना भी जीवित रह सकता हूँ”। पर यह भ्रम है। मनुष्य दूसरों की गदायता के बिना एक पाप भी नहीं चल सकता। एक छावंजो या गर्व से विद्यालय तक अपनी पुस्तकों स्थग उठा कर पैदल सूखे पहुँचा है, हम समझते हैं, यह भी वह दूसरों की गदायता से कर पाया है। इसके अद्यत्य भाट्यों के अनन्त परिश्रम का उसने लाभ उठाया है। जिन सभी पर भर रख कर आया है, उसके बनाने के लिये न जिन्हें इन्होंने लानुपर्योगे ने विद्यालय काम दिया है। जिन हायियारों ने यह बनाया है उनके बनाने से और उनके लिये कोई काम में निहालते में न रहने का अन्तर कहीं नहीं। इसी प्रधारण का आकर जिस कर्माने की वज्र नहीं उत्तर की असाध्य स्फूर्ति के परिश्रम द्वारा जल निरुद्धित है, कर्माने के दैन दशा, आत्म-विषय शमना, जिस उमेर मुद्रित्यां

त्वादि से सीना--सब कुछ उस के लिये दूसरो ने किया है। एक कमीज नहीं कर वह अवश्य दूसरो के परिश्रम से लाभ उठा रहा है।

यदि मनुष्य अपना हर काम स्वयं करने लगे, तो शायद उस की शक्ति और प्रवृत्ति का चेत्र बहुत ही संकुचित हो जाय। वह पशुओं के समान अपनी जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के अतिरिक्त और कुछ न कर पाए। यदि धोधी हमारे कपड़े साफ न करे, यदि चमार जूता न बनाए, यदि घर मे हमारी माता रोटी न बनाए, यदि नौकर वरतन साफ न करे, और यदि ये सब काम हमें स्वयं करने पड़े, तो प्रत्येक वालक सोच सकता है कि उस की पढ़ाई के लिये कितना समय मिल सकता है। इस प्रकार प्रत्येक वालक के पढ़ाई करने और उसके द्वारा बड़े बनने मे उन सब धोधी, चमार, तथा नौकर आदि का पर्याप्त हाथ है। उन सब के परिश्रम का उस ने फल उठाया है। इस से यह स्पष्ट है कि मनुष्य का यह अभिमान मिथ्या है कि मैं अकेला रह सकता हूँ। मनुष्य तो सदा क्रोटे क्रोटे कामो मे और आत्मरक्षा और बृद्धि आदि बड़े बड़े कामो में भी समाज की सहायता के आश्रित है। पशु-पक्षियों से मनुष्य इस अंश मे हीन है।

परं मनुष्य ने अपनी इस दुर्बलता की पूति 'सामाजिक जीवन' से की है। 'सामाजिक जीवन' पशुओं में भी है सही, पर उन मे इतना सापेक्ष नहीं जितना मनुष्यो मे। इस से जहाँ मनुष्य की उपर्युक्त कमी की पूर्ति होती है, वहाँ इस के जीवन की सारी सरसता, सुख, आनन्द और माधुर्य का कारण भी सामाजिक जीवन ही है। समाज से ही इसे जीवन मिलता है, समाज से ही बुद्धि एवं शक्ति मिलती है, समाज से ही इस की रक्षा होती है, और समाज ही इस की बृद्धि और समृद्धि का कारण है। सज्जेप में अकेला व्यक्ति इस अनन्त ससार में तिक्के के

समान अकिञ्चित्कर है और समाज के संपर्क में आकर ही वह सुध है। एक शब्द से मनुष्य के लिये सब कुछ उस की समाज है।

यह बात जहाँ मनुष्यमात्र के लिये सर्वदा और सर्वत्र सत्त्व तां आज के मनुष्य के लिये तो यह अत्यन्त आवश्यकता और अनिवार्य हो गई है। आज का मनुष्य तो विलकृल ही समाज पर आधित है। वह एक कल के पुरजे के समान है जिसकी उपर्याप्ति केवल कल गे जुड़े रहने से ही है। आज के मनुष्य के अधिकार, उस समाज के अधिकारों में हैं। आज के मनुष्य की मुक्ति उस के समाज की मुक्ति में है। समाज से निकल कर उस का कोई मूल्य नहीं, — सर्वथा नगण्य है। . . .

## समाज क्या है ?

भारागगतया 'व्यक्तियों के समुदाय' को समाज कहने हैं। पर यह कहना ठीक नहीं। इस पर थोड़ा विचार करना होगा। समुदाय का प्रकार कहाने हैं। चावलोंका टंग या पन्धरों का समूह एक प्रकार का समुदाय है और बाड़ियिकल या मनुष्य का शरीर दूसरी प्रकार का समुदाय है, पहले में गमी चावल एक दूसरे की आवश्यकता के बिना 'स्वयंकर स्वप' से जमा हुए हैं। पर दूसरे में भिन्न २ अवयव एक दूसरे की आवश्यकता रखते हैं 'स्वयंकर भाव से आपस में गिरे हुए हैं और वे सब जिन कर पहुँच गये 'स्वयंकर स्वप' पदार्थ को उपन्न करते हैं।

अब नीति विचार कीजिये। चावलों के टंग से में एक चावल की उत्ता अर्थात् दूसरे चावल की लोट लानिये। इस से शोष चावलों को क्या होता है? — यह उन पर उन का क्या प्रभाव होगा? आप कहेंगे इन खेदों नहीं। दोस्रे हैं, भावनों का पर्याप्ति समझने नहीं। वे

के दूसरे से निरपेक्ष हैं। अब वाइसिकल की चेन की एक कड़ी तोड़ लिये, या बालट्यूव को उठाकर फेंक दीजिये, फिर देखिये-वाइसिकल गलता है या नहीं। किसी बालक के पाओं में चोट लग जाने से आँखों से आंसू निकल आते हैं—जबर चढ़ जाता है—सारा शरीर निकम्मा हो जाता है और बहुधा देखा गया है कि एक अङ्ग के घाव से कई बार गत्यु हो जाती है। इस का अर्थ यह है कि वाइसिकल या शरीर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग एक दूसरे से मिले हुए हैं। उन्हे एक दूसरे की आवश्यकता है। एक को दूसरे से सहानुभूति है। एक के निकम्मा होने से सारा शरीर निकम्मा हो जाता है—अपना काम बन्द कर देता है।

अब प्रश्न यह है कि ‘‘मनुष्य-समाज’’ व्यक्तियों का किस प्रकार समुदाय है? क्या वह चावलों के ढेर के समान परस्पर निरपेक्ष यक्तियों का समूह है—या शरीर के अङ्गों के समान परस्पर सङ्गठित और सापेक्ष व्यक्तियों का समूह है?

इस प्रश्न के उत्तर के लिये मनुष्य-समाज के कार्यकलाप या वभाव पर भी धोड़ा विचार करना होगा। परिवार में एक बच्चा बीमार हो जाता है। घर भर का सारा सुख-आराम छूट जाता है। ब्रोटे-बड़े सभी बच्चे की बीमारी के प्रतिकार में जूट जाते हैं। यह क्यों? कूल में एक शाराती लड़का दूसरे निरपराध लड़के पर अत्याचार करता है। शोप लड़के इसे नहीं सह सकते। वे सब मिल कर उसको बीटते हैं, या हेड-मास्टर को सूचना देते हैं। हेड-मास्टर महाशय उस शाराती लड़के को उचित दखल देते हैं। यह क्यों? नगर में एक पागल गुत्ता किसी को काट सकता है। शहर भर के साहसी युवक उसके पीछे हो जाते हैं और उसे मार डालते हैं। यह क्यों? पिछले दिनों कोहटा में गूकम्प्य आया, या हिमार में दुमिज्ज पड़ा। सारा प्रान्त और देश

उनकी सहायता के लिये उमड़ पड़ा । यह क्यों ? कभी कभी स्त्री देश में राजा की ओर से कोई अत्याचार होता है । सारे देश के नारियों में उसके प्रतिकार के लिये प्रवल आनंदोलन की लहर पैदा हो जाती है । यह क्यों ?

यह सा इस लिये कि मनुष्य-समाज एक सगठित शरीर के समान है, जिसमें एक प्रदृढ़ पर आपत्ति आने से सारे अङ्ग विकल हो जाते हैं । पधरी के द्वे में से एक पथर उठाकर फेंक देने से जैसे बाकी के पत्थरों पर भी एक प्रभाव नहीं होता, यह बात मनुष्य-समाज में नहीं है । यह इस वा प्रभाव सब पर होता है ।

यह एक और उदाहरण पर भी विचार कीजिये । पिछले कुम्भ में अक्षयर पर हगिर्दार में हैंजे का रोग फूट पड़ा । एक यात्री वहाँ से हैंजे के परमाणु लेसर अपने गांव को लौट आया । वहाँ उस एक बीमारी के कारण सारे गांव में हैंजा फूट पड़ा और जो वहाँ नहीं गये, वे भी इस महामारी के चंगुल में आ फैसे और कई मर गए । मनुष्य के कर्म द्वा फल सब को भोगना पड़ा ।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मनुष्य समाज में यही नियम कार्य करता है । “पञ्चः कर्माणि कुरुन्, फल भुक्ते महात्मनः” एक के कर्म के फल दूसरों को भोगना पतना है । अब पूर्वोक्त प्रमेण वा उत्तर मनुष्य समाज में क्या रखा देंगा इस मनुष्य समाज जातियों के द्वे की नाद के सम्बन्ध में । अग्रिम द्वे पारम्पराधिन पात्र माधव व्यक्तियों के सम्बन्ध हैं । अन्त यह मनुष्य-समाज एवं दूसरे और भिन्न जाति के इन्द्र प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध हैं । मध्येर में ‘‘मनुष्योऽस्मद्द्वारा’’ सम्बन्ध नहीं, अर्थात् ‘‘मनुष्योऽस्मद्द्वारा’’ (मं+गठन+द्वा) स्पृह से द्वे द्वेष द्वारा द्वारा सम्बन्ध वा द्वारा सम्बन्ध है ।

## समाज का विकास

समाज की उत्पत्ति का इतिहास चाहे कुछ भी हो, यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि मनुष्य को 'स्वाभाव' और 'आवश्यकता' दोनों ने ही समाज बना कर रहने के लिये वाध्य किया है। प्रकृति ने मनुष्य को इस प्रकार का 'मन' दिया है जो समाज में ही रहना पसंद करता है। उसे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। अपने साथियों के साथ मिल कर रहने में उसे सुख और प्रसन्नता प्रतीत होती है। इस के विरुद्ध अकेला रहने में वह दुःख का अनुभव करता है। मनुष्य की यह स्वभाविक मनोवृत्ति समाज-संगठन का मूल और आदि कारण है।

न केवल मनोवृत्ति अपितु 'आवश्यकता' के अनुरोध ने भी मनुष्य को समाज की ओर अप्रसर होने में बलवत् वाध्य किया है। मनुष्य की खान-पान, रहन, सहन, वेष-भूपा और कार्य-न्यवहार सम्बन्धी सभी आवश्यकताएं ऐसी हैं जिन की पूर्ति मनुष्य अकेला रह कर नहीं कर सकता। इस प्रकार मनोवृत्ति की प्रेरणा और आवश्यकता के प्रबल अनुरोध से मनुष्य समाज का जन्म हुआ है।

मानवीय जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में ही हम मनुष्य को दोनियों या 'गिरोहों' में मिल कर घूमता हुआ पाते हैं। इस से पूर्व का कोई समय—जब मनुष्य अकेला ही सब कुछ करता हो—न तो इतिहास में विद्यमान है, न कल्पना में। इस समय उद्दर-पूर्ति के अतिरिक्त मनुष्य का और कोई उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। ये प्रारम्भिक 'गिरोह' भी

मनुष्य की उत्पत्ति का कालनिक इतिहास भी 'शादि' और 'हृद्या' दो से प्रारम्भ होता है। मानो परमात्मा ने ही उसे जोड़े के रूप में उत्तम किया। हो। घस्तुतः मनुष्य समाज का आधार यही 'जोड़ा' है।

उदर-पूति के निमित्त से ही बनाये गये होंगे। सब मिल कर बन्ध पशु का शिकार करते होंगे और इस प्रकार मारे हुए जीवों से ही उन जठराभिन की शान्ति होती होगी। कभी कभी हिंसा पशुओं से इन का युधी हो पड़ता होगा उस समय 'परस्पर-सहायता' के द्वारा ये लो पशुओं पर निजय पाते होंगे। एक दूसरे की सहायता या समर्वेत का भाव तभी रो मानवीय हृदय ने रीखा है।

सामान्यतः पशु अधिक सख्या में मिलते रहे होंगे। इससे सब आवश्यकता पूरी होती रही होगी। पर कभी कभी पशु कम मिलने पर मैं के 'आहार' के लिये अपेक्षित मात्रा में कुछ कमी होने के कारण पशु के 'चेटावां' में कुछ कमाड़ भी अवश्य पैदा होगा। फाइ में "अधिक और न्याय" आदि के नाम पर भी कुछ चर्चा चलती होगी, और सायद आपना में निपटारा हो जाता होगा या कभी कभी दो पक्ष ही पर युद्ध भी छिड़ जाना होगा। इस प्रकार "रामप्री या पूँजी" निमाय", अधिकार-चर्चा, और न्याय-अन्याय का विवेक और ममता परम्परा-निर्णय ( arbitration ) और अविकारों की माँग। मन्यवा ने हृदय विद्याम के कारण युद्ध करने आदि भावों के बीच उनी समय में मनुष्य के हृदय में आरोपित हुए हैं।

न्याय-नियमों और युद्ध के दृष्टिगतियों में नंग आकर उन्हें भरने के आमतौर को दूर करने नथा करारों का निपटारा करने के लिये हृदय छोड़ द्योंटे नयन भी निर्वाचित कर लिये दींग। जैसे "फोटि फोटि दी दी न दी"। फोटि फोटी की चोरी न करे। गाय परम्परा मन्य बोले हैं फोटि फोटी के घोलारे न हो। कुठ ज थोले नियमान्यान न करे। मैं कुलां भी बहुन्याटियां भी अपनी बहुवेदी के द्यमान गम्भीर न्यायिक कारण दिल्ली पर आ गए और से भारत की ममताना बहुत

जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी नियम निर्धारित कर लिये गए जिनसे जीवन सुखी और आनन्दमय हो। जैसे सब एक दूसरे की हायता करें। सब प्रेम और भ्रातृ-भाव से रहें। छोटे बड़ों का कहानें। बड़े छोटों के साथ अन्याय न करें इत्यादि! ये और इस प्रकार अन्य नियम शनैः शनैः बनते और बढ़ते गये होंगे। इन सब नियमों ने धारण करना उन्होंने सब के लिये आवश्यक निश्चित किया होगा और धारण करने के योग्य होने से ही इन सब नियमों का नाम “धर्म” खदिया गया होगा। इस प्रकार समाजवाद के विकास के साथ— समाज की आवश्यकता और उपयोगिता के अनुरोध से ही—कहे जाने लाए “धर्म” की भी नींव पड़ी। वस्तुतः धर्म समाजोपयोगी नियम-मूह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं।

शनैः शनैः पशुओं के समान धूमने की वृत्ति से ऊब कर मनुष्य ने क स्थान पर रहना प्रारम्भ किया होगा और जीवन-निर्वाह के लिए कृपि-कर्म का आश्रय लिया होगा। अब, गांव वस गए और कृपि-कर्म लिये पशु-पालन का महत्व अनुभव किया गया। कभी कभी ग्रामों में रस्पर भूप्रदेशों पर अधिकार की चर्चा भी चलती होगी जिसके अपटोरे के लिये गांवों में चौधरियों का जन्म हुआ। एक ने एक चीज़ी खेती की है तो दूसरे ने किसी दूसरी वस्तु का बीज बोया है। आवश्यकता के अनुरोध से एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु ली जाने लगी। शनैः शनैः यह लेनदेन बढ़ता गया और इसी से मानो यापार की नींव पड़ी। मनुष्यों तथा सन्पत्ति की वृद्धि के साथ साथ गांव के चौधरियों के जन में अपनी शक्ति और जन को बढ़ाने की आवश्यकता भी अनुभव होने लगी। इस प्रकार आवश्यकतानुसार इन सहन, आचार-न्यवहार, सब में परिवर्त्तन होने लगा। नई नई

आपश्यकताओं के साथ नये नये विधान उपस्थित होने लगे और भी मनुष्य-समाज इन सब अवस्थाओं में से होकर इस अवस्था पहुँचा है, जिस में कि वह आज है। आज के समाज के विधानों और आपश्यकताओं के स्वरूप में भले ही भेद हुआ हो, पर आधार मिहान आज भी वही है।

---

## सामाजिक संस्थाएँ

‘मान्त्रात् या परम्परा मन्त्रन्ध से मनुष्य जिन व्यक्तियों के संपर्क आना है, यही उसका समाज है।’ इस प्रकार परिवार, विरादरी, जाति और नामिक-संघ तथा प्राम, नगर, प्रान्त, या राष्ट्र आदि समाज भिन्न रूप हैं, जिन में मनुष्य मान्त्रात् संपर्क में आता है। यही वही दृनिया है, यही उसका मंमार है। इसके अतिरिक्त मनुष्यता नाम से मनुष्य किमी न किमी रूप में गंमार भर के माथ संपर्क आना है। इसको यों समझना चाहिये। एक छोटे से प्राम के मनुष्यों द्वारा मलेश्या त्वर आ जाना है। उसके लिये वह कुनीन खाना है। इस से उन्हींन का आविष्कार करने, बनाने और बेचने वालों के गाय उस छोटे से प्रामील का परम्परागत संपर्क होता है—क्योंकि उन लोगों ने उसका दूर उपयोग करता है। इसी प्रकार गुदूर हंडेल में घैंड हुन्डेल इसका कामी उसमें संपर्क होता है क्योंकि वह अपनी बढ़ते दूसरे बेच जाता है। इस आवार पर नैदानिक आविष्कारों से नैदानिक लूट लूट लिया जाता है—यारे गमार जान उठाना है। नैदानिक आविष्कारों का दौरा पराम बुर्जे का इलाज जब दूसरी ओर फैलने वाले नैदानिक आविष्कार, नैदानिक दूसरे, नैदानिक जाग, आदि जाना गर्ना

और शिक्षा आदि ऐसी चीजें हैं जिन के द्वारा मनुष्य संसार भर का साथ संपर्क में आता है। इस से स्पष्ट है कि मनुष्य-मात्र के परम्परा संबन्ध से संपर्क अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में मात्र, मनुष्य मात्र की आवश्यकताओं और सुविधाओं का पूरक घटक है। इस प्रकार छोटे से परिवार या ग्राम से लेकर विश्व 'मनुष्य-समाज' का भिन्न २ रूपों में विस्तार है।

इन सामाजिक स्थानों को दो भागों में बांट सकते हैं—एक सांस्कृतिक, दूसरे भौगोलिक। सांस्कृतिक के भी दो भेद किये जा हैं—जन्म-मूलक और वृत्ति-मूलक। परिवार, विरादरी, जाति, आदि जन्म मूलक स्थान हैं। स्कूल, कालोज, लड़, भिन्न २ काम करने वालों के संघ, राजनैतिक पार्टियां तथा व्यापार मंडल, एवं एक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के संघ आदि २ वृत्ति-मूलक स्थान हैं। भौगोलिक में ग्राम, नगर, प्रान्त, देश, राज्य, भाषा और विश्व-समाज आदि का अन्तर्भव है। पाठकों के साधारण परिचय के लिये 'समाज के इन भिन्न २ रूपों' का संकेत से वर्णन दिया जाता है।

### परिवार

परिवार सामाजिक जीवन और शासन विधान का एक लघु चित्र है। सब से प्रथम मनुष्य अपने परिवार के संपर्क में आता है। मनुष्य को असभ्यावस्था में पशुओं के समान परिवार की सम्म्या का धिलकुल अभाव था। पारिवारिक जीवन सभ्यता का सब से प्रथम सोमान है और धर्म, कर्म, संस्कार, भूमति, समाज, राज्य और साम्राज्य का मूल आधार है। पारिवारिक जीवन की नींव पर ही समाज और राज्य का सुहड़ और सुन्दर ग्रासाद निर्मित हुआ है।

परिवार समाज की सब से छोटी इकाई है। एक विख्यात समाजी-शास्त्री के शब्दों में “परिवार सामाजिक” जीवन का एक शारीरत और आगी रुल है, जहाँ मनुष्य परस्पर सहकारिता, सहयोग, एक दूसरे का हित, समर्वदना, आजापालन, त्याग, प्रेम, स्लेह, संयम, शील, आदि गदाचार आदि समाजोपयोगी महान् गुणों को ज्ञान और आज्ञात में मीराता है। परिवार एक महान् कोप है जिसमें पूर्वजों के आचार-विचार का अक्षय निधि भावी मन्त्रिति के उपयोग के लिये सुरक्षित रखा है। यह एक पवित्र मन्दिर है जिस में पूर्वजों की आत्मा आधारी मन्त्रान के साथ गाढ़ात् सपर्क में आती है। परिवार विद्वान् है—“एक गव के लिये और सब एक के लिये”।

भारतगत्या परिवार में माता, पिता और भाई-बहिन ही हैं भारत में मन्मिलित परिवार भी हैं। इनमें पिता के माता-पिता, तथा पिता के भाऊओं तथा अपने भाऊओं के बच्चे तथा पत्नी, और दूसरे मम्बन्नी भी साथ रहते हैं। इन सब का परस्पर रक्त मम्बन्ध होता। परिवार के प्रबान व्यक्ति की आज्ञा सब को माननीय होती है, अबही सब के पालन-पोषण, गिरावंतीना आदि का नियमोंवार होता। परिवार की मम्बन्धि पर माचान् अविकार उमी का है। रक्तेष में अपने परिवार का ग्रन्थ या राजा है।

वार्तीय मन्मिलित परिवार एक प्रकार में आज कल के माम्प्यन् (भृत्य, भृत्या) का एक छोटा सा निःशंख है, जिसमें प्रवृत्त अथवाने गर्भान् अनुकार परिवार की आधिक वृद्धि में पूरा भाग है और अपनी अनुप्रवृत्तियों को भी परिवारमें ही प्राप्त करता। परिवार एक सम्म अंतःकृता (अवगत) हो, या अस्ता, यांत्र आपातो द्वा के रूप में अस्तम्भ, उसके लिये भी ग्रामपाला आवश्यक है।

नी पूर्ति परिवार पर आश्रित है। उस के खान-पान और शिक्षा आदि की जिम्मावारी परिवार के मुखिया पर रहती है और वही सब वेवाह आदि का भी प्रबन्ध करता है। एक प्रकार से परिवार व्यक्ति के जीवन की सुविधाओं और बुढ़ापे के सुख-आराम का बरता है। एक विख्यात लेखक के शब्दों में “भारतीय निमित्त परिवार की संस्था आज कल के सभ्य देशों की इन्शोरेंस (भूमिका) कंपनियों का काम करती है”। आर्थिक दृष्टि से भी सम्मिलित ही। मेतव्यधिता की संस्था है। साथ रहने से निश्चय ही व्यय कम होता है और सब को समान लाभ प्राप्त होता है।

साम्यवाद के समान सम्मिलित परिवार से एक हानि भी है वह है—व्यक्तित्व के विकास में वाधों। परिवार एक ही ढंग के आचार विचार और नियंत्रण के द्वारा ‘नूतनता’ मौतिकता और रुचि-स्वातंत्र्य के लिये कोई स्थान नहीं रहने देता। साथ ही सब की आवश्यकताओं की एक सी पूर्ति, होने से अधिक चोरी व्यक्ति के उत्साह तथा शक्तियों के विकास में भी इस से सहायता नहीं मिलती। यही प्रधान कारण है कि आज सम्मिलित परिवार को पसंद नहीं किया जाता। नूतन परिस्थिति के साथ इस में भी परिवर्तन आ रहे हैं, और कहा नहीं जा सकता कि यह संस्था अपनी पुरातनता को कहाँ तक निभा सकेगी।

### विरादरी

परिवार से कुछ ढौली, पर अधिक व्यापक संस्था विरादरी की है। यह आर्थिक रूप में पृथक् २ रहते हुए परिवारों को एक समृद्धि है। सामाजिक कर्तव्यों के परिपालन और रीति-रिवाज आदि के आचरण के सम्बन्ध में विरादरी का मनुष्य पर बहुत प्रभाव है। नम-मुद्द-दुःख,

समनेएना और साधारण हानिलाभ सम्बन्धी कर्तव्य-शिक्षा विराट्री का भी पर्याप्त भाग है। “विराट्री का डरडा” और विराट्रा का कैमला” आज भी छर की वस्तु है। वर्तमान युग में जबे विरा और नई शिक्षा के प्रभाव से अब यह संस्था शैधित्य की ओर चलती है।

### जाति

विराट्री में और अधिक विस्तृत जाति की सत्था है। इस में उन के गान कुद्र २ कर्म का सम्बन्ध भी मिल गया है। जाति के सम्बन्ध में भी मनुष्य के कुद्र कर्तव्य है जिन्हें ‘जाति-धर्म’ का नाम दिया जाता है। आज कल इस का गोरव भी शनैः २ जीए हो रहा है।

### धार्मिक-संघ

एह धर्म के अनुयायियों का मनुष्याय धार्मिक संघ दृलाता है। इस में अनेक भासों के नियामी, अनेक कर्मों के कारने वाले और अनेक दृचित्यों उं उपर्योग अर्थों, या ‘विशास’ या ‘मिद्रान्त’ की प्रस्तुतवार्ता व श्रद्धा देते हैं। मन्य, घर्म और न्याय के लिये आन्मनलिङ्गान आदि इन धार्मिक संघों भी धर्म की रक्षा भा भाव, रक्षान्यग्राहण एवं रक्षा मनुष्य ने इसी सम्बन्ध में सीधे है। मनुष्य धर्म के नाम की ही दृष्टिकोण स्थितायें थीं जिनका भ्रातृ-भात ने मनुष्य धर्म की दृष्टिकोण, भ्रातृ-या और भ्रातृ-प्राति, भ्रातृ-प्रतिव्रत्त की दृष्टिकोण दृष्टि करते ही रहा है। देवताओं, मनुष्यों विद्या, ज्ञान, जीवन, दीर्घ दीर्घ शौर विद्या एवं रक्षा सम्बन्ध में धर्म की दृष्टि

। अब भी परस्पर प्रेम, ईमानदारी आदि जो कुछ भी मनुष्य से पाई जाती है, वह राजनैतिक शिक्षा के कारण नहीं, अपितु धर्म की ही शिक्षा से है। धर्म ने ही व्यक्तरूप में विधि-निषेध रूप दो प्रकार के नियमों का निर्धारण किया है। जो गुण, तथा कर्म समाजहित के लिये अभकारी हैं, वे विधि हैं। उन पर आचरण करना अनिवायेरूप से गत्य और आवश्यक है। जो दुर्गुण समाज-हित के खिलाफ हैं—समाज-रीर को हानि पहुँचाने वाले हैं—वे निषेध हैं। उनका न करना इतना ही आवश्यक है जितना विधि-नियमों पर आचरण करना।

पर संकीर्णता, अदूर दर्शिता, असहिष्णुता आदि मनोविकारों के कारण मनुष्य ने धर्म के नाम पर पाप भी बहुत किये हैं—मनुष्य को मनुष्य से पृथक् किया है, युद्ध किये हैं और रक्त की नदियां बहाई हैं। प्राज का शिक्षित समाज इस ओर अधिक विचार-शील होकर धर्म ने घृणा करने पर उतार हो गया है। पर वास्तविक धर्म कोई हेय वस्तु नहीं। वह तो सामाजिक धारणा के लिये सदा अपेक्षित रहेगा। वास्तविक और व्यापक धर्म के नियमों के बिना केवल राजनैतिक हृष्टि-कोण से तो मनुष्य महान् स्वार्थी, शुष्क-हृदय, अशान्त और पतित हो जायगा।

### सांस्कृतिक संघ।

विद्या तथा शिक्षा के सम्बन्ध से स्कूल, विद्यालय, तथा साहित्यिक गोप्त्या आदि हमारे समाज की भिन्न २ सत्थाएं हैं। सूच, संल की टीमें, तथा हास विलास सम्बन्धी गोप्त्यां मनोरज्जन से सम्बन्ध रखती हैं। एक पेशा या एक प्रकार का व्यवसाय करने वालों के भी संघ बने हुए होते हैं। इन्हें आजीन काल में श्रेणी के नाम से पुकारा जाता था। ये अपने व्यवसाय-सम्बन्धी अधिकारों और लुचिधारों की

इन्हें दिलों का बहार है। इसके बाद जिनी वैज्ञान दे इतने  
प्रत्येक व्यक्ति का अवलोकन है, जापानी व्यक्ति का अवलोकन है उसके  
पास है; और उसमें व्यक्ति जिसका एक व्यक्ति बनते हैं। इन्हें  
जापानी व्यक्ति का देखा जाता है वह उसी परिवर्ग में जगत्वांकन होता है,  
जो व्यक्ति व्यक्ति का विकास उपनिषद् इनके व्यक्तिगत है।

देखा गया है कि यहाँ विद्युत नहीं आवाज़ है। देखा गया है कि विद्युत नहीं आवाज़ है। देखा गया है कि विद्युत नहीं आवाज़ है। देखा गया है कि विद्युत नहीं आवाज़ है।

सोमोऽनुष्टुप् शंखाणे

से भी गली मोहल्ले के साथ हमारे हानिन्लाभ जुड़े हुए हैं। हमारा और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य न केवल हमारे अपने मकान की सफाई पर निर्भर है, अपितु पड़ोसी के मकान और गली मोहल्ले की सफाई भी उसके लिये आवश्यक है।

गली मोहल्ले से ऊपर ग्राम या नगर हमारा समाज है। ग्राम निवासियों का परस्पर भ्रातृ-भाव और समय पर एक दूसरे की सहायता और सहयोग आदि ऐसी बातें हैं जिन में ग्राम-निवासी परस्पर आश्रित हैं और परस्पर उपकृत होते हैं। नगर में यह कर्तव्य-परम्परा और भी बढ़ जाती है। वहाँ के काम भी परस्पराश्रितता और सहयोग से ही चलते हैं।

इसी प्रकार प्रान्त, देश या राष्ट्र तथा राज्य और साम्राज्य मनुष्य समाज के भिन्न २ रूप हैं। इन से भी मनुष्य अनन्त रूपों में उपकृत होता है और इनके प्रति भी उस के विशेष कर्तव्य हैं। पर उन सब का मूल और सारांश यही है कि मनुष्य अपने साथी, पड़ोसी एवं देशवासी को अपनी सेवा आदि से सदा 'सुखी' बनाने की चेष्टा करे। "अच्छा" बनाने की चेष्टा न करे। कारण कि 'अच्छापन' के समझने में प्रायः भूल होती है और यह 'अच्छा बनाने' का भाव ही प्रायः मनुष्यों में वैमनस्य का कारण है। एक व्यक्ति समझता है कि मेरा विचार या मेरा सिद्धान्त 'अच्छा' है। वह दूसरे के विचार को गलत समझता है और उसे 'अच्छा' बनाना अपना कर्तव्य मान लेता है। यस दोनों कहरता से एक दूसरे का विरोध करते हैं। लहाई, झगड़ा, बरेहा रड़ा हो जाता है। भर्मा के नाम पर इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं और रक्त की नदियाँ यही हैं, उन सब में यही मनोवृत्ति काम करती थी। यतः मनुष्य का घ्येय यह होना चाहिये कि मैं अपने साथी को 'सुखी' बनाने

राम के लिये काम करते हैं। व्यक्तिगत या निजी जीवन से इन का प्रिंसिप सम्बन्ध नहीं। व्यापार-गड़ल, गजदूर-दल आदि इन के उदाहरण हैं। कभी भी नहुए से मिलकर एक काम करते हैं। इन्हें समृद्धि-समृद्धियाँ और आज कल की परिभाषा में 'कम्पनी' कहते हैं। इन कंपनियों और ग्रीमा कंपनियाँ इन के उदाहरण हैं।

ये सब सम्बन्ध मनुष्य के लिये आपना २ गमाज है। ये सब मनुष्य का जनन्य आकार करती है और मनुष्य इन का उपकार करता है। इस तरह परामर्शितता और सम-उद्देश्य, सम-भावना, सम-हानि-आन आदि के व्यापक नियमों पर इन का गृजन हुआ है।

### ओमालिक संख्याएँ

ओमालिक स्वप्न में मनुष्य का गमाज 'प्रीमी' से प्रारम्भ होकर विसर्जन व्यापक है। प्रीमी और गली मोहल्ले वाले हमारा मन से प्रदूष देता है। या ये वचना जलना किरना गीतना है और अपने दर जो एक सीधारी से बाहर निकलता है, वह प्रीमी और गली-द्वारों के बीच से छिकला है। जलन राजना है और उनके गुण दोनों ही हैं। उनका प्रसान रीतन भर असिट रहता है। निःसन्देश मनुष्य का एक अवृत्ति तर और ग्रीष्म के निर्माण में उनके प्रीम राष्ट्रीय दर्शन देते हैं।

विचार करने के लिये मनुष्य के प्रति तो मनुष्य के विशेष कर्मज एवं विवरण विवरण एवं प्रीमी एवं हानिजात के विशेष घान गमन के लिये व्यापक जाग्रत्त उत्तर दर्शन दर्शन है। विवरण विवरण कष्ट एवं दर्शन की दृष्टि से जाति की विचार है। अतीत तथा उत्तर मान्यता एवं विवरण एवं विवरण विवरण दर्शन है। मनुष्य गमन में दृष्टि दर्शन एवं दर्शन दर्शन दर्शन है। ओमिक दृष्टिकोण

से भी गली मोहल्ले के साथ हमारे हानि-लाभ जुड़े हुए हैं। हमारा और हमारे वधो का स्वास्थ्य न केवल हमारे अपने मकान की सफाई पर निर्भर है, अपितु पड़ोसी के मकान और गली मोहल्ले की सफाई भी उसके लिये आवश्यक है।

गली मोहल्ले से ऊपर प्राम या नगर हमारा समाज है। प्राम निवासियों का परस्पर आदृ-भाव और समय पर एक दूसरे की सहायता और सहयोग आदि ऐसी बातें हैं जिन में प्राम-निवासी परस्पर आश्रित हैं और परस्पर उपकृत होते हैं। नगर में यह कर्तव्य-परम्परा और भी बढ़ जाती है। वहाँ के काम भी परस्पराश्रितता और सहयोग से ही चलते हैं।

इसी प्रकार प्रान्त, देश या राष्ट्र तथा राज्य और साम्राज्य मनुष्य समाज के भिन्न २ रूप हैं। इन से भी मनुष्य अनन्त रूपों में उपकृत होता है और इनकं प्रति भी उस के विशेष कर्तव्य हैं। पर उन सब का मूल और सारांश यही है कि मनुष्य अपने साथी, पड़ोसी एवं देशवासी को अपनी सेवा आदि से सदा 'सुखी' बनाने की चेष्टा करे। "अच्छा" बनाने की चेष्टा न करे। कारण कि 'अच्छापन' के समझने में प्रायः भूल होती है और यह "अच्छा बनाने" का भाव ही प्रायः मनुष्यों में वैमनस्य का कारण है। एक व्यक्ति समझता है कि मेरा विचार या मेरा सिद्धान्त 'अच्छा' है। वह दूसरे के विचार को गलत समझता है और उसे 'अच्छा' बनाना अपना कर्तव्य मान लेता है। वह दोनों कहरता से एक दूसरे का विरोध करते हैं। लदाई, झगड़ा, खेड़ा तज्ज्ञ हो जाता है। धर्म के नाम पर इतिहास में जितने युद्ध हुए हैं और रक्त की नदियाँ वही हैं, उन सब में यही मनोवृत्ति काम करती थी। अतः मनुष्य का ध्येय यह होना चाहिये कि मैं अपने साथी को 'सखी' बनाने

की चेष्टा कर्त्ता, न फि 'विवादास्पदीभूत' 'अन्त्यो' बनाने का यज्ञ कर्त्ता ।

### विश्व-समाज

रंग और रक्त के लानेक भेद होने पर भी विश्व-समाज या संसार भर को आपना गाँड़ समाज का भाव निभाना आमंभन नहीं है। ऊपर हम नान लि संकेत दिया जा चुका है कि मनुष्यमान का समाज के मनुष्यमान के साथ विद्या, गाहित्य, कला तथा शिक्षा आदि के द्वारा अधिकृत गाँड़ है और 'परसारं भावयन्तः' "बल्गु बलगन्तः" का भाव सा मनुष्यों में पाया जाता है। आवागमन के साथनों की तृजि, ल्यात्तर, गिर्वा और औद्योगिक भन्नों की समुच्चित एवं साधारण स्वरूपों के साथ साव सनुराय विश्व-जनीन आत्मायकी द्वारा अप्रसर हो रहा है। कई शार यह स्तुत्य प्रयत्न भी किया जा चुका है कि हम विश्वग के साथकों गोपा स्वारी स्वप्न दिया जाय जिसमें उत्तिया और गाँड़ों में 'शुद्ध' की आगमन बना दिया जाय 'नीति आद्वेशभूत' की आपना हम दिशा में विगत महान्मार्ग पर्याप्तिया एवं तरंग साधार प्रयत्न वा। कई पहले कारणों में लील आप और दीर्घिट मधुरी सफलता प्राप्त न कर गई तिनी उम्मीदों का नहीं जाना योग्य। यह नान यही दीर्घिट में दृष्टि भी न हिया हो देता है कि इस दृष्टि साधना विनी, पर वह 'शुद्ध' का भवया आता। इसके अलावा दीर्घिट अपनी अन्य अद्वैतज्ञानीयों में भी इसकी अप्रसर होती है।

इसके अलावा हम एवं दीर्घिट आदि के द्वारा में भी इसका अप्रसर होता है कि दीर्घिट का दृष्टि द्वारा ही हो दीर्घिट का दृष्टि हो देता है।

प्रत्येक जाति तथा राष्ट्र की सदाचार भावनाएँ प्रायः एक सी हैं। दुःखी के प्रति समर्वेदना, निर्वल की रक्षा, न्याय के आधार निर्वल तथा सचाई आदि ऐसी भावनाएँ हैं जो सब जातियों में एक सी फिर उन में भ्रातृभाव की धारणा की स्वीकृति में क्यों सदैह न जाय ?

भाषा-विज्ञान के विकास के साथ अब यह बात मानी जा रही है कि प्रायः सब जातियों की भाषा भी एक सी ही है। उन में प्रायः एक से नियम लागू होते हैं। यह बात सब जातियों में मानवता की एकता को प्रकट करती है।

अतः आज के सभ्य मनुष्य को आवश्यक है कि वह इस बात को समझ ले कि हम सब में मनुष्यता के आधार तत्व एक से हैं। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। सारा विश्व भगवान् का एक परिवार है जिस में भाई-बहिन लड़ते भी हैं और प्रेम भी करते हैं। वे सब परस्पराश्रित हैं। उनकी अभिरुचियां भिन्न २ होते हुए भी वे एक विशाल परिवार के सदस्य हैं। रग, रक्त, वेप-भूषा, आचार-विचार और भाषा सम्बन्धी दिखाई देने वाले भेद के बीच वाह्य आवरण हैं, जो देश-काल-सम्बन्धी परिस्थितियों के भेद, रुचि-भेद और आवश्यकता भेद के कारण बना लिये गये हैं। इन सब के अन्तर्गत में एक ही मानवता की आत्मा निघास करती है।

यहाँ एक आशङ्का पर भी कुछ विचार कर लेना आवश्यक होगा। कई धार एक मनुष्य का आहार दूसरे का विष होता है। भारत का लाभ शायद कहीं पर इंगलैण्ड की हानि प्रतीत हो और इंगलैण्ड का लाभ शायद जर्मनी की हानि प्रमाणित हो। तो फिर सम हानि-लाभ न होने से अपने २ हितों में विरोध या संघर्ष होने से एक विश्व-समाज

का मार कैसे पनप सकता है ? आग्निर, जहाँ मनुष्य ही मनुष्य का सरो उपर्योगी भित्र और सहायक है, वहाँ मनुष्य ही मनुष्य का सरो भयहर शांत भी तो है।

इस आशाका में बस्तुतः बड़ा घल है और यही विश्व-समाज मार्ग में मन गे गड़ी जाएगा है। पर मनुष्य को इसका फल सोचना ही होगा। प्रथम तो दो जार जाता कों छोड़ कर शोग वातों में इस 'लाभ मंत्राल' का प्रसन्न ही नहीं उठता। हम अपने देश की हानि न करते हुए भी, आपने वेश के गच्छे भल रहते हुए भी दूसरे देशों से भ्रातृ-भाईता सहाही हैं। जिन जातों में संघर्ष की सम्भावना है उन पर भयनार मिल कर शान्त भाव से विचार करने पर काउं न कोई मानिसकल ही आता है। यह आराध्यक नहीं कि हित विरोध का निर्णय भूमि के द्वारा ही हिया जाय।

विद्वान् दी इटि से इस में यद्य जनि नहीं पड़ती। अपने घाटारें का कांपना इसना हृदया गी मनुष्य दूसरों को भोगन दे रखता है। यहि वर्जन भी है, जो भी यह नहीं कहा जा सकता कि यह दूसरों का द्वितीय हित है। उसी दी इटि शक्ति और सामर्थ्य है, उसके अनुमा त वर्जन भसता है। यह तार्य की मात्रा या शक्ति की ड्रगता का भी है। विद्वान् दी इटि।

क्षेत्र द्वारा दी इटि सदा। गान दिया जो वह पक विश्व वर्दी द्वारा दी रखा जा रहा। अब यहि असूनि दी इटि जापती है क्षेत्र द्वारा दी इटि ने इसका दूर धर्म दाता भवानि से जेत अद्वीती को भर दी तो यहि दी इटि। वर्तु अर्द्ध भी गदायन करके हातों में लाने की शक्ति की महाकाश भी है।

\* एक दी इटि वह अर्द्ध के दाकुओं के विरुद्ध और मंदीरों के विरुद्ध

अवलम्बित है। जब समाज शास्त्र के आधार-नियमों का व्युत्पत्ति से प्रयोग किया जाय, तो 'हित विरोध' कोई चीज़ नहीं रह जाता 'जियो और जीने दो' के सिद्धान्त पर जब आचरण हो, तो विश्व-समाज के भाव में वाधा नहीं पड़ सकती। सभ्य मनुष्य को इस स्वार्थ-पुर्ण कल्पित भावना से ऊपर उठना ही पड़ेगा अन्यथा उसकी मुक्ति नहीं। ये संघर्ष, ये युद्ध और जन-संहार तक तक नहीं रुक सकते, जब तक मनुष्य विश्व-समाज का स्वरूप स्थिर नहीं कर लेता, और दूसरे के अधिकारों और हितों को भी उतना ही आवश्यक नहीं समझने लगता, जितना वह अपने अधिकारों और हितों को समझता है। यदि मनुष्य की स्व-हित-भावना परार्थधातक न हो, तो कोई बखेड़ा नहीं पड़ता। इस के लिये पूजीवाद और राजनीति के शुष्क हृष्टि-कोण को छोड़ कर विश्व-समाज के भाव में कुछ आध्यात्मिकता के भावों का भी सम्भावेश करना होगा। इस के बिना इस में न शान्ति और न सरमता आ सकती है।

हम तो 'विश्व-समाज' की भावना को मनुष्यमात्र से परे पश्चु-समाज तक भी विस्तृत होता देखना चाहते हैं। आस्तिर पश्चु-पक्षी भी मनुष्य का अनन्त हित करते हैं और उस के 'आराम' और सुख में असीम सहायता देते हैं। मनुष्य अपने जीवन में इनकी सहायता के भी आश्रित हैं। ये तो मरने के धारा भी अपने मांस और चमड़े आदि से मनुष्य का उपकार करते हैं। ऐसी अवस्था में 'परस्पर भावना' के सिद्धान्त के अनुगार क्या मनुष्य का यह कर्तव्य नहीं कि वह भी इनकी रक्षा करे। फिर पश्चु तो मनुष्य से कोई अधिकार भी नहीं मांगते। न अपने लिये सङ्कों, पानी तथा प्रकाश आदि की सुविधाएँ मांगते हैं, न कौंसिलों में सीटें मांगते हैं,

नौकरियों में आनुपात मांगते हैं। इन की मूँह मांग है तो केवल यह कि इन्हें जीने दिया जाय। यह भी शायद अपने लिये नहीं, मनुष्य के ही आनंद के लिये। क्या मनुष्य उन्हें जीवन की भिज्जा भी नहीं दे सकता ?

नरच सभ्यता का आदर उभी प्राप्त होंगा जब मनुष्य पशुओं से भी गया होना तथा उनके जीने के समान अधिकारों को अनुगत करा।

## समाज का आधार

### महकाविता तथा समना

मनुष्यन्मता की मिति का मूल आनंद “दिल में, बदामी ने” एवं पर अवश्यिता है। ‘कुद दो और कुद लो’ इसका मूल मन्त्र है। स्वाच्छा साथ साध्य साधन या अव्याहार स्वप्न गे इसी महकाविता से नहीं रखा है। प्रदेश व्यक्ति दूसरों को कुद न कुद देता है और दूसरों गे कुद न कुद देते हैं। पड़ता मिति के शब्दों से “मध्य गमात वा इन्द्रिय वा अस्त्र, वा वायु वा जिय लासो कर्णोंहो मनुष्यों के गदायों” कहर दर्शाता है, जिसे वह रखता है। उसका अपना जीवन तो किया जिय रख न करने वाला अस्त्रज्ञ है।

इसका उद्दिष्ट गर्दा वहाँ वर्णन व साक्षरण काम को ही नहिं करता है वह वहाँ वह सेवा का आवश्यक अपने जीवन का उद्देश बनाता है। इस अनुष्य वही वा अपना सेवा का संस्करण है। कुद उपर्याहर वहाँ वही वहाँ वही वहाँ है। कुद वही पहली से नियुत है।

इन सब व्यक्तियों ने एक २ काम बांट लिया है जो उनके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये सब दूसरों के लिये कुछ करते हैं और दूसरे इन के लिये कुछ करते हैं।

इसी प्रकार एक लेखक अपने लेख लिख कर समाज की ज्ञान-पिपासा को शान्त करता है और अपने विचारों के द्वारा समाज की सेवा करता है। ये गेहूँ पैदा करने वाले, मकान बनाने वाले और शाक-भाजी पैदा करने वाले तथा इतर अनन्त व्यक्ति उसकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि इस लेखक को दूसरों का सहयोग प्राप्त न हो, और इसे अपने सब काम स्वयं करने पड़े, तो यह लेखक का काम नहीं कर सकता। सत्य तो यह है कि यह अपने सब काम स्वयं कर ही नहीं सकता। एक मनुष्य न सब कुछ सीख सकता है, न सब कुछ कर सकता है। यह लेखक भी ज्ञान के जिज्ञासुओं की आवश्यकता को पूरा करता है और वे इसे धन देते हैं, जिसे यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वालों में वृत्ति के रूप में बांट देता है। इसी प्रकार एक उच्छाधिकारी, एक अध्यापक या राजभंत्री आदि सब अपनी २ शक्ति और योग्यता के अनुसार समार का महान् उपकार करते हैं और दूसरे लोग इन के जीवन की आवश्यकताओं का प्रयन्त्र कर देते हैं। उनसे इनकी वृत्ति है और इनसे उनकी।

सहयोग और सहकारिता से काम सुन्दर भी होते हैं और सत्ते भी। उन पर शक्ति, समय और धन का व्यय कम होता है। एक घर को आग लग गई हो, तो यदि एक आदमी पानी निकालता जाय, दूसरा उसके ढोने का काम करे और तीसरा आग बुझाने का, तो को शीघ्र ही बुझाया जा सकता है। यदि एक ही व्यक्ति पानी निकाले, और स्वयं ही उठाकर ले जाय और स्वयं ही आग बुझाए तो आग पर

कार् नहीं पा सकता। फुटनाल आदि खेलों में भी जो टीम बिं  
फर - परस्पर सहयोग से—खेलती है, वह अवश्य दूसरी पर विजय  
प्राप्त करती है। यदि एक ही खिलाड़ी पीछे-आगे, दायें-बायें सर्वत्र गैं  
को आगे ही पारा रहे और अपने साथी के पास न भेजे, तो वह टीम  
उभी जीत नहीं गर्ती।

इसी प्रकार सहायता से किये हुए काम सस्ते भी पड़ते हैं। जिस  
मनुष्य ने आठा पीरने का काम उठाया है, वह बढ़िया से बढ़िया  
चीमनी उपकरण रख कर उत्तरां मन आठा पीर देता है। यदि प्रत्येक  
मनुष्य आपना द आठा भव्य पीरने लगे तो वह उस जैसी दक्षता और  
ज्ञान जैसे साधन और नद्रमूल्य उपकरण ग्राह कर सकता। इन्हें  
आठार में आठ ही उत्तमता ग भी अवश्य भेद रहेगा।

इसी प्रकार जानियों, गण्डों और साम्राज्यों के काम भी परस्पर  
सहायता से चलते हैं। कोई गण्ड लोहा और कोयला देता है, कोई  
सर्गीनरी और कोई बढ़िया वैज्ञानिक। कोई देण कपास देता है तो कोई  
उपकरण इस देना चाहता है। इसी प्रकार साहित्य, कला, विज्ञान और दूसरी  
जैसी विज्ञानों या उनमें गण्डों और साम्राज्यों के सहयोग से गफल हो रही है।

इस अध्यात्म सहायता की अनिवार्य कभी व्यापार, और वहें  
कोई दोष नहीं। जिस मनुष्य ज्ञान-मूर्ख मिल कर सहयोग करता है,  
वही उपर्युक्ति, उत्तमता, नथा कम्पनियों आदि इसी ज्ञान-  
सहायता के उपकरण है।

### समना

समना का इस विषयाएँ और सर्वांगुल्य विद्वान् हैं  
समना का दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि  
समना का दृष्टि  
समना का दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि

समाज का उपकार कर रहा है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की उपयोगिता उत्तनी ही आवश्यक है जितनी एक छोटे से छोटे पुरजे की किसी मरीन में हो सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिये समान रूप से उपयोगी है। इस आधार पर समाज में उसके अधिकार भी समान हैं।

मनुष्यमात्र में समदृष्टि का भाव सभ्य समाज में नितान्त आवश्यक है। कई मनुष्य बहुत बलवान् हैं, कई बहुत दुर्बल। कुछ स्वस्थ हैं, कुछ बीमार, कुछ आमीर हैं कुछ गरीब। कुछ पूजीपति हैं और कुछ मज्जदूर। कुछ धुद्धिमान् है, कुछ मूर्ख। इस प्रकार अनेक भेद और नानारूप विभिन्नताओं के होते हुए भी समाज की दृष्टि में सब बराबर हैं। मनुष्यत्व के नाते सब एक दूसरे के भाई हैं। प्रकृति की दृष्टि में शीत, आतप, रोग, व्याधि, जरा मृत्यु आदि सब के लिये एक से हैं। इसलिये सब को अपना भाई समझना, सब को अपनी तरह समझना, सब से समर्वेदना और समझूति का भाव रखना अत्यन्त आवश्यक है। “आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स परिष्ठितः”<sup>४४</sup> का सिद्धान्त मनुष्य समाज का आधार है।

## व्यक्ति

अब तक हम समाज के सम्बन्ध में ही लिखते आए हैं। समाज की अपेक्षा व्यक्ति को हम ने बहुत ही अकिञ्चित्कर और नगरेय बताया है। पर व्यक्ति इतनी उपेक्षणीय वस्तु नहीं है। आओ, अब व्यक्ति के सम्बन्ध में भी थोड़ा विचार कर लें।

सुद्धिमान् वही हैं जो प्राणीभाषा को अपने समान समझता है। (भन्ते)

पापिर समाज व्यक्तियों के मेल से ही बनता है और समाज की गिरिंग 'व्यक्ति के लाभ' के लिये ही हुआ है। अतः व्यक्ति के लाभेन्द्रना करके समाज न स्थायी रह सकता है, न उन्नत हो सकता है। हम ने समाज को मानवीय शरीर या एक घंट्र के समान बताया है और भिन्न २ व्यक्ति उस समाज-शरीर के पृथक् २ अङ्ग-प्रत्यक्ष हैं। या समाज राणी मरीन के भिन्न २ पुरुजे हैं।

यह मरीच क पुराजे निरूपण लोह के बने हों, तो क्या वह मरीच  
परी हो गयी है? शरीर क अङ्ग-प्रत्यङ्गों की दुबलता या विस्तृत  
पर भवित्व का दुर्बल या वक्षिष्ठ होना निर्भर है। कई इंद्रों की वृ  
त्ति शरीर की कर्णों होती है। मोनियों की कीमत से ही माला की चा  
टाई गयी है। निरूपण व्यक्तियों से बना हुआ, समाज और  
विज्ञान होगा।

२ इस यह अपितु मर्गीन में यदि कुछ पुरजे अच्छे थे तो वे और कुछ निकले लोडे हों, तो भी निकले पुरजे शीघ्र बिल्कुल जान क कारण वह सारी मर्गीन शीघ्र निकली हो जाए तुम पुरजे का बहिर्या होना उचित हो-जायगा। उमी प्रकार मर्गीन के यह तुम उचित अनुचित हो, पर साथ ही निकले की नहीं वह सभाग शीघ्र ही निकला हो जायगा। ३ करते ही आदाय अच्छा राना उचित की ओरलगा या गुणवत्ता दिलहरा।

जो वह दूर नहीं है इनका विचार, मात्रालाभ की दृष्टि  
से यह एक अवश्यकता है। यह दूरात अपेक्षा अधिक  
दूर तक जाने का विचार है जो विशुद्धता के अवश्यक  
का एक उपयोग है।

जैसे वृक्ष अपने फलो से पहचाना जाता है, वैसे ही समाज की कसौटी उसके व्यक्तियों का आचरण और शील है।

इस बात को यो समझिये। डाकू और लुटेरे मनुष्यों के भी गिरोह होते हैं। उनमें समाज के आधार-नियम भी काम करते हैं। परस्परभावना, सहयोग, परस्पराश्रितता और अपने साधी के लिये अपना जीवन तक बलिदान कर देने का अद्भ्य उत्साह और साइरस उनमें भी पाया जाता है। पर डाकुओं के गिरोह को कोई भी समाज का नाम नहीं देता और न उसे अच्छा समझता है। कारण कि उसमें व्यक्तियों का आचरण इतना निंदनीय और जघन्य है कि उनसे बने हुए समूह को भी कोई अच्छा नहीं समझता। वे लोग समाज के आधार-नियमों का अवश्य पालन करते हैं, पर वडी संकीर्ण और संकुचित दृष्टि से। वे दूसरों की हानि करके अपना लाभ करते हैं। यह स्वार्थ है। पर हितधातक निज-हित-साधन महापाप है।

इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि व्यक्ति की उन्नति और उत्तमता पर समाज की उन्नति और उत्तमता निर्भर है। सारांश यह कि जैसे व्यक्ति का जीवन और हित समाज पर निर्भर है, इसी प्रकार समाज का जीवन और हित भी व्यक्ति पर आश्रित है। एक अद्भुती की शिथिलता या धीमारी के कारण सारा शरीर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक भी व्यक्ति के खराब होने से सारा समाज खराब हो जाता है। ‘एक मछली सारे पानी को नंदा कर देती है’ की कहावत यहाँ पूर्ण रूप से चरितार्थ दोती है।

इस प्रकार व्यक्तित्व का विकास समाज का प्रधान कठोर्व्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिये व्यक्तियों का शिद्धाण्, उनमें सवाचाद भावना, आत्म-संयम, परहित-साधन का भाव, और कर्तव्य-परायणता

‘पादि सद्गुणों का भरना समाज का काम है। जो समाज जिसके इन गुणों के विनाश और अभिवृद्धि की सुविधाएं प्रदान नहीं कर सकता त्याहा है।

प्रत्येक व्यक्ति में अपना २ पृथक् आत्मा है। उसकी बुद्धि पृथक् है, और मन तथा मनोभाव भी पृथक् हैं। इस के साथ ही व्यक्ति यों की रचनाओं में भी ऐसे विचारमान है। उन का दृष्टि-कोण भी भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने इस ‘निजत्व’ को छोड़ नहीं सकता। लोगों नाहीं व्यक्ति नाहीं। वह इस ‘निजत्व’ को ‘अनन्य’ या ‘आद्यता’ के रूप में देना चाहता है। जब कोई हमें कहता है—“मैं तुम्हें आख्ती न देना चाहता हूँ” तो हमें वहन कोध आता है। मानो हम यह महन नहीं भरते ही कोई दूसरा हमारे ‘निजत्व’ का परिदान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकृति-प्रदत्त प्रबल पर्वं स्वाभाविक निजत्व को ही व्यक्ति अपना ‘व्यक्तित्व’ कहते हैं। इस का संरक्षण करना समाज का नियंत्रण है।

प्राचीन जातियों के इनिष्टायम में हम पढ़ते हैं कि कई वार ‘ममा’ ने अपने ‘प्रजानन्य’ की रक्षा के लिये व्यक्तियों पर धोर अवाहन दिया है। उन के व्यक्तित्व तथा व्यक्ति-यन स्वतंत्रता को समाज के लिये आवश्यक घोषणा की गयी है। व्यक्ति के रहन-भावन, मान-व्याप, वेष-भूमि आदि विवरण अवाहन अवाहन की रक्षा करना कहा जाया गया है कि व्यक्ति व्यक्तित्व की स्वतंत्रता कर दिया गया। इस प्रकार इस का साकार रहा है। वहाँ वीर अमृत या वृत्तिम गमको आने वाली जातियों के लिये इस व्यक्तित्व का मूल्यान भवत्य है। ऐसे गमाव के लिये इस स्वतंत्रता की और व्यक्ति ने गमाव के इस अवैर विषय पर धृति का दूरा प्रस्तुत किया। मनुष्य स्वतंत्रत्ववादी है।

आचार-विचार की गुलामी पसंद नहीं करता। उसे खुदियों की शृंख-  
लाओं में जकड़े रहना नहीं भाता। इस कारण आज का सभ्य समाज  
प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का मान करना और उस के विकास और  
संवर्धन के लिये पूरी सुविधाएं और सुश्रवसर जुटाना अपना परम  
पूर्ण व्य समझता है।

---

## व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य

व्यक्ति और समाज परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं, इस नियम को  
गली भाँति समझ लेने पर यह स्पष्टतया प्रतीत हो जायगा कि समाज  
ना उद्देश्य है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास और व्यक्तिगत-शील का  
उत्तराण, और व्यक्ति का आदर्श है समाज की रक्षा और समुन्नति।  
समाज अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये—व्यक्तित्व के विकास के लिये—  
व्यक्तियों को जो सुविधाएं देता है, उनका नाम है “अधिकार” और  
व्यक्ति समाज के लाभ के लिये जो कुछ करता है, उसे कहते हैं  
“कर्तव्य”।

दूसरे शब्दों में ‘व्यक्ति’ समाज से जो कुछ लेता है, वह उसका ‘प्रधि-  
कार है और वह जो कुछ समाज को देता है वह है उसका “कर्तव्य”।  
या यों कहिये कि समाज अपने लाभ के लिये व्यक्ति से जो मांगता है  
वह है व्यक्ति का कर्तव्य और व्यक्ति अपने लाभ के लिये समाज से जो  
कुछ मांगता है वह है उसका प्रधिकार। समाज की मांग समाज का  
अधिकार और व्यक्ति का कर्तव्य है, और व्यक्ति की मांग व्यक्ति का  
अधिकार और समाज का कर्तव्य है।

इस से स्पष्ट है कि ‘अधिकार’ और ‘कर्तव्य’ दोनों साध २ पलते

है। यदि समाज व्यक्तियों से कर्तव्यपालन की आशा रखता है— समाज को भी उन्हें कुछ अधिकार देने पड़े गे। इसी प्रकार यदि समाज ने हुन्दा अधिकार प्राप्त करता है—समाज से लाभ उठाना है— हाँ उसे भी कर्तव्यपालन के प्रति कुछ करना आवश्यक है। एक गारुदार को शुण मांगने का अधिकार तभी है जब उसने हुन्दा किया है। इस के लिये उसे शुण मांगने का अधिकार नहीं मिलता है। प्रत्यारुप गुणी को शुण चुकाने का कर्तव्य तभी है जब उसने हुन्दा किया है। न ऐसे पर हमें शुण चुकाने का कर्तव्य लागू नहीं होता। समाज की दशा में भी यही बात है। व्यक्ति समाज के प्रति हुन्दा कर्तव्य है तभी अनिसार प्राप्ति का उसे हक मिलता है। यदि वह करता है तभी, तो उसका अधिकार भी कुछ नहीं।

### अधिकार

परंपरा द्वारा व्यक्ति के गामान्य अविभागों का वर्णन करते हैं। वे अन्य शब्द हैं जो व्यक्तिगत के विस्तार के लिये निवान आवश्यक हैं— इन्द्रिय साध्र का उन्नत-विद्व अधिकार माने जाते हैं। ये मनुष्य के अन्य सभी भी मांग हैं। इनमें प्राप्ति में अर्द्धार्थी, दारीवी, अर्द्धार्थी और अनुरक्त या मृत्युंजा आदि की छोटी भावना कान में जमनी ने सम्मता के सूत्र अविभाग हैं। नीचे संक्षेप में इनका विवर दिया जाए—

(१) ज्ञानित रहने का अधिकार—प्रदंड व्यक्ति का उपर्याप्त ज्ञान दर्शाते हैं जिसके अधिक रहते हैं। 'ज्ञान' या 'ज्ञानि रहने' हुन्दा उन्हें ज्ञान के लाभ से लब ला जा है। मनुष्य में कुछ ज्ञान रहते हैं जो उन्हें संतुलन देता है; जीव इसे प्राप्ति में दिया जाता है। उन्हें कर्तव्य रहने के लाभ लाना गतिशील के बाहर यह निर्माण

अवश्य में किसी के जीवन का अपहरण नहीं कर सकता। इसके लिये दो वारें अपेक्षित हैं। एक तो जीवनोपयोगी परिस्थिति—शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध अन्न तथा प्रकाश, इत्यादि जीवन की आवश्यकताएँ—और दूसरे जीवनघातक उपद्रवों की शान्ति। रोग, हिंसक पश्च, हिंषा मनुष्य, दैवी प्रकौप आदि जीवन घातक चीजें हैं। अतः व्यक्तित्व के विकास के लिये शुद्ध वायु आदि जीवन की सर्व-साधारण आवश्यकताओं की पर्याप्ति मात्रा में प्राप्ति व्यक्ति की सर्व-प्रथम मांग है। और यह समाज का अकर्तव्य है कि वह निरीह वालक से लेकर बूढ़े तक और गरीब मजदूर से लेकर पूजीपति राजा तक सब के लिये इन पदार्थों के अधिकार को समान रूप से स्वीकार करे और इन का सुप्रबन्ध करे। दूसरे शब्दों में जो समाज किसी व्यक्ति या व्यक्तिसमूह को ऐसी परिस्थिति में रहने के लिये धार्य करे जहाँ वायु, प्रकाश, और भोजन आदि की यथेष्ट प्राप्ति न हो, या जहाँ जीवनघातक खतरा मौजूद हो, तो वह समाज व्यक्ति पर अत्याचार करता है।

प्राचीन समय में युनान देश में एक प्रथा थी जो व्यक्तियों के इस अधिकार को भली भांति प्रगट करती है। जो नानवाई या गूजर रोटी से या दूध में कुछ मिलावट करता था या तौल में कम देता था, उसके गले में एक रोटी बांध कर और उसका मुँह काला पोत कर तथा उसे एक ढेले में धिठा फर सारे नगर में घुमाया जाता था। प्रत्येक नागरिक उस का अपमान करता था। कारण कि उस नानवाई या गूजर ने 'व्यक्ति' के जीते रहने के अधिकार पर चोट लगाई है। इसी सारा समाज उसके विरुद्ध अपना क्रोध प्रगट करता था। भारत में भी साथ पदार्थों में मिलावट करना महापाप समझा जाता

ग्रनेक सभ्य देश का समाज या राज्य इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रियोप कानून और दण्ड स्थिर करता है।

(२) स्वास्थ्य—डाक्टरों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति ने प्रकृति इस सम्मारे भेजती है स्वस्थ होता है। आस्था वन्हे प्रकृति पैदा नहीं करती। सम्मार में आकर यदि बचा गया है तो यह समाज का दोष है। अतः स्वस्थ रहना मनु साम्राज्य का जन्म-मिहू अधिकार है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा का समाज का कर्तव्य है। यदि कोई समाज किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह - मजदूरों आदि—के स्वास्थ्य का ध्यान न रख कर उनमें बदला है तो वह अत्याचार करता है। अतः व्यक्तियों के स्वास्थ्य-नियम गफार्ड तथा पेश जल आदि का मुचाह-प्रबन्ध करना और स्वास्थ्य-विप्रातक उपद्रवों को शान्त करना भी समाज का कर्तव्य है।

(३) घर—मनुष्य के जीवन और स्थिति के लिये घर का ही नहीं परम आवश्यक है। जिम व्यक्ति के पास सिर छिपाने के लिये गोलान्तर और बर्पा आदि रोग आग करने के लिये, रोग और गोला आदि में आगम करने के लिये घर भी नहीं, उस के व्यक्तित्व का क्या लियाय हो सकता है? प्राचीन सभ्य में जब दामता की प्रवर्जनी थी, तब समाज के एक श्रेणी भाग को यह मूलिका प्राप्ति ही दी जाती है। प्रदूषक व्यक्ति का अपना घर होना चाहिए।

इन सब उत्तम-विधि अधिकार के उद्दाने का अविद्या यह है कि जटिल उत्तर दिली अधिक से आव लेना है—एक मजदूर की सम्पत्ति व्यक्ति का अपने लिये आदोग करना है—अब समाज का अपना है। अब वह इन्हें दृढ़ सम्पादन, पोगाक और वा-

प्रबन्ध करे। दूसरे शब्दो में उसकी सेवा के बदले में उसे कम से कम इतनी मजदूरी जरूर मिलनी चाहिये जिससे जीवन की ये अत्यन्त अपेक्षित आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

(४) स्वत्व का अधिकार—मनुष्य जो कुछ कराता है—जो जायदाद वह पैदा करता है उस पर उसका अधिकार होना चाहिये। समाज-हित के साथ जहां विरोध न आता हो, वहां व्यक्ति का स्वत्व निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जाय। यह स्वत्वाधिकार भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है॥

(५) शिक्षा—इनके साथ शिक्षा-प्राप्ति का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। समाज की ओर से जन्म, जाति और दरिद्रता आदि के नाम से यदि शिक्षाप्राप्ति पर प्रतिवन्ध लगाए जाएं, तो वे व्यक्तित्व के विकास के लिये घातक हैं। जो समाज अपने वर्षों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करता वह क्या उन्नत समाज होगा? उसके बच्चे अनपढ़, मूर्ख और निकम्मे रहेंगे और उनके मूर्ख रहने से वह समाज भी अनपढ़ और मूरखों का ही समाज गिना जायगा। इस लिये शारीरिक परिपुष्टि के साथ साथ बुद्धि और मनः शक्तियों का विकास भी नितान्त अपेक्षित है। आखिर संसार की दौड़ धूप में “बुद्धि” और विद्या का बहुत बड़ा हाथ है।

(६) स्वतन्त्रता—यह भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। सामाजिक वन्धनों की प्रचुरता से, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य के अभाव में व्यक्तित्व का विकास असंभव है। दूसरे, मनुष्य स्वभाव से ही स्वतंत्रता प्रिय है। परवशता या दूसरे की गुलामी उसे अल्परत्ती है। इसलिये समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने राजन-पान, रटन-सहन, वेषभूषा,

क्षेत्रान्तर के साम्यवादी इसे स्वीकार नहीं करते।

वान-चीत, चण्डिजन्यापार, व्याह-शादी, धर्म-संस्कार आदि के पास में सातों लोग चाहिए ।

रत्नविजया का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य जो कुछ चाहे करे । उसके हाथ में यहि बन्दूक है तो जिस किसी को चाहे मार दे, या ऐसा काम कर जिस में गार्वजनिक स्वास्थ्य या सुख का व्याघात होता ही नहीं तो उसका ठीक अर्थ है—मर्यादा या सीमा के अन्दर अपने आज्ञा नियार में स्वतंत्र रहना । गमाज को हानि पहुँचाने वाली अमर्गीति या निरकृति स्वतंत्रता नी मनुष्य को पशु बना देगी । स्वतंत्र का अर्थ ही है—स्व + तंत्र अर्थात् अपने आप पर अपना नियंत्रण या कानून में स्वतंत्र या प्रजा-तंत्र का अर्थ है जनता का राज्य इसी प्रकार स्वतंत्र का अर्थ है अपने पर अपना—अपनी आत्मा का—राजा । उस मनुष्य किसी और के हर से या ऐसे के लोभ से कोई काम करना, नी वह स्वतंत्र रह जाता है । जब वाहरी नियंत्रणों के बिना अपनी अन्तर्द्वारा वी प्रगति में समाजाविरोधी काम करता है तब वह स्वतंत्र रह जाता है । एक समाज-गान्धी के शब्दों में “समाज-हिति” विद्युत स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास को परिवर्ग करनी विद्युत ज्ञान और नियम के बिना अनियंत्रित स्वतंत्रता उगे पशु बने होंगे ।

एक सत्य राष्ट्र में अपनी रक्षा की स्वतंत्रता, आत्म-प्रमाणन्द की स्वतंत्रता, विद्युत ज्ञान की स्वतंत्रता, भाव-प्रकाशन की स्वतंत्रता, उत्तम विकास की स्वतंत्रता इसी समा आदि में अनेकांश हैं । एक दूसरा अर्थ वह है कि विद्युत साक्षरता के प्राप्ति के लिये वहाँ वहाँ विद्युत साक्षरता, विद्युत ज्ञान की स्वतंत्रता तथा अस्ताय की

आन्दोलन की स्वतंत्रता एवं किसी अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील फरने की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता आदि कई प्रकार की व्यक्तिगत व्यतिकरण एवं स्वतःसिद्ध अधिकार के रूप में अद्भुतीकार की जाती हैं।

(७) समता—जब प्रत्येक व्यक्ति समाज रूप से समाज का अङ्ग है—जब उस का उपयोग और सहयोग समाज के लिये समाज रूप से अपेक्षित है, तो समाज में उसका अधिकार भी समान होना चाहिये। समता का 'व्यवहार' उसकी स्वाभाविक मांग है।

सिद्धान्त को दृष्टि से “सार्वजनिक-समता” का भाव जितना उपादेय और सुर्त्य है, व्यवहार में उस पर आचरण करना उतना ही नठिन प्रतीत होता है। आखिर सभी व्यक्ति समान कैसे हो सकते हैं? मनुष्य-समाज में उच्च नीच के तारतम्य का भाव इतनी पुष्टकलता विद्यमान है कि यदि उसे हटा दिया जाय, तो शायद मनुष्य-समाज न काम चलना भी बन्द हो जाय। अतः इस सार्वजनिक समता—ग व्यक्ति मात्र के समान अधिकारों का यथार्थ अभिप्राय क्या है इस र थोड़ा सा विचार करना होगा।

एक स्कूल की श्रेणी में बीस विद्यार्थी पढ़ते हैं। परीक्षा में एक है ८० नम्बर आते हैं और दूसरे के ३३। तो क्या समान अधिकारों ग अर्थ यह है कि सब को एक जैसे नम्बर दिये जाएँ? क्या एक को १० और दूसरे को ३३ या इस से भी कम देना समता के सिद्धान्त के विरुद्ध है? नहीं, यह बात नहीं। यह अधिकारों की घात नहीं, यह योग्यता का माप है। परीक्षा एक तराजू है जिस ने प्रत्येक घालक नी योग्यता को तोल कर यता दिया है। जैसे शरीर का भार सब का कृ-सा नहीं होता, वैसे ही परीक्षा में सब के नम्बर भी एक से नहीं पास करते। नम्बरों का भिन्न-भिन्न होना लड़कों की योग्यता का

परिच्छेद सार है। समाज के अधिकार की बात यह है कि क्षेणी पतंग का लकड़ बैठने, उठने, बाहर जाने, अनुपस्थित होने और अस्था में पाठ रामगाने का रामान रूप से अधिकारी है। यह नहीं हो ॥” कि जामुक दात्र आणि क्योंक्य है, इस लिए यदि वह अनुपस्थित हुआ। तो उसे ॥ का आना दगड़ दिया जाय, और दूसरा विद्यार्थी जूँहि ॥ वह नाम लेता है, इस लिए उसे अनुपस्थिति का दो आना दगड़ मिले।

उसी प्रकार गमान में जागदाद, रूपया, और सम्पत्ति सहुण परिवर्मा और गागता के परिचायक हैं। उन के आधार पर ‘अनिवार्य’ में नियता रखना उचित नहीं। आमीर आदमी यदि किसी की ॥ १८, तो उसे क्षम दगड़ और गरीब आदमी किसी की हत्या की उसे अर्थात् दगड़ नहीं दिया जा सकता। इस आधार पर गार्व-जन सत्त्वा का अभिप्राय है—राज नियम—या कानून—का प्रत्येक शीर्षक नियम वाला कानून की दृष्टि से सवक्ता एक समान होना।

अमीरी नवा गरीबी भूमि और द्वाया के गमान गानवीय जी के उत्तरव और चक्रवर्ति हैं। ये सहुण की उत्तरियाँ हैं। गानवीय के दृष्टुदर्शन की भूमि है। एह स्थान पर महान्या मारिने का है—प्रत्यक्ष-दृष्टुदर्शन उस दृष्टुदर्शन से जही यन्ता तिन पर सहुण की जगह है। उत्तरी नियम वाली गमान का एह अद्वैत—एह दृष्टुदर्शन की दृष्टुदर्शन और कानून की बात के द्वारा का सा नियम वाला है।

इनी प्रकार नियमी एह नियम इस गानवीय का दृष्टुदर्शन है। एह एह नियम वाला का दृष्टुदर्शन है। एह नियम में गानवीय—प्रत्यक्ष-दृष्टुदर्शन की दृष्टुदर्शन वाले एह अद्वैत, एह ग

गैकरियां, और शासन में भाग लेने की सुविधाएं सब के लिये एक जी होनी चाहिये। जन्म, जाति और जायदाद आदि की विषमता के कारण। किसी व्यक्ति को इन बातों का अनधिकारी न बताया जाय।

कानून की समता तो बहुत दिनों से सभ्य समाज में आ चुकी है, पर राजनैतिक-समता की प्रगति बहुत धीरे २ हुई है। और अभी भी उस में बहुत कुछ उन्नति होने को है। राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का उदय है, पर राष्ट्र के अधिकारी चुनने में प्रत्येक व्यक्ति को बोट का प्रधिकार नहीं दिया गया। 'बोट' के लिये अभी काफी प्रतिवन्ध वेद्यमान हैं जो शनैः २ दूर हो रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सामाजिक समता भी मनुष्य का जन्म-सिद्ध अधिकार है। जाति-पाति और जन्म-सम्बन्धी विषमताओं को हटा कर 'समता' का स्थापन करना सामाजिक समता का अङ्ग है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति विशेष २ कार्मों के इसलिये अनधिकारी माने जाते थे कि उनका जन्म एक विशेष जाति में हुआ है। आज का सभ्य समाज इन संकीर्ण भावों को अद्वीकार नहीं करता। शक्ति और योग्यता के अभाव के कारण कोई अनधिकारी भले ही रहे, पर जाति और जन्म के कारण कोई व्यक्ति किसी उच्चाधिकार या कर्मविशेष का अनधिकारी नहीं।

फलतः सार्वजनिक-समता का सारांश यह है कि मनुष्य के साथ मनुष्यता के नाते से 'समता का अवहार' किया जाय। जन्म, सम्पत्ति और उच्चाधिकार के घमरड में कोई किसी को नीच या जघन्य न समझे और जन्म आदि के कारण किसी पर कोई प्रशक्तता न धोपी जाय।

प्राचीन समय की दासप्रथा और भारतवर्ष की अस्तुर्यता मनुष्य

को केवल जन्म के कारण कई नागरिक अधिकारों से वंचित रहती है। आज का सभ्य समाज मनुष्य को इन अशक्तताओं से मुक्ति देता है।

इसी प्रकार नर्तमान समता का एक अङ्ग 'पुरुष और स्त्री' समान अधिकारों से अद्भुत फर्क करना है। पहले समय में स्त्री के बाहरी अधिकारों से वंचित रखा जाता था—यहाँ तक कि उनके नाना, बाजार में उमका निकलना तक वंजित था। फिर भी स्त्री की कई अशक्तताओं को स्वीकार किया जाता था। पर अब नागरिक चिक्कान पुरुष और स्त्री में होने वाली अंतरिक्षाओं को स्वीकार नहीं करता। स्त्रियां भी समान अधिकारों के अधिकारियाँ हैं। हमीं के अनुगार अब उनकी बोट का अधिकार और नीमिलों आदि में सदस्य बनने का अधिकार मिल गया है। भवाद और व्यक्तिगत जीवन के अन्य पहलुओं में भी स्त्रियां पुरुषों के साथ समान स्वप्न में भाग ले रही हैं।

### कलेश्य

इस इस बात का क्षय कर आए हैं कि अनिकार और दोस्ती दोनों विषयों में हैं। इसे दो समझना चाहिये। जब प्रथम अनिकार है तो वह ज्ञानित हो, नो इसके माध्यमी प्रयोग व्यक्ति का बनता है। अनिकार के रूप में जागृत हो जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति विद्या की विविधता का अधिकार प्राप्त होता है। वही दूसरा अनिकार उसकी अनिकार विद्या के द्वारा देखने की विद्या है। इसके द्वारा व्यक्ति विद्या की विविधता का अधिकार प्राप्त होता है, जैसा ही उ

व्यक्तियों को भी है। फलतः मानवीय जीवन की पवित्र अधन्यता व्यक्ति का सर्व-प्रथम कर्तव्य है।

इसी प्रकार जब प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वह स्वस्थ रहे, तो इस के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्य बद्धक उपायों का अवलम्बन करे और स्वास्थ्य-चिघातक वातों को न करे। फलतः अपने घर, मोहल्ले, आम और नगर की सफाई और खाद्य पदार्थों में मिलावट न करना, वायु और जल की शुद्धि आदि के सम्बन्ध में सब कर्तव्य इस के अन्तर्गत हो जाते हैं।

छोटी २ वातों में भी इस कर्तव्य की पूर्ति आवश्यक है। एक मनुष्य यदि कमरे में या बाजार में थूकता है, या गली में कूड़ा कचरा आदि फेंकता है, तो वह अवश्य दुर्गंध और कीटाणु फैला कर अपने साथियों के स्वस्थ्य को खराद करता है। इसी प्रकार यदि एक व्यक्ति किसी जाल-न्होत में थूकता है या किसी और प्रकार से पानी को गंदा करता है, तो वह समाज के प्रति महापराध कर रहा है।

इसी प्रकार जब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह सबको स्वतंत्रता का उपभोग करने दे—किसी की स्वतंत्रता का अपहरण न करे। बल, धन और अधिकार के घमण्ड में छोटे-से-छोटे व्यक्ति की स्वतंत्रता की भी अवहेलना न करे। इसी प्रकार समता का अधिकार सब के साथ समता का व्यवहार करने और किसी से घृणा न करने के कर्तव्य में परिणत हो जाता है।

इस से स्पष्ट है कि सामाजिक अधिकारों की पूर्ति ही एक प्रकार से सब का सर्व-प्रथम कर्तव्य है। इस सम्बन्ध में नानारूप कर्तव्यों की नामावली नहीं दी जा सकती। जिस प्रकार व्यक्ति को समाज से लाभ अनन्त हैं, इसी प्रकार व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य भी अनन्त हैं।

जन गद का भूल यह है कि मनुष्य कोई ऐसा काम न करे जिसके गाँठों परीक्षा नहीं होती। अत्युत गदा ऐसा काम करें जिससे आधिक से-आधिक लोगों का आधिक-से-आधिक उपकार हो। परहित की चिन्ता न करें, के इन व्याधि-गिरजि के लिये कोई ऐसा काम करना जिस से दूसरी भी लानि हो, निरानन्द ह पाप है।

कहे नार आवाहनी से भी गन्धर्व 'गामाजिक पाप' का खेड़ा है।  
इसे यों समझिये। शिंग का गिलास या तोतल टूट गई है आप उसे  
ज्ञान व गति में फेंक देने हैं। वहाँ वह किसी बख के पाओं में चुम्ह  
जाती है और उसे छब्ब होता है। यह आप का दोष है। यदि आप हैं  
गवर्णरी की होती थीर आपने कृत्य पर निवार हिया होता तो आप  
उसे गति में दारिन देंहते। नागरिक-वावना की प्रेरणा यह है कि  
विदेश पर इनिष्टियूट बाब ढोने हिया जाय। कहे वर्गित केवल य  
हाथ-दूर दूर उद्देश दिलहूं अनायास बाजार में फेंक देने हैं। हमें  
वाह एवं वाल में यह दीर्घी दिन होती है और कर्ता व हिती का पात्र में  
हितर लगता है। हमें अवश्य दूसरी को हानि पहुँचनी है। इसीलिए  
प्रश्न इस का सर्वोत्तम के विषय-भाग से बचना नागरिक बावना ए  
मूल रूप होता है। समाज-किले सर्वोत्तम बचना इसका मूल संत्र है।  
वह इसके समाज-के विषय परायावरण का अंद्र है।

અને એવા જીવનની વિધાનો કે આપાં હો, તો તું જો કોઈ  
જીવનની વિધાનો કે આપાં હો, તુંની જીવનની વિધાનો  
કે આપાં હો, જો જીવનની વિધાનો કે આપાં હો, તુંની જીવનની  
વિધાનો કે.

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର ଅନ୍ତରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ଏହାର ଅନ୍ତରେ

सम्पादन और संग्रह करे जिससे वह समाज का उपयोगी अङ्ग बन सके। जो मनुष्य संसार को छोड़ कर—विरक्त हो कर—साधु बन जाते हैं और अपने जीवन निर्वाह के लिये समाज पर आश्रित रहते हैं पर अपने उपदेश या सेवा आदि के द्वारा समाज का कुछ भी हित-साधन नहीं करते, वे समाज पर भार-स्वरूप हैं। आज के नागरिक को सदा इस वात का ध्यान रखना चाहिये कि वह समाज का अधिक-से-अधिक उपयोगी अग बने। समाज-सेवा से आत्म-सेवा करे—समाज-सेवा को ही भगवान् की सेवा समझें, और समाज के हित से ही अपना हित सम्पादन करे।

**देश के प्रति**—जिस देश में मनुष्य रहता है, उसके प्रति भी उसके विशेष कर्तव्य हैं। देश अनन्त उपकारों को दृष्टि में रखते हुए, देश भक्ति एक अच्छे नागरिक का परम-कर्तव्य है। देश के हित के लिये अपने व्यक्ति-गत हित का परित्याग करना देश भक्ति है। जिस देश ने हमें जन्म दिया है, जहाँ के जल-न्वायु से हम जीवन प्राप्त करते हैं, उसकी रक्षा और समुन्नति करना सब का कर्तव्य है। देश में आत्मीय भावना की दृढ़ता इसका मूल है। हम अपनी माता से प्रेम करते हैं, इसलिये नहीं कि वह सब से विदुपी स्त्री है, या सब से अच्छी है, पर इस लिये कि वह 'हमारी' माँ है। इसी प्रकार अपना देश—चाहे सब से अच्छा न हो, चाहे इस में कुरीतियाँ और अविद्या हो तो भी—हमारी भक्ति का भाजन है, क्योंकि वह हमारा है। उसकी कुरीतियों को दूर करना, विद्या का प्रचार, उसे बाहरी लुटेरों के आक्रमणों तथा भीतरी उपद्रवों से बचाना, तथा उसे सब प्रकार से समुन्नत फसना और उसे राजनैतिक रूप में स्वतंत्र कराना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अपने देश की भक्ति का यह अभिप्राय नहीं कि दूसरों से घृणा की

नाम, या इसके देशों की हानि की जाए। प्रेम का अर्थ किसी रूप में भी चुल्हा तो नहीं हो सकता। आतः अन्तर्राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन करने से जीवित रहनी पड़ना चाहिए।

**राज्य के प्रति—**राज्य हम भव का रक्षक है। अराज्ञता व अन्युपर्याप्ति रह सकता। राज्य आपनी भेना और पुलीग के द्वारा इसका रक्षा, सम्पन्नि पौर देश की रक्षा करता है। उपर्योगी कानूनों व व्यवस्थाओं शासिति, मानविक और सामाजिक उन्नति का घटा है। अब राज्य के प्रति भी हमारे विशेष उच्छव हैं जिन में 'राज-भवि' है। राजनीय नियमों को गवाहत् पान्न करना एवं आपने उनका कर्तव्य ताकि व्यवस्था राज्य को सुखाया देना राज्य का एक उपर्याप्त कर्तव्य है।

बृद्धि के लिये ही बनाये गये हैं। बड़े २ नगरों की सड़कों पर सिपाही खड़े रह कर आने जाने वाली गाड़ियों को अपने २ हाथ पर चलने का संकेत करते हैं। कहीं २ चौक पर वे हमारी गाड़ी को रोक भी देते हैं। तो क्या यह कानून हमारी स्वतंत्रता को रोकता है? नहीं, ऐसा समझना भूल है। यह तो हमारी रक्षा के लिये है। यदि यह न हो तो कई गाड़ियाँ टकरा जाए और कई व्यक्तियों के जीवन का अन्त हो जाय। इसी प्रकार कड़े से कड़ा दीखने वाला कानून भी लोक-हित की दृष्टि से परम उपयोगी होता है। अतः कानून का पालन करना प्रत्येक नागरिक का सुख्य कर्तव्य है।

**टैक्स देना—राज्य-कर या टैक्स का यथावत् प्रदान करना हमारा कर्तव्य है।** हम राज्य की बनाई हुई सड़कों का प्रयोग करते हैं, उसकी पोलीस तथा सेना से लाभ उठाते हैं, और उसके न्यायालयों का प्रयोग करते हैं। तो इन सब के सञ्चालन के लिये राज्य को घन की आवश्यकता होती है। इसे राज्य कर या टैक्स के द्वारा प्राप्त करता है। प्रायः लोग टैक्स देने में आनाकानी करते हैं। यह कर्तव्य-च्युति है। राज्य-कर हमारे ही लाभ के लिये प्रयुक्त होते हैं। वे हमारी ही सुख-शान्ति के घटक हैं। इनको यथावत् देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।

### बोट और उसका प्रयोग

**बोट धूमा है—**मान नीनिये लाहौर के किसी स्कूल या पाठ-शाना में किसी छुट्टी के दिन मनोरूपन के लिये कहीं बाहर भ्रमणार्थ जाने का निश्चय हुआ है। अध्यापक लड़कों से पूछता है कि किस स्थान पर जाया जाय? अब कोई विद्यार्थी नहेगा, एवं शाहदरा-

प्राप्ति । काँड़ शानुगार नाम के पक्ष में होगा और शायद कोई नहीं  
या उत्तरा पक्ष या गोरावी-नहीं पर जाने को बढ़ेगा । मन की  
कीर्ति नित चलती है और मन का हठिं-झोण भी आजगा आजगा है । आजे  
गा तो पूछ दा सभी गुलियाँ होंगी । शेष तिगार्थी इन रात आनी के  
सम्भवता पर विचार करके आपनी दुर्लभि के जानुगार आपनी सम्मति  
देंगे । एकी दो छह निर्मल पर पहुँच जाएंगे और शायद कभी ऐसा  
नहीं होता होने जाय । कृद्रु भी हो इस प्रकार सम्मति प्राप्त  
करने को ही चाह देना कहते हैं । इस का अर्थ यह है कि इसी  
दृष्टि सम्बन्धमें आपना मन प्रश्नापूर्ण करना या राग देना खोट  
नहीं है । दूसरे शब्दों में “मन प्रश्नापूर्ण की मनव्रता के शारीकार”  
को बहुत बहुत है ।

हमें उन व्यक्ति की तरह उसी मिठाई से सन्तुष्ट होना पड़ता है, जो पिता ने अपनी इच्छा से—अपनी पसंद के अनुसार—उन्हें ले दी थी। यही बोट के अधिकार की विशेषता है।

राज्य प्रबन्ध में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के अधिकार का अर्थ यह नहीं कि राज्य की प्रत्येक छोटी २ वात के सम्बन्ध में सबसे अलग २ सम्मति प्राप्त की जा सके। ऐसा करना सम्भवतः असम्भव होगा। इसलिये हम अपनी सम्मति से कुछ एक योग्य व्यक्तियों को चुन लेते हैं जिनके सम्बन्ध में, हम समझते हैं कि ये हमारी सम्मति को प्रगट करने तथा हमारे हितों की रक्षा करने में समर्थ हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम अपना 'प्रतिनिधि' कहते हैं—अर्थात् शासन-सम्बन्धी वातों में वे व्यक्ति हमारी ओर से सम्मति देंगे। इस प्रकार बोट देने का सीधा अर्थ यह हो जाता है कि राज्य का प्रबन्ध करने के लिये अपने प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार। अपने प्रतिनिधियों के द्वारा मानो हम ही शासन कर रहे हैं। इस को कहते हैं—जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य-प्रबन्ध का संचालन या 'प्रतिनिधि-राजन्त्र'

बोट का अधिकार व्यक्ति के पास समाज को एक पवित्र अमानत है, जो घृत प्रयत्न, आन्दोलन और कष्ट महन करने के पश्चात् जनता को प्राप्त हुई है। इसे सदा समाज-हित के लिये ही प्रयुक्त करना चाहिये। हमारे देश के असंस्य महामना नेताओं ने घोर कष्ट, यातनाएँ और दुःख भोग कर, इस अधिकार को एमारे लिये प्राप्त किया है। उनके आत्म-त्याग और धर्मदान का फलस्वरूप यह अधिकार यदि अपने कुछ स्वार्थ के लिये बरता जाय, तो इस से घढ़ कर और कोई कृतमता न होगी। देश के नेता इस दंपर्दे में जेल जाते हैं, देश से निर्वासित किये जाते हैं और कभी र फांसी

पर मीलों पर रहा हुया जाता है। उनके परिणाम का फल हम चढ़ानेहैं। ऐसे स्थानों का दृष्ट हम देश और समाज के हित के लिये कार्य करारहे, जो ही हमें भी केवल देशहित की ध्वनि से प्रेरित होता है ताकि वह प्रवास उसका बाहिया। उनके अनोभन या प्रेम आधार भवित्व से प्राचीन इतिहास यहि हम आगों चोट का अनुचित प्रयोग करके छोड़ देता या भवनी मनुष्य को राज्य का प्रबन्ध करने का आधार देते, तो वह इतना अन्याय, पश्चात और समाजहित को नहीं देता, उन्हाँस करता, उम सार पाप की जिम्मेवारी हमारे उपर लाता।

अब जो भी स्थान भी पर्यावरणीय तरीका समझ कर पूरी बुद्धिमत्ता, विज्ञान और वैज्ञानिक विवार से ही ध्वनि से आहित। एह प्रौद्योगिकीय व्यवसाय भी यही परम्परा है।

---

है। सदाचार ही मनुष्य की कसौटी है और मनुष्यों के सदाचार की मात्रा पर ही समाज की भद्रता या अभद्रता निर्भर है।

स्वार्थ की अपेक्षा परार्थ का अधिक चिन्तन करना सदाचार का प्रथम लक्षण है। स्वार्थ सदाचार का सब से बड़ा शब्द है और परार्थ-संपादन सदाचार का सब से बड़ा मित्र। उत्कोच या रिशवत लेना, देश-न्रोह, विश्वासघात, अन्याय और पक्षपात आदि भयझर दुर्गुण सब स्वार्थ के ही नाना रूप हैं। सदाचारी मनुष्य अपने व्यवहार में अपने सुख, लाभ और आनन्द की अपेक्षा दूसरे के सुख, लाभ और आनन्द का अधिक ध्यान रखता है।

कर्तव्य-परायणता, या अपने कर्तव्य को अच्छी तरह और ईगान-दारी से पूरा करना सदाचार का द्वितीय लक्षण है। कई मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख रहना पस्त करते हैं। वे सदाचारी कर्मी नहीं कहे जा सकते। वे समाज के परम शब्द हैं। एक बार किसी ग्राम के हस्पताल में एक हैजे का रोगी पढ़ा था। उसके हाथ पांव ढर्हे हो गये थे। डाक्टर ने हस्पताल के परिचारक से कहा कि यह रोगी बहुत संकट में है। इसके जीवन की रक्षा का केषल एक ही उपाय है कि गरम पानी में तौलिया भिगो कर इसके हाथों और पांवों को लगातार दो घर्टे तक भसल कर गरम रख जाय। यह कह कर डाक्टर चला गया और परिचारक ने एक आध बार वही लापरवाही से उसके पांवों पर गरम तौलिया रखा और फिर बीड़ी पाने अलग बैठ गया। परिणाम यह हुआ कि रोगी की रक्षा न हो सकी। अब यदि परिचारक एक सभ्य नागरिक होता या उसने सदाचार की शिक्षा पाई होती, तो वह अपने कर्तव्य को पढ़चानता और रोगी की उचित दुखूषा करके उस के शारणों को बचा लेता। पर वह अपने ही सुख का विचार फर्खे—

मर्गी नन कर—डाक्टर के जाते ही कर्तव्य को ल्होड़ दैठा जिसे गंगी भी मनुषु हों गढ़ ।

इस प्राचार कर्तव्य-भावना की कगड़ी और स्वार्थ की मानवीयता से मनुष्य का अधिकान हो जाता है । इस कर्तव्य-परायणता का या । सब उसमान स्वता से आयेत्तिन है । एक डाक्टर, एक दुकानदार, एक गारा-मंत्री एवं धनेश्वर, एक जज, एक मजदूर, एक चौकीदार एवं रक्षाना एवं द्वारा या अधिकारक आदि आदि सभी यहि अपने अपने काम भी यहाँ गाय्य पूरा करें, तो ही समाज का काम चल सकता है । अर्थात् सार्वतंगे पहुँच कर यहि कर्तव्य से मुख सोड लें, तो एवं उन्हें उन्होंना कहीं कि समाज का क्या हाल हो जाय ।

**दृष्टिकोण -** यहाँ या द्विमानगणी भी मनुष्य के व्यक्तिगत सदृश्य का है, यहाँ आय है । भूट में या पांचे गंन न मनुष्य की प्रतीक्षा रहती है, न गाम हो गहरी है । भूट गें खोड़ भी काम नहीं चल सकता । भूट में कृषि भी रहे ताकि यहि बनत ही व्यवस्था है, वे भी भूट के लाल एवं लाल, लाल का लाल का स्वप्न रहे रहे ही रहते हैं । जाति वर्ग जैसे यहाँ भूट व्यवस्था है, व्यवस्था ग्राम भी कर सकता । ऐसे व्यवस्था है—यह यह ही लाल लाल गाया है ।

हँसते २ यथावत् पूर्ण करना और परहित के लिये आत्मत्याग और आत्मवलिदान आदि गुण आत्मनिग्रह से ही प्राप्त होते हैं। असंयत और ढीली आदतों वाला आलसी मनुष्य संसार में कुछ नहीं कर पाता।

शील इन सब गुणों के समुदाय का ही नाम है। एक शीलवान् व्यक्ति सभ्य, सस्कृत, और सुपरिष्कृत स्वभाव वाला होता है। वह उदार चरित, प्रसन्नवदन, मत्य और मितभाषी, विनीत और मृदु होता है। वह मन, वचन और कर्म में शुद्ध और कृतज्ञ होता है। कार्डिनल न्यूमैन महाशय ने एक शीलवान् व्यक्ति के लक्षण यो लिखे हैं—

“शीलवान् व्यक्ति का लक्षण ही यह है कि वह अपने मन, वचन, कर्म से कभी किसी को पीड़ा नहीं देता। वह आलसी नहीं होता। वह अपने किसी भी कर्म से अपने साथियों की दृष्टि में अखरना नहीं चाहता। अपनी शुद्धता पर स्वयं कड़ी दृष्टि रखता है। मत्भेद पर शत्रुता करना उसे नहीं आता। भावों के सघर्ष से वह वचता है। अपने व्यवहार से दूसरों को प्रसन्न रखता है। वह दुर्वलों से मृदुता, साथियों से भद्रता और दुष्टों से दयालुता का व्यवहार करता है। वह दूसरों का यथाशक्य उपकार करने से अपने आप को उपकृत मानता है। वह उपकार के प्रत्युपकार की इच्छा नहीं रखता। आत्मरलाघा उसके स्वभाव में नहीं होती। किसी की दुराई या निन्दा के सुनने की सहन-शक्ति उसमें नहीं होती। वह कभी कुछ नहीं होता। उसका मन सदा विशाल और उदार होता है। छोटी २ घात पर उसे क्रोध नहीं आता। उसका स्वभाव गम्भीर होता है। किसी के द्वारा पहुँचाई दुई हानि को वह याद नहीं रखता। स्वयं किसी का अपमान नहीं करता। वह धैर्यशाली और सहिष्णु होता है। वह दुःख में पवराता नहीं। उसकी शिक्षित और परिमार्जित बुद्धि वाद-विवाद में कभी उसे अशिष्ट

नहीं हुने देती। उसके विचार सचाई पर हो या गलती पर, पर उसकी जान लग कर आन्ध्राय या धोता नहीं देता। वह धर्म में आधार-प्रियानी कमी नहीं होता, न अपने से भिन्न धर्मानुयायी से उसे पूछा होती है। वह दया और डेमानदारी का भक्त होता है। धार्मिक आनंद-आनुष्ठान और भास्मिक उन्माद उसमें नाम मात्र को भी नहीं होते। नाशदः स वर सत्य और भद्र होता है”।

---

## व्यक्ति के अपने प्रति कर्तव्य

### (८) विलिष्ट और स्वस्थ शरीर

उत्तर हस्ते भजात के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्देश किया है। साधा नी इन्हि में आवश्यक गदानार के गुणों का भी व्याप्ति है, अरहग कुरु ऐसे कर्तव्यों का कथन करेंगे जो व्यक्ति के अपने प्रैर्थ्य अपने गरीब तथा गत और आत्मा के प्रति—कर्तव्य है। अरहग के लिये हस्ते यस्तु यह अपने गरीब के प्रति कर्तव्य—आपात व्यक्ति गरीब रह सकता, नहीं तर्क और हृष्ट-गृष्ट बनाता।

स्वस्थ विलिष्ट उत्तर गरीब नी स्वस्थता पर आधित है। गरीब विलिष्ट उत्तर गरीब नी स्वस्थ भर्त, सारे कर्तव्य और याता हुए कर्तव्यों का विवर हित विलिष्ट उत्तर है। विलिष्ट गरीब ही आमतः है, विलिष्ट गरीब नी स्वस्थ, उत्तर विलिष्ट उत्तर भासा नहीं कर सकता और उत्तर विलिष्ट उत्तर के अभाव गरीब गरीब होते रहते हैं। विलिष्ट गरीब ही आमतः है, विलिष्ट गरीब नी स्वस्थ, उत्तर विलिष्ट उत्तर के अभाव गरीब होते रहते हैं। विलिष्ट गरीब ही आमतः है, विलिष्ट गरीब नी स्वस्थ, उत्तर विलिष्ट उत्तर के अभाव गरीब होते रहते हैं।

सुख नहीं दे सकता। धन से भोजन के लिये स्वादु-से-स्वादु और बढ़िया-से-बढ़िया बहुमूल्य खाद्य पदार्थ प्राप्त किये जा सकते हैं, पर पाचनशक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। सोने के साधन—तकिया, गदेला और बढ़िया विस्तरा धन से मिल सकता है, पर नीद धन से नहीं खरीदी जा सकती। अतः उत्तम स्वास्थ्य प्रकृति की देन है। यह ईश्वरीय विभूति है और सुख-आनन्द का वास्तविक कारण है। नीचे हम संकेत रूप से स्वास्थ्य क कुछ मोटे २ नियमों का उल्लेख करते हैं।

**१. वायु—शुद्ध वायु का सेवन स्वास्थ्य का प्रथम नियम है।** पढ़ना, लिखना आदि अपने सभी काम शुद्ध और खुली वायु में करने चाहिये। दूषित वायु स्वास्थ्य को खराब करती है। जो मनुष्य बन्द कमरों में पढ़ते हैं, या खिड़कियां बन्द करके सोते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। दूषित वायु में सांस लेने से उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं और वे तपेदिक जैसी भयङ्कर व्याधि में ग्रस्त होने की सम्भावना से बच नहीं सकते।

**२. व्यायाम—शरीर को स्वस्थ रखने के लिये साधारण व्यायाम आवश्यक है।** प्रकृति ने मनुष्य का शरीर चलनेफिरने वाला बनाया है। जो एक ही स्थान पर बैठे २ काम किया करते हैं और खेल, कूद, भ्रमण, या डण्ड घैठक आदि के द्वारा व्यायाम नहीं करते, वे स्वर्य नहीं रह सकते। व्यायाम से अङ्गों में स्फूर्ति, और शरीर में ऊस्ती आती है। रुधिर शुद्ध होता है और फेफड़े धलचान् होते हैं। व्यायाम सदा खुली वायु में करना चाहिये।

**३. भोजन—शुद्ध, सादा तथा पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है।** प्रायः भोजन न करने से और अधिक भोजन करने से ही रोग उत्पन्न होते हैं। खाद्य पदार्थों में 'दूध' सब से उच्चम और

पूर्ण भोजन है। प्रकृति ने वन्ये के लिये 'दूध' को ही 'पूरी सुराहा' के रूप में प्राप्तन किया है। भोजन खुा आचल्ली तरह से जगा कर राज जाहिये। एक विश्व के शब्दों में "भोजन की इतना चवाना चाहिये कि उस गूता की तार से मिल कर पेय पदार्थ के समान पाना ना चाहा"। निया गमय पर भोजन करना चाहिये। जिस भोजन पर भिर भोजन करना, या एक ही गार मात्रा से अधिक या ताना तानिराख है। भोजन के पूर्व या एक दम बाद पानी न पीना चाहिये।

४. दून्ह—अपने दाँतों को दानून या घश आदि के हांग रखा रहा रहा। दाँतों के गन्दे रहने से पाचन-किया विकृत हो जाती है और ताना प्रकार की अ्यानिया लग जाती है।

५. आँखें—अपनी आँखों की पुरी रखा करो। उनसी बांकी की जीवनी हो जानी। बांधी टाड़ा की पुस्तकें न पढ़नी चाहिये। आप उसने जीवन में पूर्ण हो जाना कर कुछ दूरी की ओर बसु रहे हों नहीं चाहिये। इससे आँखों पर शराब कम पड़ता है। खुआई शू और जू-जू से अपने दो सदा बचाना चाहिये। पढ़त और लिखा दु प्रकार बहुत और से छाता चाहिये। जिस गणिमान याहत-गाँव, रुक्ष, सेहारा, लाडलू आदि पर भर्ते हुए न पढ़ना चाहिये।

६. वृक्ष-कट्टा और झींडे का प्रदंगन न करो। इन वस्तुओं का उपयोग जूते वा बूते की जाती रहने का बहुत चाहिये।

७. दूध दूध और लाल दूध नहीं। लालदूध पर देह है वा बाहर हो जाता है।

६. सदा अपने आप को किसी काम में व्यापृत रखो । यह स्वास्थ्य का एक रहस्य है । खाली रहना—कुछ न करना—पाप करना है । वीच २ मे थोड़ी देर के लिये आराम करना तो आवश्यक है, पर मन को खाली रखने से मनुष्य निकम्भी बातें ही सोचता है ।

१०. सदा प्रसन्न रहना भी स्वास्थ्य के लिये परम उपयोगी है । प्रसन्न रहने से रुधिर बढ़ता है और मस्तिष्क हल्का रहता है । मन मे विक्षेप और ज्ञोभ उत्पन्न नहीं होते ।

इस प्रकार इन साधारण नियमों पर आचरण करने से स्वास्थ्य की वृद्धि होती है । इस बात पर सदा ध्यान रखना चाहिये कि बीमार होकर डाक्टरों को फीसें देकर कड़वी दवाइया पीने की अपेक्षा यह अधिक अच्छा है कि नियम पूर्वक शुद्ध वायु के सेवन और व्यायाम आदि के द्वारा रोग को उत्पन्न ही न होने दिया जाय । रोग मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था नहीं । स्वास्थ्य मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है । स्वास्थ्य तो मनुष्य की प्रकृति से ही मिला हुआ है । ऊपर इस घात का संकेत किया जा चुका है कि प्रकृति सदा नीरोग घच्चे को संसार में भेजती है प्रकृति ने यह कभी नहीं चाहा कि मेरी बनाई हुई मशीन (शरीर) की मरम्मत मनुष्य करे । अतः स्वास्थ्य तो स्वतः प्राप्त और स्वतः सिद्ध स्वाभाविक घस्तु है । उसका स्थिर रखना और नाश न होने देना ही मनुष्य का कर्तव्य है ।

यह भी याद रखना चाहिये कि स्वास्थ्य-हीन जीवन एक भार मात्र है । अस्वस्थ व्यक्ति दूसरों का तो क्या भला करेगा, अपने जीने के लिये भी वह सदा दूसरों का मुहताज रहता है । उस जितना दुखों और कोई नहीं । धन के बिना मनुष्य रह सकता है—यद्ये २ काम भी कर सकता है, पर स्वास्थ्य के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं । आग्निर

वारारे पर पटे २ जीवन व्यतीत करना भी कोई जीवन हे ? इसकी सारा की रक्षा म आड़ी गावधानी से यत्नवान् और सतर्ह चाहिए । उद्दे वार एक छोटा सा प्रलोभन, ज़िनान का जरूरा य या तो आत्म इच्छा की वृत्ति स्वास्थ्य को विगड़ देती है । इसके लिये इन सा प्रलोभनों और स्वादों पर चश रमना चाहिए जो वासने प्राप्त अधिक नीगार रहते हे ।

आदिर सामार के कार्य स्वयं मनुष्य ही कर सकता है। गोपी-श्री  
महान् तारामा, क्षमा गो लाला निकालमा तथा वगिजन्यापार  
मार्ग परम्। आदि सामार के सारं महान् कार्य स्वयं मनुष्यों के  
ही न होते हैं। अस्या मनुष्य तो भास्तव है। अतः स्वामीन्देश  
के नाम से यह भी है।

### (ग) यलवान और स्वस्थ मन

महार और वनवान शरीर के साथ मनुष्य का मन भी इसी  
दृष्टिकोण से होता है। महि मनुष्य शरीर 'जीवन' का मुख्य अंग  
हो जाता है। जीवन की ममतामनि और विद्या का मुख्य ग्राहक  
होता है। यह एक व्यक्ति लकड़ी की बहना है, पर मात्र शरीर से  
मनुष्य के दृष्टिकोण से मनुष्य मात्र में यह बन जाता है। ऐसी गिरि-  
जाएँ जहां वह अपनी उम्मीद को बहना है तो ग्राहक और दृष्टि  
कोण एक ही होते हैं।

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਅਤੇ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਿ  
ਅਨੁ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂ  
ਦੇ , ਅਥਵਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ  
ਦੇ ਅਨੁ-ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ

सोचने की आदत मानसिक विकास की प्रथम सीढ़ी है। किसी चक्षु को देख कर, किसी समस्या को सुन कर उस पर गहरा विचार करने से मन की शक्तियों का विकास होता है। एक देहाती टेलीफोन को देख कर सोचता है, यह क्या है? कैसे इतने दूर से घाते हो रही हैं? पर इन्हीं पर ज्ञानिक आश्रय प्रगट न करके यदि वह गहरे विचार से इन 'क्यों' और 'कैसे' के उत्तर पाने का प्रयत्न करता है, तो निःसन्देह वह अपने मन और मास्तिष्क को बढ़ा लेता है। कई वैज्ञानिकों की जीवनी में इम यह पढ़ते हैं कि वे विना किसी स्कूल या कालेज की शिक्षा के, इसी प्रकार के 'क्यों और कैसे' के प्रश्नों द्वारा अपने मस्तिष्क का विकास करके बड़े २ आविष्कार कर्ता हुए हैं<sup>१</sup>।

**सत्य और असत्य का विवेचन—बलवान् और स्वस्थ मन का लक्षण** यह है कि उसमें सदा सद्विवेक की शक्ति उत्पन्न हो जाय और वह भले-झुरे में भेद समझ सके। सत्य और असत्य दोनों को अपने २ ठीक रूप में जान सके। इसके बिना ठीक निर्णय तक पहुँचना मनुष्य के लिये असम्भव है।

यह समरण रखना चाहिये कि हर घात के दो रूप होते हैं जिन्हें हम कहते हैं “चित्र के दोनों पहलू”। मनुष्य में इननी प्रबल मनन शक्ति होनी चाहिये कि वह सदा हर घात के दोनों पहलुओं पर विचार करके ठीक निर्णय तक पहुँच सके। इसके अभाव में मनुष्य ‘सहज-विद्यासिया’ बन जाता है और संसार में बहुत बार धोखा रा जाता है। किसी को धोखा देना अगर धूर्तता है तो किसी से धोखा राना निःसन्देह मूर्खता है। इस प्रकार का ‘सहज-विद्यासिया’ मनुष्य शोघता

<sup>१</sup> इनकी जीवनियों के लिये लेखक द्वारा हिन्दी में द्वन्द्वित “विज्ञान के आविष्कारक” नाम पुस्तक द्वये।

मेरे दूसरे के गहराने मेरा आजाता है। एक अनपढ़ देशाती को एक जांच पर वह दिया जाय—सर या भूठ—उस के लिये वह पत्थर लगाती हो जाता है और वह उसी पर आड़ा रहता है। कहते हैं गूर्ख प्रश्न भी नहीं गमगता सकता। हमारे विचार में गूर्ख उसको नहीं जिम्मा में लूटा नहीं, अपितु गूर्ख उसी को कहते हैं जिस में सभी व्यक्ति के लिए न की शक्ति नहीं।

न केरत छपाड़ देहाती, अपितु कई बार बहुत से पैर फिटा-  
योंगों न भा गत मनन शक्ति वही दुर्बल मात्रा में पाई जाती  
जोर ने कहाँ की गदगद तक पहुँचने का यत्न न करके एह घोर  
वा पर विषयम छु लने हैं। इस प्रकार के मनुष्य न आपत्ति करने  
द्वारा अपने कर गए हैं, न वे रामाज के लिये उपयोगी हैं  
हैं। वे अपना रखते हैं। यदि एह अमननशील व्यक्ति जो विष  
द्वारा अनुचयों पर चिनार फैले की शक्ति नहीं रखता, अपने परि-  
कारी नहीं है, या फिरीका चाहेटमास्टर है, या फिरी मंथा  
इन्हें या उत्तराध्यम से भड़ा है, या आन्य फिरी उच्च आर्द्धा  
बर्फीला है, तो एह कठीय गान पर शीघ्र रिक्षाम कर लें गे  
क्योंकि एह दीुति की स्त्री रह सकता। निष्ठा और लाप-  
तवाः फिर इह 'अमननशील विषार' या गुरांसीउद्दिष्टों  
की ओर दौड़ देंगे।

શુદ્ધ અને પૂર્ણ અને સતત વિજીવિત, એવી જીવિતી માટે હશે  
યે જીવિતી જે કોઈ રૂપની આધુનિકતાની અનુભૂતિ નથી તો તે  
અનુભૂતિ નથી તો એ જીવિતી વિચિત્ર હોય કે તે જીવિતી એ જીવિતી  
નથી એ જીવિતી એ જીવિતી એ જીવિતી એ જીવિતી એ જીવિતી એ

बीसियों नमूने देखने पर वह अपनी कमीज़ के लिये कौन सा कपड़ा खरीदे इस का भी निर्णय शोध नहीं कर पाएगा। निर्णय के अभाव में भनुष्य की इच्छा-शक्ति का भी विकास नहीं होता। और जिसकी इच्छा-शक्ति दुर्बल है वह संसार के किसी काम में सफल नहीं हो सकता।

**शिक्षा**—अपर हमने मन की शक्तियों की आवश्यकता का चर्चा किया है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पढ़ने-लिखने और सोच-विचार की आदत किस प्रकार पड़ती है और मनः-शक्तियों का विकास कैसे होता है?

यह काम शिक्षा 'का है। शिक्षा का अर्थ ही मनः शक्तियों का शिक्षण या विकासन है। अध्यापक, माता-पिता और मित्र भण्डल सब हमारी शिक्षा में भाग लेते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक स्वतंत्र पुस्तकें विद्यमान हैं। पर नागरिक शिक्षा की कोई पुस्तक इस विषय को अछूता नहीं छोड़ सकती। अतः शिक्षा के सिद्धान्तों का यहां संचेप से दिग्दर्शन कराया जाता है।

वास्तविक शिक्षा का यह अर्थ नहीं कि हम पुस्तकों को घोट लें, या दो-चार भाषाओं को सीख लें। भाषाओं का ज्ञान और शिक्षा दो भिन्न र वस्तुएँ हैं। पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान को जब तक मनन करके हम श्रात्मसात् नहीं कर लेते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है—‘निटिश म्यूजियम’<sup>६</sup> की सारी पुस्तकें आद्योपान्त पढ़ जाने के बाद भी भनुष्य

<sup>६</sup> निटिश म्यूजियम संसार का सब से यदा पुस्तकालय है, जिसमें संसार की प्रत्येक पुस्तक का संग्रह है। भारत में नियम जितनी पुस्तकें छपती हैं, उनकी एक प्रति उक्त पुस्तकालय में भेजने के लिये सरदार झोंदे का नियम है।

पर्याप्त है और यह घड़ी सावधानी से उसके सम्बन्ध में इन्हीं  
रहना चाहिए है। उसके सम्बन्ध में अणुमात्र भी मतभेद मौजूद  
भए नहीं होना। यहाँ 'वैद्विक युक्ति' के अभाव में उसकी रक्षा  
'पारिश्रम इति तीय युक्ति' में की जाती है। पारिश्रम विज्ञान  
गणित में लगाड़-भगड़े, हत्याकाशड और युद्ध इसी व्यूपन  
प्रकारिताएँ आगे आरग्न होते हैं। हमारी वित्ती ठीक उन इन्हीं  
शास्त्रों हैं जो हाला ऐप्पल 2 अप्लॉड को टटोल कर हाथी गा।  
अप्पल ने पर भगड़ने थे। वस्तुतः प्रत्येक धर्म में सचाई है।  
सचा को इच्छा करने वी सचाई का पूरा स्वप्न निश्चिन दिया जाता  
है। यहाँ यहाँ नी गणपात्र-भावना, मिस्त्र धर्म की भक्ति, इत्यादि  
हमारे धर्म गंधर्व और दृमात्र धर्म की मेवा वृत्ति, यदि इन  
इच्छाकर दिया जाए, तो वस्तुतः एक आदर्श-समाज जानकी  
हो सकता है।

बीसियों नमूने देखने पर वह अपनी कमीज़ के लिये कौन सा कपड़ा खरीदे इस का भी निर्णय शीघ्र नहीं कर पाएगा। निर्णय के अभाव में मनुष्य की इच्छा-शक्ति का भी विकास नहीं होता। और जिसकी इच्छा-शक्ति दुर्बल है वह संसार के किसी काम में सफल नहीं हो सकता।

**शिक्षा**—ऊपर हमने मन की शक्तियों की आवश्यकता का वर्णन किया है। अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि पढ़ने-लिखने और सोच-विचार की आदत किस प्रकार पड़ती है और मनः-शक्तियों का विकास कैसे होता है?

यह काम शिक्षा 'का है। शिक्षा का अर्थ ही मनः शक्तियों का शिक्षण या विकासन है। अध्यापक, माता-पिता और मित्र मण्डल सब हमारी शिक्षा में भाग लेते हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक स्वतंत्र पुस्तकें विद्यमान हैं। पर नागरिक शिक्षा की कोई पुस्तक इस विषय को अद्यूता नहीं छोड़ सकती। अतः शिक्षा के सिद्धान्तों का यहां संज्ञेप से दिग्दर्शन कराया जाता है।

वास्तविक शिक्षा का यह अर्थ नहीं कि हम पुस्तकों को घोट लें, या दो-चार भाषाओं को सीख लें। भाषाओं का ज्ञान और शिक्षा दो भिन्न २ चर्चुएँ हैं। पुस्तकों में पढ़े हुए ज्ञान को जब तक मनन करके हम आत्मसात् नहीं कर लेते, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध लेखक रस्किन ने एक स्थान पर लिखा है—‘ग्रिटिश म्यूजिंग्रम’<sup>५</sup> की सारी पुस्तकें आद्योपान्त पढ़ जाने के बाद भी मनुष्य

५ ग्रिटिश म्यूजिंग्रम संसार का सब से यदा पुस्तकालय है, जिसमें संमार की प्रलेक पुस्तक का संग्रह है। भारत में नित्य यितनी पुस्तकें लूपती हैं, उनकी पृक्ष प्रति उक्त पुस्तकालय में भेजने के लिये मरकार दो देने का नियम है।

‘चापड़’ और प्रशिक्षित रह सकता है, और सोच-विचार कर सकता है। इसी अच्छी पुस्तक के दस-बीस पृष्ठ पढ़ कर भी वह शिक्षा ले सकता मरुता है”। इस से स्पष्ट है कि पुस्तक-पठन-मात्र को शिक्षा नहीं करता। यात्रा की मनःशक्तियों का विकास जिसके द्वारा होता है।

शिक्षा एवं साधारणगति; दो प्रकार माने जाते हैं। एक को कहते हैं—“प्राप्ति गते तत्-प्रकार या निर्णयात्मक शिक्षण” और दूसरे को कहते हैं—“संतोष गते प्रकार या विश्लेषणात्मक शिक्षण”। इन्हें यो समझना आवश्यक है। पहले गति अपने व्यालक को उठा कर सब स्थानों की ओर जाता है। यात्रा ने पिता की गोदी में बैठ कर स्थान देख लिया—जहाँ जाना चाह तो ग्राम हो गया। वह शिक्षा का परामर्श संतोष गति प्रकार है। द्वितीय व्यक्ति व्यालक जो गोदीमें लटी उठाता। वह जो भी जाना है और युद्ध दिन तक उसके बायर २ जलता है, वह उसे जाना दिलाने के लिये और उसकी रक्षा के लिये। इस रो यात्रा न कर सकता है। यह ही और संतोष गते के स्थानों को सभी देखने की आवश्यकता है। इसे शिक्षाएँ स्वर्णितन प्रकार कहते हैं।

इसके द्वितीय यह स्थानों के दिलान और तन्त्र को बात करना है। यह दूसरी शिक्षा है—जो कोई जगत में बढ़ते हैं तो उसे जाना है। उसका जानना समय और “निर्णयात्मक धारक” को या “निर्णय देने के लिये जितनी ज्ञानिति जो रखा जा सकता है”। यह ज्ञान ज्ञान की जगत में जानने के लिये समझदार की जगत है। जो ज्ञान ज्ञान के लिये जो जितने के लिये जाना है वह ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान की जगत है। ज्ञान ज्ञान की जगत है। ज्ञान ज्ञान की जगत है।

अब यदि अध्यापक निर्णीतार्थ के रूप में उन्हें बता देता है कि “प्रारब्ध” बलवान् है या “पुरुषार्थ” बलवान् है, तो दोनों ही अवस्थाओं में वालक अध्यापक की बात पर विश्वास कर लेगें। परिणाम यह होगा कि वालकों में सोचने की शक्ति की वृद्धि नहीं होगी। हाँ, मस्तिष्क में विश्वास के रूप में एक और एकपक्षीय—अतएव हानिकारक—ज्ञान की वृद्धि हो जायगी।

आज कल के शिक्षा-शास्त्री इस प्रकार पर अधिक विश्वास नहीं रखते। वे वालक के मस्तिष्क को अपने विचारों से भरना नहीं चाहते। वे वालक में स्वयं सोचने की शक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। वे किसी समस्या का निर्णय नहीं देना चाहते। वे समस्या के गुण-दोषों का विश्लेषण कर देते हैं और उन पर गहरा विचार करके निर्णय तक पहुँचने का काम विद्यार्थी पर छोड़ देते हैं। वे वालक को स्वयं चलने देते हैं और आप केवल मार्गदर्शक या सहायक के रूप में साथ रहते हैं।

वस्तुतः शिक्षा का यह दूसरा प्रकार ही ठीक है। कारण कि अध्यापक सदा वालक के साथ नहीं रहता। बच्चे को गोदी में उठाकर ज्ञान कराने वाला पिता न तो सब स्थानों पर जा सकता है और न सदा वालक के साथ रह सकता है। अतः उचित यही है कि पिता उसमें चलने की शक्ति पैदा कर दे और उसे स्वयं चलने दे। जो अध्यापक पुस्तकों पर अधिक जोर देते हैं और अपने विचार वालक के मन में फूँसने का यत्न करते हैं, वे वस्तुतः वालक को मानसिक रूप में अपाहृज बनाते हैं। अतः अध्यापक का काम फेवल पथ-प्रउर्शन तथा मनः शक्तियों को व्यायाम देना मात्र है। दीपक दिखाना उसका काम है, वस्तुओं को देखना स्वयं वालक का काम है। क्या कभी धर्म मनुष्य पानी में तैर सकता है जिसने स्वयं स्वसंवेदन के प्रकार से तैरना

तरी तूहि दा खोर जाय हा शिवार के कलं पर नीड कर ही नदिया पार  
जाऊ रुजु आ?

२८ शिवा रा गर्भांशु पक्ष सारं इच्छारात्र है। इसी के  
द्वारा यह जीवात्मा विकल्प होता है। इसी रो आत्मविद्यारा की  
प्रकृति होती है। अत्यन्त इच्छा रो आत्मासाधन का मात्र विकल्प होता  
है। २९ अथात् यह ही व्याकुल रा गगु ति विद्या हो पाता है।  
इसी अन्त रा इति व्याकुल रा विद्यारी बनता है।



# राज्य-तंत्र

## मनुष्य और राज्य

राज्य के बिना मनुष्य का जीवन सुखी, शान्त और सुरक्षित नहीं, रह सकता। अराजकता में मनुष्य का व्यक्तित्व विकसित नहीं होता। नियम और व्यवस्था के लिये राज्य का होना नितान्त आवश्यक है। अपने जीवन में मनुष्य पग पग पर राज्य के साथ संपर्क में आता है। वह राज्य की बनाई हुई सड़कों का प्रयोग करता है। राज्य से संचालित विद्यालयों में पढ़ता है। राज्य के हस्पतालों से दवाई लेता है। लेन-देन के व्यवहार में वह राज्य की अदालतों में जाता है। गांव में उसे पटवारियों से काम पड़ता है। शहरों में सहस्रों घार उसे पोलीस तथा अन्य अधिकारियों के संपर्क में आना पड़ता है। वह नित्य शात या अश्वात रूप में राज्य के नियमों का धधावत् पालन करता है और राज्य के कानून उसकी—निरीह, नव-जात या गर्भस्थ घालक तक की भी—नित्य रक्षा करते हैं। इस से स्पष्ट है कि मनुष्य का राज्य से अत्यन्त धनिष्ठ सम्बन्ध है। इस लिये राज्य और उस के शासन-विधान के सम्बन्ध में साधारण जानकारी रखना प्रत्येक सभ्य नागरिक के लिये आवश्यक और चांद्रनीय है।

## राज्य का लक्षण

इंग्लैण्ड के प्रस्त्यात राजनीतिश लार्ड बर्क (Burke) के शब्दों में 'राज्य मानवीय आवश्यकताओं की सुरक्षा' के निमित्त मानवीय

पुराण की योग्यता मान है। इस का आर्थ यह है कि मनुष्य  
प्राण से जन्मे होने की योग्यता नहीं है, जिससे काम करने  
का लाभ न होता—पाणी रवा, शाही और सूक्ष्मवस्था—को  
नहीं है। व्याध अभी न राजा न हो सकता योग्यता है जिससे जन्मता  
हो सकता है और गुरुत्वात्मा बिल्कुली है। इसी ही अधिकारी भाषा  
में उपर देख दें। वार्ता या जनता ने शक्ति-और विजय-प्र  
देश का देह ही है। किंतु सर्व-विजयकी नियमों के बनाने व  
जूने के द्वारा जनता शायद राजा का ही राजा कहने हैं। एक शाय  
द राजा का द्वारा जनता का उपरांगा उपरांतामर्गी को राजा  
कहने की ज़रूरत है।

नियम घनाना तथा जनता से उनका पालन करवाना और नियम भङ्ग करने वालों को दण्ड देना राज्य का काम है।

द्वितीय आवश्यकता का अर्थ है—राष्ट्र को भीतर के चोर और ढाकुओं आदि के उपद्रवों से बचाना, तथा बाहर के आक्रमणों से सुरक्षित करना और विणिज-व्यापार तथा औद्योगिक धन्धों के द्वारा राष्ट्र की सम्पत्ति और ऐश्वर्य को बढ़ाना। अर्थात् राष्ट्र की रक्षा एवं सुव्यवस्था के लिये पोलीस और सेना आदि का रखना और विणिज-व्यापार को समन्वन्त करने के प्रकार नियंत्रण आदि काम राज्य के अधीन हैं।

तृतीय आवश्यकता का अभिप्राय यह है कि राष्ट्र में विद्या, कला, आदि के विकास और उन्नति<sup>१</sup> के द्वारा मानवीय संस्कृति का प्रचार किया जाय। अर्थात् राष्ट्र में विद्या-प्रचार आदि के लिये सूल, फालिज, युनिवर्सिटियाँ तथा अन्य वैज्ञानिक-संस्थाओं का चलाना और ज्ञान-विद्यान के अनुसन्धान तथा उन्नति के लिये सुविधाएं जुटाना भी राज्य के कर्तव्यों में से है।

राज्य के इन कर्तव्यों को उपयोगिता के अनुरोध से दो भागों में बांटा जाता है—

१. मूल कर्तव्य या नित्य कर्तव्य।

२. स्वाभाविक कर्तव्य या गौण कर्तव्य।

— मूल कर्तव्यों से अभिप्राय उन कर्तव्यों से हैं जिनका करना राज्य के लिये अनिवार्य रूप से आवश्यक है, और जिनके न करने से राज्य राज्य नहीं कहा जा सकता। इनका पूरा करना राज्य का सर्व-प्रधम और सौलिक काम है। प्रत्येक व्यक्ति के प्राणों तथा जायदाद वीर नियम, न्याय, सुव्यवस्था और शान्ति का सचालन, देश से भी



और व्यक्तिगत कार्यों में व्यक्ति को स्वतंत्रता रहनी चाहिये। इसी लिये हमने इनको गौण कर्तव्यों में रखा है। राज्य का हस्तक्षेप उतना ही सह्य है जिससे व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य तथा उत्साह का नाश न हो।

---

## राज्य की प्रणालियाँ

राज्य-शास्त्र के प्राचीन ज्ञाताओं ने राज्य की तीन प्रणालियों का उल्लेख किया है। 'एक-राज-तंत्र' (मौनकी या धाटोके सी), 'शिष्टजन-तंत्र' (अरिस्टोके सी) और 'प्रजा-तंत्र' या जन-तंत्र (डैमोक्रेसी)।

'एक-राज-तंत्र' प्रणाली में सारी शासन-सत्ता एक मनुष्य के हाथ में होती है। उसे राजा या अधीश्वर कहते हैं। इसके दो भेद हैं। अनियमित या अमर्यादित एकाधिपत्य-(एब्सोल्यूट मौनकी) और नियमित। परिच्छिन्न राज-तंत्र, (लिमिटेड मौनकी)। अनियमित राज-तंत्र 'राजा की इच्छा' या 'राजा का वाक्य' का नून है। घरी कानून का र्माता, वही उस का प्रयोक्ता और वही दण्ड-विधाता है। वह प्रजा के त का एकमात्र प्रभु है। निप्रहानुग्रह का वह स्वयं कर्ता है। इस की 'वपौती' या जही जायदाद समझा जाता है और लोगों यह विश्वास रहता है कि ये अधिकार इसे परमात्मा की ओर से मिले हुए हैं और यह ब्रह्म की ओर से ही इमारा राजा बना कर जा गया है। सक्षेप में राजा के हाथ में आसीम और अनियन्त्रिता। शासन-सत्ता रहती है। प्राचीन संसार में इसी राज-तंत्र का प्रचार था है और राज्य-सत्ता का उद्गम और विकास इसी एकाधिपत्य ने अरम्भ हुआ है। राम, अशोक, अकबर आदि सभी एकाधिपति राजा थे। उन्होंने अपने संघरित और सुशासन के द्वारा प्रजा के



होकर राज्य करे तो उसे 'शिष्टजनतंत्र' न कह कर 'दुष्टजनतंत्र' या 'दलवंदी' कहते हैं।

जनतंत्र में जनता राज्य करती है। यह "जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिये राज्य" कहा जाता है। इस में जन-साधारण के हित का पूरा विचार किया जाता है। सब कानून जनता के हित की दृष्टि से बनाये जाते हैं और उनके बनाने में जनता का अपना हाथ होता है। वर्तमान युग में इसी रीति को सर्व-प्रधानता प्राप्त है। इसके दो भेद किये जाते हैं। एक साक्षात् प्रजा का शासन (डाइ-रेक्ट डैमोक्रेसी) दूसरे प्रतिनिधि-तंत्र या जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा शासन (रिप्रिजेलेटिव डैमोक्रेसी)।

प्रथम प्रकार में सारी जनता इकट्ठी होकर शासन का काम करती है। यह बात छोटे २ राष्ट्रों में ही चल सकती है, जहाँ राष्ट्र की परिधि और संख्या बहुत ही थोड़ी हो। आजकल इस के दर्शन स्विट्जरलैण्ड की छोटी २, रियासतों में तथा उत्तरी अमरीका के न्यूहगलैण्ड नामक प्रदेश में ही मिलते हैं। प्रतिनिधि-तंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि चुन देती है और वे प्रतिनिधि ही जनता की ओर से शासन-प्रबन्ध करते हैं और अपने व्यवहार के लिये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता को थोड़े २ समय के बाद नये प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता है, जिससे सत्ता का धार्तविक अधिकार सदा जनता के हाथ में ही रहता है। इंग्लैण्ड ने अपनी शासन-प्रणाली में इन तीनों वार्तों का सम्यक् समावेश किया हुआ है। वहाँ का राजा 'एकाधिपत्य' का चिह्न है, हाउस ऑफ लार्ड्स शिष्टजन तंत्र का अवशेष है और 'हाउस ऑफ कामन्स' जनतंत्र का सारांश स्वरूप है।

इस जनतंत्र का कुत्सित रूप यह है जिसमें प्रतिनिधि अपने और



कानून बना सकते हैं और पुराने स्थगित कर सकते हैं। इंग्लैण्ड में यही परिवर्तनशील प्रणाली दृष्टिगोचर होती है। वहां प्रणाली के संबन्ध में यदि कोई नया विल पालियामेट में पास हो जाता है तो वह कानून बन जाता है और उसके आधार पर प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है।

एक और आधार पर हम चर्तमान राज्य-प्रणालियों के दो विभाग कर सकते हैं—प्रधानात्मक (प्रेज़िडेंशल) और मंत्रिमण्डलात्मक (कैविनेट या पालियामेटरी) प्रणाली।

प्रधानात्मक प्रणाली में शासन की वागडोर एक प्रधान व्यक्ति के हाथ में सौंप दी जाती है। प्रधान का चुनाव नियत समय के लिये होता है। प्रधान की शासन-नीति पर व्यवस्थापिका सभा का कोई वश नहीं है और न प्रधान उसके समक्ष उत्तरदायी है। न ही उस के अविश्वास के कारण प्रधान त्याग-पत्र देने पर वाध्य है। व्यवस्थापिका सभा और प्रधान दोनों सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रधान की सहायता के लिये एक मंत्रिमण्डल होता है पर उसकी स्थिति केवल 'एक सलाहकार' या परामर्शदाता की सी होती है। मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधान ही करता है और वही अपनी इच्छा से उन्हें पदच्युत भी कर सकता है। अमरीका में इसी प्रकार की प्रधानात्मक राज्य-प्रणाली प्रचलित है।

इसके विपरीत पालियामेटरी या मंत्रिमण्डलात्मक शासन-पद्धति में शासन की सत्ता मंत्रिमण्डल के हाथ में रहती है। राजा या प्रधान नाममात्र का प्रभु होता है। ये मंत्री प्रायः जनता के प्रतिनिधियों में से उन्हें जाते हैं। ये लोग विल (प्रस्ताविक कानून) पेश करते हैं, जिन्हे "प्रतिनिधि-वर्ग" तथा "शिष्ट-वर्ग" नामकर करते हैं। तदुपरान्न राजा की स्वीकृति ली जाती है और फिर वह 'कानून' पन जाता है। यदि मंत्रिमण्डल जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी है,



## राज्य-तंत्र

की सापेक्षा होती है, जो इन के अधिकारों का निर्णय करता है। इस प्रणाली में स्थानीय सरकारें अपने २ प्रान्तों में अपनी २ परिस्थिति और रुचि के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार का इन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राष्ट्र की भौगोलिक विशालता, धर्मभिन्नता, संस्कृति की भिन्नता आदि कारणों से नये विधान के अनुसार भारत के लिये भी संघशासन-प्रणाली की योजना की गई है। अमरीका के सयुक्त प्रान्त, दक्षिणी अफ्रीका के सप और केनेडा आदि में यही संघप्रणाली प्रचलित है।

इस से स्पष्ट है कि आज संसार भर के सभ्य राष्ट्रों में जनतंत्र का अरा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। प्रणाली चाहे कोई भी हो, उसमें राष्ट्र-हित के समन्वय के लिये जनतंत्र के आधार-नियम पुष्ट करना चाहिए तो समाविष्ट कर दिये गये हैं। अतः आज जनतंत्र का ही प्रचार है। यही सर्वव्यापक है। नीचे इस के प्रधान अङ्गों का वर्णन करते हैं।

### राज्य के अंग या प्रभु-सत्ता का विभाजन

जनतंत्र प्रणाली में राज्य के सम्प्र कार्य-भार को सुचारू रूप से व्यक्त करने के लिये “प्रभु-सत्ता” को तीन भागों में बांटा गया है। इन्हें व्यवस्थापन अधिकरण (लैजिस्लॉचर), अनुशासन अधिकरण (एडे-किटब) तथा न्याय अधिकरण (जुडीशिफरी) कहते हैं। इन्हों व्यवस्थापन अधिकरण का काम है कानून बनाना, अनुशासन अधिकरण का काम है कानून का व्यवहार में पालन करना तथा न्याय अधिकरण का काम है कानून का प्रयोग या कानून की व्यवस्था या न्यायिक करना।



की स्थापना होती है, जो इन के अधिकारों का निर्णय करता है। इस प्रणाली में स्थानीय सरकारें अपने २ प्रान्तों में अपनी २ परिस्थिति और रुचि के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र हैं। केन्द्रीय सरकार का इन के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। राष्ट्र की भौगोलिक विशालता, धर्मभिन्नता, संस्कृति की भिन्नता आदि कारणों से नये विधान के अनुसार भारत के लिये भी संघशासन-प्रणाली की योजना की गई है। अमरीका के संयुक्त प्रान्त, दक्षिणी अफरीका के सम और कनेडा आदि में यही संघप्रणाली प्रचलित है।

इस से स्पष्ट है कि आज संसार भर के सभ्य राष्ट्रों में जनतंत्र का अंश पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। प्रणाली चाहे कोई भी हो, उसमें राष्ट्र-हित के समन्वय के लिये जनतंत्र के आधार-नियम पुष्कल मात्रा में समाविष्ट कर दिये गये हैं। अतः आज जनतंत्र का ही प्रचार है। यही सर्वव्यापक है। नीचे इस के प्रधान अङ्गों का घर्णन करते हैं।

## राज्य के अंग या प्रभु-सत्ता का विभाजन

जनतंत्र प्रणाली में राज्य के सम्प्र कार्य-भार को सुचारू रूप से चलाने के लिये “प्रभु-सत्ता” को तीन भागों में बांटा गया है। इन्हें व्यवस्थापन अधिकरण (लैजिस्लेचर), अनुशासन अधिकरण (एजेक्टिव) तथा न्याय अधिकरण (जुडोशिश्वरी) कहते हैं। इनमें व्यवस्थापन अधिकरण का काम है कानून बनाना, अनुशासन अधिकरण का काम है कानून का व्यवहार में पालन कराना तथा न्याय अधिकरण का काम है कानून का प्रयोग या कानून की व्यवस्था या व्याप्ति करना।



समयो में ये तीनो प्रभु-सत्त्वाएं एक ही व्यक्ति—राजा—के हाथ में होती थीं।

एक ही व्यक्ति में तीनो सत्त्वाओं के होने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुव्यवस्था नहीं रह सकती। यदि अपराधी के अपराध का निर्णय उसी व्यक्ति पर छोड़ दिया जाय जो उसे अपराधी समझ कर पकड़ता है (पोलीस), तो न्याय की आशा नहीं की जा सकती। कारण कि पोलीस का किसी को पकड़ना ही पोलीस के निर्णय है। अर्थात् एक सिपाही जब किसी अपराधी को पकड़ता है तो सिपाही का निर्णय तो पहले ही प्रगट हो चुका। सिपाही ने जब निर्णय किया कि यह अपराधी है, तभी तो उसे पकड़ा। फिर पोलीस को निर्णय का अधिकार देना व्यर्थ है। अतः इन तीनों सत्त्वाओं का पृथक रहना ही राष्ट्र और व्यक्ति के लिये श्रेयस्कर है। इसी से निष्पक्ष न्याय पर आस्था की जा सकती है। नीचे हम इन तीनों अधिकरणों का साधारण विवरण देते हैं।

### व्यवस्थापन अधिकरण

राज्य-सत्त्वा के उक्त तीनों अधिकरणों में व्यवस्थापन ही मुख्य है। अनुशासन और न्याय अधिकरण तो व्यवस्थापन अधिकरण के उपजीवक अङ्ग हैं। राष्ट्र में किन नियमों के प्राधार पर राज्य हो, किन नीतियों का अवलम्बन किया जाय और कैसे वानून बनाय जाए, इन सब वातों का निर्णय व्यवस्थापन ही करता है। इनका निर्णय हो जाने पर ही तङ्गुरुप अनुशासन और न्याय के अधिकरण अपना २ कार्य करते हैं। उन अधिकरणों के संचालन के लिये उपेतिष्ठित पन का निर्देश भी व्यवस्थापन विभाग ही करता है। यदि निविवाद रूप



गैर अपर हाउस की रचना प्रायः परोक्षनिर्वाचन से की जाती है। प्रथम् उसके सदस्य जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। कहीं २ अन्य प्रकार से भी 'अपर हाउस' का निर्माण होता है। कहीं इसके सदस्य जीवन सदस्य होते हैं, और कहीं इनकी अधिकारी लोअर हाउस के सदस्यों से कुछ अधिक होती है। नये विधान के अनुसार भारत में बंगाल, बंगाल, मद्रास, आसाम, यू० पी० और विहार में द्वैध-व्यवस्थापन नियत किया गया है और अन्य प्रान्तों में एकविध व्यवस्थापन है।

'द्वैध-व्यवस्थापन' का लाभ यह है कि इससे लोअर हाउस की चिप्रकारिता पर एक प्रकार का नियंत्रण रहता है। लोअर हाउस में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो प्रायः राजनैतिक प्रतिभा के विचार से बहुत अनुभवी, दूरदर्शीया विचारशील नहीं होते। इसलिये फिसी नीति या कानून पर गम्भीरता से विचार करने के लिये कुछ देर लगाना आवश्यक है। इससे उपयुक्त शान्त वायुमण्डल उत्पन्न हो जाता है। यह देर लगाने का काम 'अपर हाउस' करता है।

कई लोग इसे व्यर्थ समझते हैं। उन का कहना है कि यदि अपर हाउस, लोअर हाउस से सहमत हो तो यह अनावश्यक है और यदि यह जनता के साक्षात् प्रतिनिधियों (लोअर हाउस) के विरुद्ध हो तो यह जनतंत्र के विरुद्ध है। इसलिये इसका प्रस्तित्व व्यर्थ ही है।

### मंत्रिमण्डल या कैबिनेट्

व्यवस्थापिका सभा में से एक मंत्रिमण्डल का निर्माण किया जाता है। कहीं-कहीं जनता पृथक् रूप से इस का निर्वाचन जरूरी है—जैसे अमरीका में। इंग्लिस्तान तथा भारत में व्युसंस्परक दल के प्रधान नेता को सफ्ट्राइथवा गवर्नर, प्रधान मंत्री नियन्त जूता है और वह दोप



ये हैं जितना विरोधी दल (आपोजीकरण)। इसके द्वारा दल भान और प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री के वरदार द्वारा उत्तराधिकारी है। संसार के सभ्य राष्ट्रों में जहाँ चुनौती दर्शाई गई है, वहाँ नीतियों के आधार पर होती है, अर्थात् वहाँ 'धर्म' या 'जन्म' नियत किया गया है। इस दृष्टि से संख्या कभी बहु-संख्या में परिणत नहीं हो सकता, क्योंकि एक का कोई नियंत्रण हो सकता है। धर्म और धर्म की चीजें हैं। तो जहाँ अन्य राष्ट्रों में प्रत्येक विद्वान् वहाँ भारत में प्रत्येक पार्टी अपने दृष्टि के अनुरूप है और उसी के लिये अधिकार, शक्ति और विधि द्वारा यत्न करती है। समूचे देश का हिस्सा अधिकार और सुविधाएं स्वभावित अस्ति पड़ती हैं। परिणाम यह होता है कि वास्तविक व्यवस्था बदल जाती है जिससे राष्ट्र-निर्माण और विद्वान् विद्वान् होता रहता है।

इस प्रकार व्यवस्थापन अधिकारी

मंत्रिमंडल, सरकारी दल और विद्वान् विद्वान् और निष्पक्ष से



जातियों की हानि होती है। इस दोष को दूर करने के लिये द्वितीय प्रकार के निर्वाचन का प्रादुर्भाव हुआ है। पर यह उद्देश्य और भी कई प्रकार से पूरा हो सकता है। अल्प-सख्यक दलों के लिये स्थान नियत कर दिये जाएं और निर्वाचन सम्मिलित रूप से हो, तो इससे उक्त उद्देश्य की पूर्ति भी हो जाती है और साम्प्रदायिक निर्वाचन के दुर्गुण भी उत्पन्न नहीं होते।

इतने बड़े सार्वजनिक निर्वाचनों में निर्वाचन की 'गुप्त रीति' का ही अवलम्बन किया जाता है। प्रकट रूप से वोट देने से मतदाता पर हुत प्रकार के दबाव पड़ सकते हैं जिससे उसकी निजी स्वतंत्रता भारी जाती है। दूसरे वृथा कलह और भगड़े भी बहुत बढ़ जाते हैं। प्रतः प्रत्येक मतदाता गुप्त रीति से ही वोट देता है ऐसा नियम सर्वत्र विद्यमान है। इस गुप्त रीति को 'ब्लूट्रूसिस्टम्' कहते हैं।

### अनुशासन अधिकरण

छ्यवस्थापन अधिकरण लोक-हित की हाइ से जिन वानूनों का निर्माण करता है और जिन नीतियों और सिद्धान्तों का निर्धारण करता है, उनको कार्य में परिणत करना, उन पर आमल फरना और इष्ट से उनका पालन करना अनुशासन अधिकरण का कार्य है। इस कार राज्य या हक्कमत वस्तुतः इसी अधिकरण वे दाख में होती है। इन्हन घना देने मात्र से उन पर आमल नहीं हो जाता। चांट, डाकू और आततायियों के उपद्रव शान्त नहीं हो जाते। कानून को कार्य में परिणत करना, उम पर आमल करवाना और दुष्टों और स्थानियों के द्वारा कानून वा ढर विठाना, वातनव में गोन्य और निषुण अनुशासन अधिकरण का ही काम है। देश की शान्ति, एवं प्राण और सम्पत्ति



भी राज्य का काम नहीं चल सकता। राष्ट्र का हित इसी में है कि ये तीनों अङ्ग परस्पर सहकारिता से अपने २ कर्तव्य का पालन करें। चृत्तुतः—ये तीनों अङ्ग परस्पर सापेक्ष हैं। व्यवस्थापन अपने कानूनों के यथावत् पालन के लिये अनुशासन का सापेक्ष है और अनुशासन अपनी गति-विधि के लिये व्यवस्थापन की अपेक्षा रखता है। इसी प्रकार न्यायाधिकरण इस बात को देखता है कि जनता की इच्छा से व्यवस्थापन के बनाए हुए कानूनों को शासन-वर्ग ठीक प्रकार से चला रहा है—कहाँ कानून का व्याघात तो नहीं किया जा रहा। इससे वह व्यवस्थापन का सहायक है और व्यवस्थापन न्याय अधिकरण का उपजीव्य है। अनुशासन अधिकरण यदि न्याय से अपराधियों को दण्ड न दिलाए तो उसका प्रबन्ध भी नहीं चल सकता। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ये तीनों अधिकरण परस्पर सापेक्ष और परस्पर आन्ध्रित हैं।

इसी प्रकार व्यवस्थापन में अनुशासन का अश (मंत्रिमण्डल के रूप में) सम्मिलित है और अनुशासन में व्यवस्थापन (आर्डोनेंस आदि) का अंश मिला हुआ है। न्याय में व्यवस्थापन का अश इस रूप में है कि कई धारों में किसी कानून के संबन्ध में जज की व्याख्या ही कानून का रूप धारण कर लेती है, जिस का पालन करना अनुशासन के लिये आवश्यक होता है। इस प्रकार ये तीनों अधिकरण एक दूसरे से मिले हुए भी हैं। इन्हें सर्वधा पृथक् कर देने से काग नहीं चलता।

इनकी पृथकता का बास्तविक अर्थ यह है कि एक ही व्यक्ति में शासन और न्याय के अधिकार नहीं होने चाहिए। न्यायाधिकरण और अनुशासनाधिकरण के व्यक्ति अवश्य भिन्न द्वारा होने चाहिए।



त्र प्रतिनिधि उपस्थित होने वाली समस्याओं पर गृह विचार करने के योग्य होना चाहिये।

शासन सम्बन्धी कार्यों में जनता को सदा सावधान होकर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये। प्रबल लोक-मत, स्वतंत्र एवं निर्भय प्रेस और निरन्तर सहयोग जनन्त्र को वस्तुतः स्वराज्य बनाने में परम सहायक हैं। अन्यथा चेतारी प्रजा तो राज्य की मशीनरी के नीचे ही दब जायगी और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खो देंगी।

## भारतीय शासन-विधान का विकास

भारतीय शासन-विधान के वर्तमान स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय शासन-विधान का विकास किस प्रकार हुआ है—किन परिस्थितियों में और किन प्रयत्नों के द्वारा भारतीय तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इसे यह रूप देने में सफलता प्राप्त की है। नीचे संक्षेप में इसका परिचय दिया जाता है।

### आदि काल (१६००—१७५७)

३१ दिसम्बर, सन् १५९९ की भारत और निटेन के सपर्क जन्म-दिन—या अधिक सत्यता से, बीजारोपण का दिन—मानना चाहिये। उस दिन इंग्लिस्तान की महारानी एलिज़बेथ ने एक ऐसे शासन-पट्ट पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अनुसार एक व्यापारी कपनी—ईस्ट इण्डिया कंपनी—का प्रादुर्भाव हुआ। इस कपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार (मोनोपोली) दिया गया। इसका कार्य एक गवर्नर और २४ सदस्यों की एक समिति द्वारा देश में रखा गया। सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष नियत हुआ और इसके बदले में ब्रिटिश-राज्य का कंपनी के मुनाफे में पर्याप्त दिसा रखा गया।



प्रतिनिधि उपस्थित होने वाली समस्याओं पर गृह विचार करने के योग्य होना चाहिये । /

शासन सम्बन्धी कार्यों में जनता को सदा सावधान होकर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिये । प्रवल लोक-मत, स्वतंत्र एवं निर्भय प्रेस और निरन्तर सहयोग जन-तत्त्व को वस्तुत, स्वराज्य बनाने में परम सहायक हैं । अन्यथा वेचारी प्रजा तो राज्य की मशीनरी के नीचे ही दब जायगी और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खो बैठेगी । /

## भारतीय शासन-विधान का विकास

भारतीय शासन-विधान के वर्तमान स्वरूप के सम्बन्ध में कुछ लिखने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि भारतीय शासन-विधान का विकास किस प्रकार हुआ है—किन परिस्थितियों में और किन प्रयत्नों के द्वारा भारतीय तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने इसे यह रूप देने में सफलता प्राप्त की है । नीचे संक्षेप में इसका परिचय दिया जाता है ।

### आदि काल (१६००—१७५७)

३१ दिसम्बर, सन् १५९९ को भारत और ब्रिटेन के सर्पक का जन्म-दिन—या अधिक सत्यता से, घीजारोपण का दिन—भाजना चाहिये । उस दिन इंग्लिस्तान की गढ़ारानी एलेंसिय ने एक ऐसे शासन-पट पर हस्ताक्षर किये थे जिसके अनुसार एक व्यापारी कंपनी—ईस्ट इण्डिया कंपनी—का प्रादुर्भाव हुआ । इस कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार (मोनोपोली) दिया गया । इसका कार्य एक गवर्नर और २४ सदस्यों की एक समिति के द्वारा में रखा गया । सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष नियत हुआ और इसके बदले में ब्रिटिश-राज्य का कंपनी के मुनाफे में पर्याप्त हित्ता रखा गया ।



इसके पश्चात् सन् १७०७ में भारत-सम्राट् और गजेव की मृत्यु के कारण भारत की राजनैतिक दुर्वलता से लाभ उठाते हुए इन्होंने राज्य-सत्ता का संग्रह करना शुरू किया और कई युद्धों में भाग लिया। सन् १७६३ तक ये अन्य यूरोपीय व्यापारियों को परास्त कर के प्रायः बंगाल, मद्रास और बम्बई के अधिपति बन चुके थे।

### इस काल का शासन-प्रबन्ध

उक्त तीनों प्रदेशों को ये लोग 'प्रेजिडेंसी' के नाम से पुकारते और कलकत्ता, मद्रास तथा बर्बई क्रमशः इन तीनों प्रान्तों की राजधानियाँ थीं जिन्हें 'प्रेजिडेंसी टाउन' कहा जाता था, इन तीनों प्रदेशों का प्रबन्ध एक २ प्रेजिडेंट और उसकी कौसिल के अधीन था। कौसिलों के सदस्य कपनी के प्रमुख भूत्यों में से ही नियुक्त किये जाते थे। प्रत्येक प्रेजिडेंसी की फैक्टरिया तथा हुर्ग आदि इतर सम्पत्ति वहीं के प्रेजिडेंट और कौसिल के अधिकार में थी। ये तीनों प्रेजिडेंट और उनकी कौसिलें परस्पर निरपेक्ष रूप से स्वतंत्र थीं और अपनी अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करती थीं। एक का दूसरे में कोडे हस्ताक्षेप न था। इंग्लैस्तान में कपनी का प्रबन्ध 'डायरेक्टर' नोग करते थे। इस काल में किसी और वैज्ञानिक शासन के दर्शन नहीं होने।

### पूर्व भार्य-काल १७६५-१८५७

सन् १७६५ में लाइब ने देहली के सम्राट् शाहशाह म से बंगाल, निहार और उड़ीसा की 'दिवानी' के अधिकार प्राप्त किये और उनके पदले में सम्राट् को २६ लाख रुपया वापिक देना स्वीकार किया। इनी समय बंगाल के नवाब ने भी ५० लाख रुपये की वापिक दूति के



प्राचुका था। लार्ड हेस्टिङ्ग ने वैलजली के कार्य में पूर्णता की। उस ने मरहटो की शक्ति का दमन किया और लार्ड अम्हर्स्ट ने १८२४ में भरमा को अपने अधीन कर लिया। लार्ड एलनवर्गे ने १८४३ में सन्धि को और लार्ड डलहौजी ने १८४६ में पजाव को अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार प्रायः समूचा भारत अंग्रेजों के वश में आ गया।

## इस काल में शासन-विधान का विकास

अब कम्पनी की बाग-डोर सम्राट् के हाथ से निकल कर पार्लियामैंट के हाथ में आ गई थी। कपनी के कुशासन और अत्याचारों की सूचना पार्लियामैंट को मिलती रहती थी। पार्लियामैंट यह सहन नहीं कर सकती थी कि इतने बड़े समृद्ध देश की 'प्राय' का लाभ केवल एक व्यापारी कंपनी या उसके कुछ हिस्सेदार ही उठाएँ। दूसरे उन्होंने इस धात को भी अनुभव किया कि राज्य-मत्ता का व्यापारी लोगों के शाय में रहना, न तो भारतीयों के लिये हितकर है, न इंग्लिस्तान के लिये शोभाप्रद। अतः पार्लियामैंट समय २ पर कपनी के शासन-विधान गे हस्तक्षेप करती रही और शनैः २ भारत का प्रबन्ध कंपनी के अधिकार से हटा कर अपने हाथ में लेती रही।

**रेगुलेटिंग ऐक्ट १७७३**—सब से पहले लार्ड नार्थ के प्रधान-मंत्रित्व में सन् १७७३ में पार्लियामैंट ने एक ऐक्ट पास किया जिसे आधुनिक भारतीय-शासन की नीव कह सकते हैं। इनके प्रत्युसार कंपनी के डायरेक्टरों को केवल व्यापार और आर्थिक दार्तों में स्वतंत्रता दी। शासन सम्बन्धी कार्य को नियमित करने के लिये इनाह में से एक प्रैनिटैट और 'कौसिल' की पुरानी नीति को हटा दिया गया और राज्य के कार्य के लिये बंगाल के गवर्नर जनरल बना। इस गया। इस



'१७८४' कहते हैं। इसके अनुसार गवर्नर जनरल के अधिकार चढ़ा दिये गये। अब वह कौंसिल के बहुमत का उल्लंघन कर सकता था। इस ऐक्ट की एक अत्यन्त महत्व की बात यह थी कि इसके अनुसार लंदन में एक बोर्ड आफ कंट्रोल (नियंत्रण समिति) का निर्माण किया गया जिसका काम भारत के शासन और प्रधन्य सम्बन्धी बातों में नियंत्रण और निगरानी करना था। इसके ६ सदस्य नियत किये गये, जिन्हें 'कमिशनर' कहते थे।

इस प्रकार १७८४ में भारत के शासन के सम्बन्ध में लंदन में दो काय-समितियां काम करने लगी। एक तो लीडन हाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अपना कार्यालय चला रहे थे, दूसरे इस बोर्ड ने वैस्टमिस्टर में अपना नया कार्यालय खोल लिया। वे लोग ब्रिटिश गवर्नर-एंट की ओर से कंपनी के कामों का निरीक्षण करते थे। कानून के अनुसार भारत पर कंपनी का अधिकार था, पर कंपनी की जांच तथा निगरानी के निमित्त से शासन का संचालन यह बोर्ड करता था। परिणामतः भारत को तभी से इस द्वैधशासन को मेलना पड़ रहा है। विलियम पिट् का यह ऐक्ट कुछ २ परिवर्तनों के साथ १८५८ तक चलता रहा।

**चार्टर ऐक्ट, १७२३**—इसके अनुसार गवर्नर जनरल के अधिकारों का स्पष्टीकरण किया गया और उधर लंदन में "बोर्ड आफ कंट्रोल" के प्रधम सदस्य को "सभापति" का पद दिया गया। इससे 'बोर्ड' तो नाममात्र को ही रह गया और सारा अधिकार 'सभापति' के हाथ में चला गया। इसको 'संनियमर्टल' में भी समान दिया गया। निकट भविष्य में यही 'सभापति' "भारत सचिव" के रूप में परिणत हुआ और उक्त 'बोर्ड' 'इंडिया कौंसिल' में बदल गया।



कर सर्वथा 'राजनैतिक मण्डली' बन गई। इस के साथ ही बगाल ने गवर्नर जनरल को अब 'गवर्नर जनरल आफ इण्डिया' बना दिया। सारे भारत का निरीक्षण और नियन्त्रण इसके सिपुर्दु—इसकी कौंसिल में भी एक 'लॉ मैन्यर' की बृद्धि की गई, जिस काम का नून बनाना था। लार्ड मैकाले सब से प्रथम 'लॉ मैन्यर' बना। भारतीय दण्ड-विधान—ताजिरात हिन्दू या डिण्डियन पीनल कोड—इसी के परिणाम का फल है।

**चार्टर ऐक्ट १८५३**—इस ऐक्ट में इस बात को फिर दोहराया गया कि 'भारत कपनी के पास ब्रिटिश गवर्नरमैरेट की अमानत है यह तब तक उसके पास रहेगी जब तक पालियामैरेट कोई और नियंत्रण नहीं करती'। इससे यह स्पष्ट है कि कपनी के दिन अब गिने हुए थे। इस ऐक्ट के अनुसार बंगाल के लिये एक पृथक् लैफटीनैंसेट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इससे गवर्नर जनरल को फेवल निखिल भारतीय समस्याओं पर विचार करने की सुविधा प्राप्त हुई। इसके साथ ही गवर्नर जनरल की कौंसिल के अतिरिक्त एक और लेजिस्लेटिव कौंसिल की स्थापना की गई जिसके १२ सदस्य नियत किये गये। ये सदस्य शासक-वर्ग में से ही लिये जाते थे। इसी ऐक्ट के अनुसार भारत का प्रान्तों में विभाग किया गया और प्रान्तों की सीमाओं का निर्धारण करने का काम गवर्नर जनरल को सौंपा गया।

### उत्तर भाष्य-काल (१८५७-१९१९)

ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि घन कर भी कंपनी के शासनव्यवस्थार ने कोई सुधार नहीं हुआ। प्रजा उससे सन्तुष्ट न थी। प्रजा में प्रतिरक्षित विद्रोह के भाव फैलने लगे। निदान १८५७ में इतिहास-प्रसिद्ध विद्रोह या



**इंडियन कौंसिल्ज़ ऐक्ट १८६१—**यह ऐक्ट भारत में ब्रिटिशराज्य के इतिहास में युग-प्रवर्तक ऐक्ट था। इस में पहली बार भारतीयों को 'जन-तत्त्व' के दूर से दर्शन कराये गये थे। इस के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापन अधिकरण की स्थापना की गई। बंबई और मद्रास में १८६१ में, बंगाल में १८६२ में, पश्चिमोत्तरी प्रदेशों में १८६६ में और पंजाब में १८९७ में सर्वप्रथम प्रान्तीय व्यवस्थापन का प्रारम्भ हुआ। ये प्रान्तीय व्यवस्थापन केवल 'कानून बनाने' में 'विमर्श-समिति' के रूप में थे। कानून भी गवर्नर्मैंट की ओर से पेश किये जाते थे और यह भी आवश्यक नहीं था कि उनकी राय मान ही ली जाय। चायसराय को कुछ गैरसरकारी भारतीय सदस्य भी फैल्ड्रीय व्यवस्थापन में नियत करने का अधिकार दिया गया। इस ऐक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल को एक और अधिकार दिया गया जिसका प्रयोग वह आज तक करता आया है। वह है 'आर्डीनेंस' जारी करना, अर्धात् विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल बिना कानून के भी ६ मास के लिये अपनी जिम्मेवारी पर ऐसी आशाएं जारी कर सकता है जो 'कानून' की शक्ति रखती हैं।

**इंडियन कौंसिल्ज़ ऐक्ट १८९३—**ब्रिटिश सरकार का भारतवर्ष के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना भारत के लिये अत्यन्त दिनकर प्रमाणित हुआ। सारे देश का प्रबन्ध, शिक्षा और पानून एकसूत्रता में धांध दिये गये। राजनैतिक रूप में एकवाक्यता का भान होने से राष्ट्रीय भावों की जागृति हुई। साथ ही देश बाहरी आक्रमणों के भय से मुक्त हुआ। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में १८५७ में ही युनिवर्सिटियां स्थापित थीं। शिक्षा-विभाग की स्थापना भी

के पंजाब युनिवर्सिटी की स्थापना १४ अक्टूबर सन् १८८२ को हुई।



पश्चिमी साहित्य के सपर्क ने शिक्षित समाज की आंखें खोल दीं। कांग्रेस का प्रभाव और शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इस पर जापान की विजय ने राष्ट्रीय भावों को अत्यधिक उद्दीप्त कर दिया। इधर 'बगाल के विभाजन' ने राजनैतिक अशान्ति उत्पन्न कर दी। इन सब बातों ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को भारतीय शासन विधान में कुछ संशोधन करने पर विवश कर दिया। उक्त ऐक्ट, इसी का फल था। इसे 'मिण्टो-मौले संशोधन' भी कहते हैं, कारण कि इस समय लार्ड मिण्टो भारत के वायसराय थे और लार्ड मौले 'भारत मंत्री' थे। दोनों के प्रयत्न प्रौर सहयोग से यह ऐक्ट बना था।

इस ऐक्ट के अनुसार पहली बार भारतीय प्रजा को साक्षात् निर्वाचन का अधिकार दिया गया। लैजिस्लेटिव कॉसिलों को 'बजट' पर वोट देने तथा शासन सम्बन्धी सुधारों को 'प्रस्ताव' के रूप में सरकार के सन्मुख प्रस्तुत करने का अधिकार मिला। अर्धात् व्यवस्थापन अधिकरण अभी शासन अधिकरण के नियंत्रण में ही रहा। इन्पीरियल कॉसिल में सरकारी सदस्यों की बहुसत्त्वा रही पर प्रान्तीय कॉसिलों में गैरसरकारी सदस्यों की छोटी सी बहुसत्त्वा कर दी गई। वायसराय की एकजीकितटिव कॉसिल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। बगाल, मद्रास और बंगल की एकजीकितटिव कॉसिलों में भारतीय भद्रस्य निये गये। भारत-मंत्री के कार्यालय में दो भारतीयों की नियुक्ति भी त्वीकृत हुई। पूरे गवर्नर जनरल और प्रान्तीय लैस्टिनेंट गवर्नरों और लैजिस्लेचर के फैसले रद्द करने के पर्याप्त अधिकार दिये गये। अर्धात् नूतन कॉसिलें शासन पर प्रभाव-मात्र रखनी धीं। बस्तुतः इन शासन प्रभाव न कोई वश था, न नियंत्रण। ना ही शासन अधिकरण व्यवस्थापन के विरुद्ध उत्तरदायी था।

उत्तर प्रदेश के गुगार केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में ६० ग्राम विभाग गया। इनमा गोद गरहारी सदस्य भी चौर पाँच ग्राम विभाग ग्रामों की नियुक्ति गवर्नर जनरल हाई कोर्ट की जांच के फैसला था। शपथ के बाद चूनार हम प्रकार रखा गया—

१२) यह वार्ता बोधवाले द्वारा सरकारी गतिध्वनि २३ गतिध्वनि चतुर्थ है।

२८ विप्रादी राज्यसंघ एवं उक्त सम्बन्ध लगा कर दें गोप्ते।

କେବଳ ଏ ମହାନ୍ ଯୁଦ୍ଧମାନ ଏହି ପକ୍ଷ ମାତ୍ର କୁଣ୍ଡ  
କରିବାକୁ।

‘‘ १८०५ अगस्त ब्रिटिश वायरेस के द्वारा लिखा गया एक अंग्रेजी लेटर ।

२०८ रुद्रिक अस्त्रिका विश्वामीति प्राप्तम् १

- 7

Il est à peine à dire que l'ordre des choses qui régissent  
l'Univers sont d'autant plus évidents que l'ordre de la  
Nature est d'autant plus manifeste. C'est une chose tout à fait  
évidente que l'ordre de la Nature est d'autant plus manifeste  
que l'ordre de l'Univers est d'autant plus évident.

1. The first stage of the process is the preparation of the  
2. The second stage is the growth of the  
3. The third stage is the development of the  
4. The final stage is the completion of the project.

के देहली दरबार की घोषणा है। भारत के इतिहास में यह एक अन्यथा समय था जब कि वरतानिया के महाराज ने प्रथम बार भारत की भूमि पर पदार्पण किया। इस घोषणा से यह स्पष्ट किया गया कि भारतवर्ष के उचित अधिकारी को शनैः २ दिया जायगा और चधासमय लम्तंत्र के नियमों को प्रान्तीय कौंसिलों में समाविष्ट किया जायगा जिससे प्रान्त स्वतंत्र रूप में भारतीय सरकार की देख रेख में रहेंगे। भारतीय सरकार कुशासन की अवस्था में ही प्रान्तों में इस्तज़ेप करेगी भारतीय सरकार किसी प्रान्तविशेष से सम्बद्ध न रहे, सन् १९११ में भारतीय सरकार की राजवानी कलकत्ता से कर देहली लाई गई।

**१९१४ का महायुद्ध**—ज्यो ज्यो ब्रिटिश पार्लियामेंट नार विधान में संशोधन करती जाती थी, त्यो त्यो भारत की नौकर शाही अधिक से अधिक दमननीति का अवलम्बन करती जाती थी। १९०५ का बंगाल-विभाग का आन्दोलन अभी सुलग ही रहा था। वैसा में राजनैतिक अशान्ति थी। कांग्रेस में नरम-दल और गरम-दल नाम से दो दल बन गये थे। विद्रोही प्रवृत्तियां भी गुप्त रूप में अपना शम कर रही थीं। गरम-दल के नेता स्वराज्य की मांग जर रहे थे। ऐसे सरकार ने दमननीति का आश्रय लिया और राष्ट्रवादियों जो पढ़ कर जेल में डाल दिया। इससे राजनैतिक आन्दोलन और भी मुड़क उठा।

इस समय फिर ब्रिटिश राजनीतिक भारतीय विधान में उचित संशोधन का विचार कर ही रहे थे कि १९१४ में दूसरों ने दिग्गज युद्ध खिड़ गया। इस युद्ध में ब्रिटिश मंत्रियों ने घोषणा की ति न अमनी, आस्तरिया और दर्की के साथ यह युद्ध केवल दुर्दृढ़



वीकार किया गया था। आटोके सी से डैमोक्रेसी की ओर प्रगति हुई थी।

इस घोषणा के बाद मि. माएटेंग भारतवर्ष में आए। यहाँ उन्होंने ने उस समय के वायसराय लार्ड चैम्सफोर्ड के साथ सारे भारत का दौरा किया और मुख्य २ व्यक्तियों से परामर्श भी किया। सन् १९१८ में उन्होंने 'माएटेंग-चैम्सफोर्ड रिपोर्ट' प्रकाशित की जो गवर्नरमैरेट आफ़ इण्डिया ऐक्ट, १९१९ की आधार बनी।

### बर्तमान-काल (१९१९ से)

१९१६ का ऐक्ट उक्त देहली दरबार तथा मिस्टर माएटेंग की घोषणाओं का ही साकार स्वरूप था। इससे भारत में 'स्वराज्य' के साक्षात् दर्शन होने लगे। इसमें मुख्यतः इन बातों का निर्देश था—

- (१) भारत ब्रिटिश-साम्राज्य का एक अङ्ग रहेगा।
- (२) भारत में उत्तरदायी शासन स्थापन करना ब्रिटिश सरकार का ध्येय है।
- (३) भारत में उत्तरदायी शासन शनैः २ स्थापित किया जायगा।
- (४) इसकी पूर्ति के लिये ये साधन प्रयोग में लाये जाएंगे—
  - (क) शासन के भिन्न २ विभागों में भारतीयों का अधिकाधिक संख्या में समावेश करना (भारतीय करण)।
  - (ख) स्वराज्य-संस्थाओं का शनैः २ बढ़ाना और इसके लिये दस वर्ष के बाद एक 'रायल कमिशन' को नियुक्त करना जो भारत के भावी विधान के सम्बन्ध में पालियामैट को राय दे सके।
  - (ग) प्रान्तीय स्वराज्य का शनैः २ स्थापन करना अर्थात् प्रान्तोंकी 'भारत सरकार' के नियंत्रण से मुक्त करना।



आर्द्धनींस तक जारी कर सकता था और हर प्रकार से स्वतंत्र  
उसे केवल भारत-न्सचिव की समनि लेनी होती थी।

**असहयोग आन्दोलन**—यद्यपि यह ऐक्ट भारतीय स्वराज्य  
ओर एक निश्चित पग था, तथापि भारतीय राजनीतिज्ञों ने ३  
स्वागत नहीं किया। उनका कहना था, कि यह “शनैः शनैः” न ज  
क्य समाप्त होगा। दूसरे, स्वराज्य की दूसरी किश्त देने का । ५।  
उक्त ‘रायल कमिशन की रिपोर्ट’ रखा गया था। इसे भारतीय नेता  
ने अपना अपमान समझा। तीसरे, १९१६ के प्रारम्भ में ही ‘रौलट  
ऐक्ट’ के कारण पंजाब में जनरल छायर के द्वारा असृतसर के जलियां-  
बाला घार का भीषण हत्याकाण्ड और ‘मार्शल-ला’ हो चुके थे। पंजाब  
के गवर्नर ओडवायर ने बड़ी क्रूर दमननीति का आश्रय लिया। देश के  
नेताओं को जेलों में भर दिया। इधर टक्की के सम्बन्ध में महात्मा  
गांधी ने खिलाफत आन्दोलन को जन्म दिया और ‘प्रसहयोग’ की  
धोषणा करके कौंसिलो, स्कूलों तथा न्यायालयों आदि का पूर्ण विष्कार  
किया। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य, स्वदेशी प्रचार, अक्षुतोद्धार, और जातीय-  
शिक्षा आदि इस असहयोग आन्दोलन के क्रियात्मक अन्त थे। इस  
प्रकार १९१६ के विधान को वह उपयोगी परिस्थिति न मिली, जो  
इसके सफल होने के लिये आवश्यक थी।

**साइमन कमिशन**—उक्त ऐक्ट की धारा ८४ के प्रत्युसार दस  
वर्ष के पश्चात् भारतीय परिस्थिति का अध्ययन और भारतीयों की  
‘स्वराज्य-प्राप्ति’ की योग्यता’ की रिपोर्ट करने के लिये ब्रिटिश पार्लिया-  
मेंट में एक ‘रायल कमिशन’ की नियुक्ति करनी थी, पर भारतीय नेताओं  
की मांग के कारण दश वर्ष से पहले ही १९२७ में यह कमिशन नियुक्त  
कर दिया गया। इसके प्रधान सर जान साइमन थे। ब्रिटिश पार्लिया-



महात्मा गांधी के नेतृत्व में 'सचेष आज्ञा-भङ्ग' (सिविल नाफरमानी अन्दोलन को जारी किया। इस अन्दोलन को पर्याप्त सफलता और थोड़े ही समय में ५००००० के लगभग व्यक्ति जेलों में सुचले गये।

**प्रथम गोलमेज कान्फ्रेंस**—१२ नवम्बर, १९३० को लंडन प्रथम गोलमेज कान्फ्रेंस हुई। इसके ८६ सदस्य थे, जिनमें १६ भारतीय रियासतों और ५७ ब्रिटिश भारत की ओर से निर्धारित किये गये थे। शेष १३ ब्रिटिश राजनैतिक दलों की ओर से सम्मिलित हुए। इस कान्फ्रेंस ने भारत के लिये 'संघशासन विधान' को प्रस्तुत किया। पर कांग्रेस के वहिकार के कारण उन्हें इसके सफल होने की आशा नहीं थी। कांग्रेस बल को देख कर यह भलुभव किया गया कि कांग्रेस की उपेक्षा नहीं की जा सकती। निदान चायसराय ने कांग्रेस से सन्धि करने में ही श्रेय समझा।

**गान्धी-इविन सन्धि**—१९३१ के प्रारम्भ में ही सरकार द्वारा से कांग्रेस की कार्य-कारिणी समिति (वकिल कमेटी) पर से 'अवैष्य' होने के प्रतिवन्ध हटा दिये गये। महात्मा गान्धी तथा अन्य नेताओं को जेल से छोड़ दिया गया और महात्मा गान्धी और वायस-गंगे के मध्य सन्धि की बातचीत प्रारम्भ हो गई। परिणामस्वरूप नवं १९३१ में सन्धि की घोषणा की गई। गवर्नर्मैरेट ने दहूत से श्रीटीनेंस हटा लिये, सिविल नाफरमानी के कैदियों को छोड़ दिया और उनकी जवत की हुई जायदादें लौटा दीं। इधर कांग्रेस ने सिविल नाफरमानी को स्थगित कर दिया। लार्ड इविन के निश्चय निजे पर कि सुरक्षित प्रतिवन्ध या विशेषाधिकार (सेफ गार्ड) 'भारत के हित' के लिये ही रखे जाएंगे। कांग्रेस तथा महात्मा



से और १०४ रियासतों से लिये जाएंगे। शेष ६ की नियुक्ति का अधिकार वायसराय को दिया गया है। असैवली में ३५४ सदस्य रखने की व्यवस्था की गई है। इनमें २५० तो ब्रिटिश प्रान्तों से<sup>४</sup> और १२५ दैरी रियासतों से लिये जाएंगे। असैवली की घटधि ५ वर्ष की रखी गई है। इन दोनों सभाओं को निम्नलिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है—

भारत की आन्तरिक रक्षा, विदेशनीति, करमी मुद्रा-विभाग वा<sup>५</sup>  
और तार तथा रेलवे, इन्कम डैक्स तथा समुद्री तट का कर।

**संघ का अनुशासन अधिकरण**—इसके भी दो भाग रखे गये हैं। स्वायत्त विषयों का शासन वायसराय और उसके ३ कॉसिलरों के अधीन रखा गया है और हस्तान्तरित विषय वायसराय तथा मंत्रिमण्डल के हाथ में रहे हैं। यह मंत्रिमण्डल व्यवस्थापिका सभा के प्रमुख दल में से निर्धारित होगा और हस्तान्तरित विषयों में व्यवस्थापिका सभा के प्रति उच्चरदायी होगा।

**संघ का न्यायाधिकरण**—विधान के नियमों की व्याप्त्या और प्रयोग करने के लिये एक 'फिडरल कोर्ट' या संघ-न्यायालय की स्थापना की गई है। संघ के परस्पर निरपेक्ष स्वतंत्र प्रान्तों का यह किसी पैदानिक या अधिकारों के सम्बन्ध में भत्तेद हो जाय, तो उसका निर्णय वही कोर्ट करेगा। यह शासन और व्यवस्थापन दोनों से स्वतंत्र होगा। गवर्नर जनरल भी इस को हटा नहीं सकता। प्रान्तीय और संघ में सम्मिलित रियासतों के दाईकोर्टों को व्याप्ति भी यहाँ दी जाएगी। कानूनी वातों में गवर्नर जनरल को परागर्दा देना भी इनका

<sup>४</sup> पंजाब के हिस्से १० सीटें छाई हैं।



और निचले गृह को लैजिस्लेटिव असैम्बली कहते हैं। शेष प्रान्तो में एक ही गृह है और उसका नाम लैजिस्लेटिव असैम्बली है। ऊपर के गृह का निर्माण कुछ निर्धारण से और कुछ साक्षात् निर्वाचन से और कुछ परोक्ष निर्वाचन से तथा कहीं २ (वडई, मद्रास, यू० पी० और आसाम में) केवल साक्षात् निर्वाचन से रखा गया है। थह गृह स्थायी रहेगा। केवल प्रति तीसरे चर्प ३ सदस्यों का पुनः निर्धारण या निर्वाचन होगा। लैजिस्लेटिव असैम्बली में साक्षात् निर्वाचन की प्रधा रखी गई है। निर्वाचक मण्डल साम्प्रदायिक आधार पर चिभर्फ किये गये हैं। असैम्बली का चुनाव प्रति पाँचव वर्ष हुआ करेगा। इन में अब प्रान्तीय हर प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में कानून बनाये जा सकेंगे। पुरानी 'सायत्त विषय' और 'हस्तान्तरित विषय' वाली द्वैध प्रणाली उड़ा दी गई है। पर इसके साथ ही गवर्नर को वहुत से अधिकार दिये गये हैं। गवर्नर करण, अकरण और अन्यथा-करण में प्रभु है। प्रत्येक कानून उसके परामर्श और उसकी स्वीकृति से बन सकेगा। वह असैम्बली को तोड़ सकता है और उसके स्वीकृत कानून को अस्वीकृत या रद्द कर सकता है। आर्डीनेस भी जारी कर सकता है। पर ब्रिटिश नीति के अनुसार इन अधिकारों का प्रयोग केवल औचित्य की दृष्टि से ही किया जायगा।

**प्रान्तीय अनुशासन**—प्रान्त का शासन गवर्नर घपने मंत्रि-मण्डल के परामर्श से करेगा। इस मंत्रिमण्डल फा निर्धारण भी गवर्नर द्वारा लैजिस्लेटिव असैम्बली के वहु-सख्यक ढल में मे करेगा। इस प्रकार मंत्रिमण्डल एक ओर लैजिस्लेटिव असैम्बली के प्रति उचरदायी होगा दूसरी ओर उसे गवर्नर के नियन्त्रण में रहना होगा। गवर्नर मंत्रियों द्वारा भव को मानने के लिये वाध्य नहीं है। उसके लिये मंत्रियों से सलाद



कांग्रेस दल को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये कहा गया। पर गवर्नरों के पूर्वोक्त अपरिच्छन्न अधिकारों की विद्यमानता में कांग्रेस ने मंत्रिमण्डल बनाने से इन्कार कर दिया। इस पर गवर्नरों ने अल्प-मत घालो के अस्थायी मंत्रिमण्डल बनाए। पर इन से न तो काम चल सकता था और न ये स्थायी हो सकते थे। अन्ततः कांग्रेस की मांग को मान कर गवर्नरों को यह आश्वासन देना पड़ा कि 'गवर्नर यथासम्भव मंत्रिमण्डल के कार्य में हस्तक्षेप न करेंगे'। इस आधार पर उक्त छः प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमण्डल स्थापित किये। बाद में सोमा-प्रांत तथा आसाम में भी कांग्रेस दल के मंत्रिमण्डल बने।

**१९३९ का महायुद्ध**—इसके पश्चात् १ सितम्बर, १९३९ को तिमान महायुद्ध छिड़ गया। कांग्रेस ने फिर से 'युद्ध के उद्देश्यों' के प्रष्टीकरण तथा भारत के लिये पूर्णस्वराज्य की मांग पेश की और इसके लिये एक विधान-समिति (कांस्टिच्युएट असेवली) की आयोजना की। सरकार को यह स्वीकृत न थी। इस पर कांग्रेस ने युद्ध के असहयोग की घोषणा की। तदनुसार कांग्रेस के मंत्रीसंलग्नों को भी गोपन देना पड़ा। इनके त्यागपत्र से प्रांतीय-विधान का काम चलना सम्भव हो गया। अतः सरकार ने वहाँ 'परामर्श-समितियाँ' स्थापित की। अब उनकी सहायता से गवर्नर ही उन प्रांतों का प्रदूष फरते। उन प्रांतों में नया विधान लागू नहीं है। कांग्रेस का सहयोग प्राप्त रखने के लिये वायसराय ने भर-सक प्रयत्न किया। अपनी कौसिल में वृद्धि करके इन्हे लेना चाहा। 'युद्ध समिति' में सन्मिलित होने के दौरान भी इन्हें निमंत्रण दिया। अगस्त १९४० में एक घोषणा भी की गई में यह चर्चन दिया गया कि युद्ध के बाद बहुत शीघ्र भारत को 'सैमनिवेशिक साम्बद्ध' दे दिया जायगा। पर कांग्रेस अपने पिचार



- (१) भारत के वायसराय तथा गवर्नर जनरल की नियुक्ति,
- (२) गवर्नरों की नियुक्ति,
- (३) भारत के प्रधान-सेनापति (कमांडर इन चीफ) की नियुक्ति,
- (४) फिडरल कोर्ट तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति,
- (५) 'क्षमा-दान' के अधिकार,
- (६) सम्मान-पद-वितरण के अधिकार,
- (७) वायसराय तथा गवर्नरों के नाम विशेष आदेश जारी के अधिकार।

**पालिंयामैट**—इगलिस्तान के राज्य-तंत्र के अनुसार वहाँ का राजा नाम-मात्र का प्रभु है। वस्तुतः राज्य की सारी शक्ति और अधिकार पालिंयामैट में ही अवस्थित हैं। प्रतः प्रकारान्तर से 'भारत-सम्राट्' के सब अधिकार पालिंयामैट को ही प्राप्त हैं। उक्त सब काम करती पालिंयामैट है, पर वे होते हैं सम्राट् के नाम से।

**भारत-मंत्री**—पालिंयामैट का शासन भी उसके 'मंत्रिमण्डल' पर आश्रित है। अतः वस्तुतः पालिंयामैट के काम उसका मंत्रि-मण्डल ही करता है। मंत्रिमण्डल में कार्य-विभाजन के अनुसार भारत के शासन और निरीक्षण का काम एक पृथक् मंत्री के अधीन है। इसे भारत-मंत्री कहते हैं। दूसरे शब्दों में सम्राट् के नाम पर ऐसे वाने कार्य (जिन्हें पालिंयामैट करती है) वस्तुतः 'भारत-मंत्री' के ढारा ही सम्बन्धित होते हैं। अतः भारतीय शासन का भवोचारिकारी 'भारत-मंत्री' होता है।



और 'भारतीय विद्यार्थी विभाग' इसके अधीन होते हैं। इग्लिस्तान में भारतीय छात्रों की सहायता भी यह करता है। इसके लिये लण्डन (२१, क्रोमवैल रोड) में एक विशालभवन का प्रबंध किया हुआ है जहाँ भारतीय छात्र अपने निवास आदि का पृथक् प्रबन्ध करने से पूर्व कुछ सप्ताह तक ठहर सकते हैं।

## भारत में

### (क) निखिल भारतीय

**चायसराय तथा गवर्नर जनरल**—भारतीय-शासन के सर्वोच्चाधिकारी को गवर्नर जनरल कहते हैं। यह सम्राट् का स्थानापन्न हो कर भारत में रहता है। इस रूप में इसे चायसराय कहते हैं। इसकी नियुक्ति सम्राट् के द्वारा पांच वर्ष के लिये होती है। इसका वार्षिक वेतन २ लाख ५० हजार रुपया है, जो भारतीय कोप से दिया जाता है। यह सीधा सम्राट् के अधीन होता है।

निटिश राजनीति के अनुसार चायसराय उसे बनाने हैं, जो कभी भारत के संपर्क में न आया हो। इससे किसी पार्टी या दल से उसका कोई सम्बन्ध न होने से वह निष्पक्ष भाव से अपना कर्तव्य पालन कर सकता है।

सम्राट् के प्रतिनिधि के रूप में इसे सब प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यह अपराधियों की क्षमा प्रदान कर सकता है। शु-शासन की अवस्था में यह देसी रियासतों में भी हस्तदेह कर सकता है और दिसी अन्यायी राजा को गढ़ी से उतार भी सकता है।

शासन-कार्य में यह एक कौसिल से मिल कर कार्य करता है। उस



अस्वीकृत कानून को प्रमाणित करके कानून बना सकता है, उससे स्वीकृत कानून को रद्द कर सकता है और उसके बिना पूछे भी आईनेंस के रूप में ६ मास के लिये स्वयं कानून जारी कर सकता है। असैम्बली से स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव (बिल) उसकी स्वीकृत के बिना कानून नहीं बन सकता। पर इन अधिकारों को यह सदा नहीं बरतता। विशेष परिस्थिति में औचित्य के अनुरोध से तथा भारत मंत्री की अनुज्ञा से ही इनका प्रयोग किया जाता है।

### (ख) प्रांतीय

**गवर्नर**—जो कार्य और अधिकार सर्व-भारतीय शासन में गवर्नर जनरल के हैं, प्रायः वही कार्य और अधिकार ग्रान्तीय शासन में गवर्नरों को प्राप्त हैं। नये विधान के अनुसार गवर्नर की अव पृथक् कौसिल नहीं होती। वह व्यवस्थापिका सभा के मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही कार्य करता है। यहां भी करण, अकरण और अन्यथाकरण के उसे पूर्ण अधिकार हैं। मंत्रिमण्डल और व्यवस्थापिका सभा से स्वीकृत बिल ( प्रस्तावित कानून ) को गवर्नर रद्द कर सकता है। उनके द्वारा अस्वीकृत बिल को प्रमाणित करके कानून बना सकता है और शान्ति तथा रक्षा के लिये विशेष परिस्थितियों में छ. मास तक आईनेंस जारी कर सकता है। व्यवस्थापिका सभा का कोई बिल गवर्नर की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता।

प्रान्तीय प्रबन्ध के लिये भिन्न २ विभागों की स्थापना की गई है। इन्हे चार मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं—(१) संरक्षण, (२) व्यापारिक, (३) अर्जन, तथा (४) सर्व-जनीन। (१) संरक्षण बोर्ड में पोलीस-विभाग, न्यायालय, जेल-विभाग, तथा शासन-कार्य विभाग



की नियुक्ति गवर्नर जनरल करता है और इन्हे सारी सत्ता व अधिकार गवर्नर जनरल से ही प्राप्त होते हैं।

**कमिश्नर**—भारत के कुछ प्रान्तों को कमिश्नरियों में व. किया गया है। पंजाब में पांच कमिश्नरियां हैं—अबाला, जालन्धर, लाहौर, मुलतान और रावलपिण्डी। प्रत्येक कमिश्नरी एक उच्चाधिकारी के अधीन है जिसे कमिश्नर कहते हैं। यह अपने अधीन जिलों का निरीक्षण तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का नियन्त्रण करता है।

### (ग) जिला

अंग्रेजी राज्य में ४-५ प्रामों का एक 'पटवारी का इलका' (या मरडल) बनाया गया है। लगभग ४० प्रामों की एक ज़ैल घनाई गई है। ६०-१०० प्रामों पर एक पोलिस का थाना रखा गया है। ३-४ थानों की एक तहसील घनाई गई है और ३-४ तहसीलों का एक जिला रखा गया है। चार-पांच जिलों की एक कमिश्नरी नियत को गई है और ५-६ कमिश्नरियों को मिला कर 'प्रान्त' रखे गये हैं। इस प्रकार राज्य-कार्य की सुव्यवस्था के लिये प्रान्त के विभाग किये हैं। इनमें जिला एक महत्व पूर्ण इकाई है।

जिलाके उच्चाधिकारी को 'डिप्टी कमिश्नर' कहते हैं। कहो २ इसे 'कोलेक्टर' भी कहा जाता है। साधारणतया यह आइ सी, एस. बी व्यक्ति होता है। 'डिप्टी कमिश्नर' के रूप में इसकी नियुक्ति गवर्नर करता है। यह जिले की शान्ति और सुव्यवस्था का जिम्मेदार होता है। जिले में से भूमिकर तथा इतर करों का संभ्रह भी इसी का कर्तव्य है। फौजदारी अभियोगों के न्याय-कर्ता के रूप में इसे 'जिला मैजिस्ट्रेट' भी कहते हैं और इसे 'मैजिस्ट्रेट दरबाजा अवृल' के अधिकार प्राप्त होते हैं। जिले भर के द्वितीय और तृतीय शेरणी के मैजिस्ट्रेटों की



की नियुक्ति गवनरे जनरल करता है और इन्हें सारी सत्ता और अधिकार गवर्नर जनरल से ही प्राप्त होते हैं।

**कमिश्नर**—भारत के कुछ प्रान्तों को कमिश्नरियों में ब  
किया गया है। पंजाब में पांच कमिश्नरियाँ हैं—अबाला, जा  
लाहौर, मुलतान और रावलपिण्डी। प्रत्येक कमिश्नरी एक उचाधिकारी  
के अधीन है जिसे कमिश्नर कहते हैं। यह अपने अधीन जिलों का  
नियंत्रण तथा स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं का नियंत्रण करता है।

### (ग) जिला

अंग्रेजी राज्य में ४-५ ग्रामों का एक 'पटवारी का इलाका' (या  
मरडल) बनाया गया है। लगभग ४० ग्रामों को एक ज़िले बनाई गई है।  
६०-१०० ग्रामों पर एक पोलिस का थाना रखा गया है। ३-४ थानों  
की एक तहसील बनाई गई है और ३-४ तहसीलों का एक जिला रखा  
गया है। चार-पांच ज़िलों की एक कमिश्नरी नियत की गई है और  
५-६ कमिश्नरियों को मिला कर 'प्रान्त' रखे गये हैं। इस प्रकार राज्य-  
कार्य की सुव्यवस्था के लिये प्रान्त के विभाग किये हैं। इनमें जिला  
एक महत्व पूर्ण इकाई है।

जिलाके उचाधिकारी को 'डिप्टी कमिश्नर' कहते हैं। कहीं वे इसे  
'कोलेक्टर' भी कहा जाता है। साधारणतया यह आइ सी. एस. का  
व्यक्ति होता है। 'डिप्टी कमिश्नर' के रूप में इसकी नियुक्ति गवर्नर  
करता है। यह ज़िले की शान्ति और सुव्यवस्था का ज़िम्मेदार होता  
है। ज़िले में से भूमिकर तथा इतर करां का संग्रह भी इसी का कर्तव्य  
है। फौजदारी अभियोगों के न्याय-कर्ता के रूप में इसे 'ज़िला नैजिस्ट्रेट'  
भी कहते हैं और इसे 'मैजिस्ट्रेट दरजा प्रब्लम' के अधिकार प्राप्त  
होते हैं। ज़िले भर के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नैजिस्ट्रेटों की



ज़िले का महकमा माल एक 'माल अफसर' के अधीन होता है। यह भी डिप्टी कमिश्नर के अधीन काम करता है। भूमि सम्बन्धी कई कानूनों के न्याय के अधिकार भी इसे प्राप्त होते हैं। इसके नीचे 'दफतर कानूनगो' तथा कानूनगो और पटवारियों का अमला होता है। मादक द्रव्यों का विभाग भी 'माल अफसर' के अधीन होता है। उसके लिये कई 'इन्सपैक्टर' रखे हुए होते हैं। मादक द्रव्यों के लाइसेंस आदि देने का काम भी इसी के जिम्मे है।

इस प्रकार ज़िले भर का शासन अपने अपने विभागों में होता है, और वे जब डिप्टी कमिश्नर के अधीन हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़िले के हर प्रकार के शासन और प्रबन्ध का पूरा जिम्मेवार है। एक प्रकार से वह ज़िले का राजा होता है।

### (घ) तहसील, तथा ज़ैल

**तहसीलदार**—ज़िले को आगे तहसीलों में बांटा गया है। तहसील के उच्चाधिकारी को तहसीलदार कहते हैं। डिप्टी कमिश्नर की भाँति यह अपनी तहसील का हर प्रकार से जिम्मेवार होता है। उपर्युक्त शासन विभागों के जितने अधिकारी—पटवारी कानूनगो तथा पोलीस आदि—तहसील में रहते हैं, वे सब इसके अधीन होते हैं। इसे द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार गिले हुए होते हैं, और यह अपनी तहसील में न्याय का काम भी करता है।

इसकी सहायता के लिये एक नायज तहसीलदार भी होता है जिसे द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार प्राप्त होते हैं।

**ज़ैलदार**—तहसील के अन्दर ४०-५० गांवों की एक ज़ैल होती है। इसकी उच्चाधिकारी को ज़ैलदार कहते हैं। यदि श्रावण ग्रामों के



यह ध्यान रखा जाता है कि यथासम्भव लम्बरदार का पुत्र ही लम्बरदार बने। लम्बरदार का काम ग्राम में शांति रखना और किसोनो लगान जमा करना है। ग्राम के किसी जागीरदार, मुश्तकीदार पैशनर की मृत्यु (या ग्राम से १ वर्ष तक की अनुपस्थिति) हो जाते हैं तो उसकी सूचना देना भी लम्बरदार का काम है। महकमा माल अफसरों को फसल के जाचने के काम में और पोलीस के नियन्त्रिता को किसी अपराधी के ढूढ़ने में भी वह सहायता देता है। वह एक और ग्रामवासियों का सरकार के प्रति प्रतिनिधि है और सरकार की तरफ से ग्राम में सरकारी कार्यकर्ता है।

लम्बरदार डिप्टी कमिश्नर की अनुमति के बिना त्याग-पत्र नहीं दे सकता। अपने कर्तव्य में प्रभाव फरने, या अत्यधिक छारणी होने, या अपनी भूमि गिरवी रखने, या किसी अपराध में एक साल की कैद भुगतने आदि कारणों से डिप्टी कमिश्नर इसे पदन्युत कर सकता है।

**चौकीदार**—लम्बरदार की सहायता के लिये ग्राम का दूसरा अधिकारी चौकीदार है। यह प्रायः ५०-२०० घरों पर एक नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति करता तो लम्बरदार है, पर वह होता है डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति से। ग्राम में यदि घर अधिक हो तो एक से अधिक चौकीदार रखे जाते हैं। जहाँ ५ से अधिक चौकीदार हों, वहाँ जन में से एक को मुख्य चौकीदार बना दिया जाता है। उसे 'दफेदार' कहते हैं।

चौकीदार को एक गाड़े नीले रंग की वरदी और नीली पगड़ी होती है। एक वरदी और तलवार इसके शर्त हैं। लम्बरदार की शाशा का पालन करना इसका प्रधान कर्तव्य है। ग्राम की रसवानी



पटवारी के जिसमें होता है। ग्राम की पंचायतों, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मालैजिस्लेटिव असैवली आदि के निर्वाचक-वर्ग की सूची भी यही करता है। पटवारी को एक ढायरी भी रखनी पड़ती है जिसमें हल्के की फसल, फसल की हानि, सरकारी अफसरों का उस के में आगमन, महकमा माल के अफसरों की आह्वाएं, किसी किसी भूमि के सम्बन्ध के फैसले आदि २ वार्ते लिखनी पड़ती हैं माल अफसर के आने पर वह ढायरी उसे जांच के लिये पेश कर होती है।

यह है सचेप में भारतीय-शासन की रूप रेखा। यहां लम्बरदार चायसराय तक सब सरकारी अफसर हैं और अपने २ काम के लिये जिसमेवार हैं। एक से एक ऊपर है और एक पर दूसरा निरीक्षण करने वाला है। चायसराय भारत मंत्री के निरीक्षण में काम करता है। भारत मंत्री ब्रिटिश कैविनेट के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश कैविनेट ब्रिटिश पालियामेंट के प्रति जिसमेवार है और ब्रिटिश पालियामेंट इंगलिस्तान के लोगों के प्रति उत्तरदायी है। इसलिये कहते हैं कि भारत पर 'अमेजो' का राज्य है।

## स्थानीय स्वराज्य

स्थानीय स्वराज्य का अर्थ है—“अपने स्थान या इलाके में स्थानीय लोगों के द्वारा, स्थानीय समस्याओं का प्रबन्ध”। पिछले अध्याय में जिन अधिकारियों का वर्णन दिया गया है, वे शासन सम्बन्धी कार्य करते हैं। अपने २ इलाके की स्थानीय समस्याओं का निरीक्षण और प्रबन्ध उसी इलाके के लोग अधिक सुगमता और सुन्दरता से कर सकते हैं। इस लिये शासन-विधान ने यह महकमा अन्वय कर दिया गया है और इसका काम प्रांतीय मंत्रिमरठन के एक मंत्री के सिमुद्द



## (क) ग्राम-विभाग

**ग्राम्य पंचायत**—भारतीय ग्रामों में पंचायतों की प्रथा बहुपुरानी है। ग्राम के बड़े २ मान्य वृद्ध मिलकर ग्राम-सम्बन्धी सभी भगड़ों का निपटारा स्वयं कर लिया करते थे। भूमि की सीमा, या सिंचाई, कुएं, पशुओं के लिये पानी का प्रबन्ध आदि २ ग्राम्य-समस्याओं के अतिरिक्त धार्मिक आचार सम्बन्धी तथा राजनैतिक अपराधों का फैसला भी वे पंचायत द्वारा ही कर लिया करते थे। पंचायत में बैठ कर एक पंच अपने आपको ‘धर्मराज’ की गदी या ‘विक्रम के सिंहासन’ पर बैठा हुआ समझता था। इस समय वह व्यक्तिगत राग-द्वेष के भावों से निर्मुक्त हो कर शुद्ध सत्य और निष्पक्ष न्याय करता था। इसी से ग्राम घालों पर पंचों का प्रभाव था और वे पंचायत के निर्णय को राजाज्ञा से भी धड़ कर मानते थे। पंचायत के फैसले की कभी अपील न होती थी।

पर ग्राम के पंचों में ‘सत्य’ और ‘न्याय’ का बद पुराना आदर्श जाता रहा। यदि किसी ग्राम-निवासी को पंच के साथ किसी मात्र में अनवन हो गई, तो पंच उसकी कसर निकालने के लिये अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगा। इस में पंचों के फैसले की आस्था भी जाती रही और ग्रामीणों को सरकारी न्यायालयों की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकार पुरानी पंचायतों का शनैः २ हास होने लगा। और वे उपप्राय हो गईं। सन् १९१२ में सरकार की ओर से नहसीन-पंचायतों की शायोजना की गई, पर वह भी सफल न हई। पुनः १९२२ में ‘पंजाय पंचायत ऐक्ट’ पास हुआ, जिसके अनुसार पुरानी पंचायत-प्रथा को फिर नये रूप में उज्जीवित किया गया।



और कुछ दखल आदि से प्राप्ति होती है। अभी पंजाब के प्रत्येक न में पंचायतों की स्थापना नहीं हुई। पर अब यह काम घड़ी शीघ्रता हो रहा है। कहीं २ २-३ ग्रामों को मिला कर एक पंचायत बना र्गई है।

**डिस्ट्रिक्ट बोर्ड**—पहले इनके सदस्य सरकार को और नियुक्त हुआ करते थे, पर अब इनमें लगभग इन निर्वाचित होते हैं और शैप में से कुछ सरकारी अफसर और उन गैरसरकारी सदस्य 'डिप्टी कमिश्नर' की सिफारिश से प्राप्तीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। जिला बोर्डों का निर्वाचन 'सम्मिलित प्रणाली' से होता है। अर्थात् हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख आदि सभ मिल कर योग्य व्यक्तियों को चुनते हैं।

जिले में सड़कों तथा पुलों का बनाना, उनको देख भाल और मुरम्मत कराना, रोगी-चिकित्सा के लिये औपधालय और आतुरालय खोलना, सक्रामक रोगों से जिले की जन्मानुष के लिये हैज़े आदि के टीके लगाने की व्यवस्था फरना, एक हैल्थ डिपार्टमेंट को चलाना, स्कूल और सराय आदि बनाना, शुद्ध पेय जल का प्रबन्ध करना, पेय जल के कृपों, चावलियों तथा अन्य जल-स्रोतों को सुरक्षित रखना वृक्ष नगाना नदियों पर घाट बनाना, तथा नौका घाट स्थापित करना आदि आदि जिला बोर्डों के प्रधान कर्तव्य हैं;

जिला बोर्डों पर सरारारी नियंत्रण भी पर्याप्त है। ये बोर्ड अपना बजट तो स्वयं तैयार करने हैं पर उसमें सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इनके हिसान-किताब की पढ़तान समय २ पर सरकार की ओर से कराई जाती है। यद्यपि विधान में नहीं, पर ब्यवहार में शायः पंजाब के सभी जिला बोर्डों जा प्रधान जिले का टिप्पो कमिश्नर



परिशिष्ट (क)

## वैज्ञानिक आविष्कार

जैसे एक नागरिक पग पग पर समाज और राज्य के संपर्क में प्राता है, वैसे ही वैज्ञानिक आविष्कारों से भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। वैज्ञानिक आविष्कार, आधुनिक युग में हमारे जीवन का एक प्रावश्यक अङ्ग सा बन गये हैं। आज वाइसिकल, मोटर, रेल, तार, ऐलीफोन, रेडियो, विजली, छापाखाना, फोटोग्राफी, सिनेमा आदि हमारे ऐनिक व्यवहार की वस्तुएँ बन गई हैं। हमारे खाने का आटा, पहनने के वस्त्र, पढ़ने की पुस्तकें, लिखने की कलम, समय देखने की घड़ी आदि २ सव कुछ आविष्कारों के ही परिणाम हैं। आज का मनुष्य अपनी स्थिति, रक्त उत्तरि, सुख-आराम और चारिज-व्यापार तथा अन्य कारोबार में इन पर निर्भर है, ये न हो तो हमारे बहुत से काम बन्द हो जाएँ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कठिन हो जाय, चारिज-व्यापार असम्भव हो जाय। न पढ़ने को पुस्तकें मिलें, न अच्छारें। न कुछ संसार का पता चले, न कोई नई खबर मिले। मनुष्य का ज्ञान-विज्ञान सब रुक जाय। इनके बिना हमारा जीवन भूर हो जाय और हमारा सारा सुख आराम समाप्त हो जाय।

इन आविष्कारों के कारण ही सारा विश्व एक 'विशाल परिवार' भा यन्ता जा रहा है। इन्होंने ही मनुष्य को मनुष्य के सभीप लाने में—राष्ट्र के सभीप लाने में—असीम सहायता की है। इनके द्वारा ही हम एक छोटे से ग्राम में रहते हुए भी संसार भरके संपर्क में



## वैज्ञानिक आविष्कार

सब बात याद न रहने लगी तो उसने 'लेखनकला' का आविष्कार लिया। इसी प्रकार आवश्यकता के अनुरोध से बनते बनते सब चीं बनती गईं। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है और आज ज्यों ज्यों आवश्यकता पड़ती जाती है त्यों त्यों नई नई चीजें बन रही हैं।

इन आविष्कारों के करने में मनुष्य की तीन प्रकार की प्रवृत्तियां उपलब्ध होती हैं—सुखप्राप्ति, आत्मरक्षा या शत्रुनाश और ज्ञानलिप्सा। कुछ आविष्कारों को तो मनुष्य ने अपने सुभीते, आराम और सुख-सामग्री के जुटाने के लिये किया है। छापाखाना, तार, रेल, मोटर रेडियो, सिनेमा, टैलीफोन तथा नाना रोगों के प्रतिकार सम्बन्धी आविष्कार इस श्रेणी में आते हैं। इनसे मनुष्यन्समाज का अनन्त उपकार हुआ है और ये हमारी जीवन-यात्रा के लिये अत्यन्त उपयोगी बन गये हैं। कुछ आविष्कार मनुष्य ने अपनी रक्षा तथा शत्रुओं के नाश के लिये किये हैं। तोप, घन्दूक, घम, तारपीढ़ों विषेली गैसें, आदि घातक आविष्कार इसी श्रेणी के हैं। सौर जगत् तथा ग्रह-उपग्रह आदि का परिज्ञान, भूमि की गति, प्राणिशास्त्र, भूगर्भशास्त्र आदि वैदिक आविष्कार मनुष्य की 'ज्ञान-लिप्सा' के परिणाम हैं। नीचे हम प्रतिदिन उपयोग में आने वाले कुछ आवश्यक आविष्कारों का साधारण परिचय देते हैं।

## मुद्रणकला (छापा खाना)

मुद्रणकला के आविष्कार को आधुनिक सब आविष्कारों की पानी छोड़ा चाहिये। यद् इसलिये नहीं कि छापाखाने को देस फर और आविष्कार हुए हैं, अर्थात् इसलिये कि छापाखाने के आविष्कार ने मनुष्यों की आविष्कारक दुद्धि को घटाने में असीम सशक्ति दी है।



इसके बाद सन् १८५५ में गटनवर्ग के एक मित्र स्कूफर नामक चर्ड्झे ने इसमें और भी उन्नति की। उसने लकड़ी के स्थान में धातु के अक्षरों को ढालने के लिये सांचे बनाये। धातु के अक्षरों से लिखावट बहुत साफ और सुन्दर आती थी। इस प्रकार के मुद्रण से गटनवर्ग ने सब से पहले 'वाइब्रल' को छापा।

इस सफलता को देख कर विलियम कैक्स्टन नामी अंग्रेज ने जर्मनी में जाकर इस कला को सीखा और लौट कर इंग्लिश्टान में एक छापाखाना खोल दिया। तदुपरान्त सारे यूरोप में इसका प्रचार हो गया। सन् १५०० तक यूरोप में कोई देश ऐसा न था जिसमें छापाखाना न खुल गया हो।

अब तो अक्षरों की समस्या के साथ २ 'दबाव' ढालने के लिये भी मशीनें तैयार हो गई हैं। छापने की सब से पहली मशीन सन् १८१४ में बनी थी। इसे भी एक जर्मन विद्वान् ने बताया था। यह भाष्य से चलती थी और एक घण्टे में १००० कागज छापती थी। धीरे २ इसमें भी सुधार होता गया। अब तो ऐसी २ मशीनें बन गई हैं जो एक घण्टे में तीन लाख कागज तक छाप देती हैं। ये अद्यतार छापने के साथ ही उन्हें काट कर तह भी करती जाती हैं। इस मशीन का नाम 'टाइप रिवाल्विंग मशीन' है।

भारतवर्ष में छापाखाने का प्रादुर्भाव सबहवीं शताब्दी से हुआ है। हिन्दीप्रेमियों को गुजरात के प्रसिद्ध व्यापारी श्री गोमबी पारिख गह्य से कृतज्ञ होना चाहिये जिन्होंने पहले-पहल सन् १६७० में (नियत से ८००) मासिक पर एक अंग्रेज को बुलवा वर दिन्दी का डैप बनवाया।



इसके पश्चात् सन् १८२९ में सर गोल्ड्सवर्दी गर्नी नाम के अंग्रेज इंजन ने एक ऐसी भाप-गाड़ी बनाई जिसमें २२ मतुष्य बैठ सकते थे। या जिसकी रफतार १५ मील प्रति घण्टा थी। सन् १८३१ में गर्नी हाशय ने ग्लोसेस्टर और चेल्टनहम के बीच में अपनी गाड़ियाँ केराये पर चलाईं। कभी २ भाप के फट जाने से यह गाड़ियाँ फट जाती थीं। तब बहुत प्राण-द्वानि होती थीं। इन गाड़ियों की भवद्वारता के सम्बन्ध में उस समय यह कविता बनाई गई थी—

गर्नी की है अटपट गाड़ी, भाप है जिसका घोड़ा।

सीधे स्वर्ग पहुँच जाओगे, अगर चढ़ोगे थोड़ा॥ (उद्धर)

इन्हीं दिनों भाप से चलने वाले 'स्टीम इंजन' बने। इंजन को पशीनों का राजा कहना चाहिये। इसकी सहायता से मनुष्यों ने सब काम आसान हो गये हैं। कई प्रकार की कलें और कारण से ही चल रहे हैं। इन इख्तीरों में और सुधार होते २ रेल का इख्तीर भी बना, कर रेल गाड़ी चलाई जाती है। रेल का इख्तीर आविष्कार नहीं कहा जा सकता। यह बहुत से और प्रयत्न का फल है। तथापि वर्तमान रूप में रेल आविष्कार का श्रेय श्री जार्ज स्टीफनसन को दिया जाता है। जो इख्तीर रेलगाड़ी में प्रयुक्त होते हैं, वे जार्ज स्टीफनसन द्वारा पर ही बनते हैं। स्टीफनसन के इस आविष्कार के प्रकार है—

जार्ज स्टीफनसन का निता कोयले की एक तान ने गर्दी के कारण जार्ज को अनपढ़ रहना पड़ा। उछु बड़ा दृंगे पर यह भी कोयले की तान में घोड़ों के 'साइर' के रूप में नौकर हो गया।

उस खान में एक ऐसी कल लगी हुई थी जो भाप के बल से चलती थी और खान का पानी बाहर निकालने के काम में आती थी। जार्ज वडे व्यान से उसका निरीक्षण करता था और थोड़े ही समय में उसने उसके पुरजो से परिचय प्राप्त कर लिया। अब उसके दिल में वह जिज्ञासा हुई कि भाप क्या वस्तु है? उसने इतनी शक्ति कहाँ से आती है? वह चाहता था कि भाप के सम्बन्ध में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़े। पर पढ़ना तो उसे आता ही न था। निदान उसने सभीप के भज्जदूरों के एक स्कूल में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया।

कुछ दिन बाद वह एक दूसरी खान में नौकर हुआ। वहाँ एक मुरानी विगड़ी हुई कल पड़ी थी। जार्ज ने खान के मालिक से कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मालिक को आश्वर्य तो अवश्य हुआ। और उसने उसे ठीक करने की अनुमति दे दी। जार्ज ने उसके पुर्जों को ठीकठाक करके उस मशीन को चालू कर दिया। इससे उसका डाढ़ा नाम हुआ। अब उसे मशीन के काम की ही नौकरी मिल गई। यहाँ पर उसने रेल के इंजन का निर्माण किया। खान से कोयले को बाहर ढोने के लिये इसका प्रयोग किया गया। यह लोहे की पटरी पर चलता था और १५०० मन कोयले से भरी हुई गाड़ी को खींच ले जाता था। वह यहाँ से रेलगाड़ी का श्रीगणेश हुआ समझना चाहिये। जार्ज की गाड़ी में पहले पहल ६०० मनुष्य सवार हुए।

इसके बाद रेलगाड़ियों का ऐसा प्रचार हुआ कि उसका अनुमान गाना भी कठिन है। अब तो संसार का शायद ही कोई प्रदेश हो हाँ रेलगाड़ी न चलती हो। अब तो ऐसी गाड़ियाँ बन गई हैं जो २० मील या इससे भी अधिक प्रतिघंटा की रफतार से चलती हैं। छले दिनों एक गाड़ी १२४ मील प्रति घंटा की रफतार से चली थी।

यात्रा की सुविधा, सभ्यता के प्रचार और विंग व्यापार रेल का पर्याप्त भाग है।

### जहाज़

जैसे स्थल-यात्रा की कठिनाई को रेलो ने दूर किया जलयात्रा के कष्टों को जहाज़ ने दूर किया है। प्रारम्भ सामने नदी नालों को पार करने की समस्या अवश्य उपस्थित कई पशुओं को जल में तैरता देखकर मनुष्य ने भी तैरना स होगा और लकड़ी को जल में तैरता हुआ देख कर उसके बी बनाने की चाह भी पैदा हुई होगी। कई बार पानी में तै मोटे से ठेले पर बैठ कर मनुष्य ने भी जलयात्रा की होगी। उसे बीच में खोखला करके एक छोटी सी नाव भी बनाई इसके पश्चात् बहुत से लट्ठे बांध कर बड़े २ बेड़े तैयार हुए। लकड़ी के तखते जोड़ कर नाव बनी फिर उसकी गति-विधि नियंत्रण करने के लिये ढांड और चप्पे धने। तत्पश्चात् पाल ताने गये और इस प्रकार शनैः २ लकड़ी के जहाज़ बने।

लकड़ी के जहाजों का आविष्कार बहुत पुराना है! चैदिक युग में इनके द्वारा मनुद्रयात्रा का वर्णन मिलता है। कहते हैं; मिस्रदेश के लोग भी बहुत पुराने समय से इनका प्रयोग करते थे। लंदन के निटिश म्यूजियम में मिस्र के एक जहाज़ का चित्र पड़ा है, जो ईसापूर्व ६००० वर्ष पहले बना था। पर लोहे के जहाज़ आधुनिक कानून का ही आविष्कार है। लोहे का सर्वप्रथम जहाज़ बरतानिया में सन् १८२१ के लगभग बना।

स्पेन फ्रांस, स्कॉटलैंड, तथा अमरीका आदि प्रदेशों में एक साथ ही जहाज़ बनाने का काम होता रहा और कई प्रकार के परीक्षणों के

उस खान में एक ऐसी कल लगी हुई थी जो भाप के बल से चलती थी और खान का पानी बाहर निकालने के काम में आती थी। जार्ज घोड़े ध्यान से उसका निरीक्षण करता था और घोड़े ही समय में उसने उसके पुरजो से परिचय प्राप्त कर लिया। अब उसके दिल में वह जेज्जासा हुई कि भाप क्या वस्तु है? उसमें इतनी शक्ति कहां से आती है? वह चाहता था कि भाप के सम्बन्ध में लिखी हुई पुस्तकों को पढ़े। पर पढ़ना तो उसे आता ही न था। निदाने उसने समीप के मजदूरों के एक स्कूल में जाकर पढ़ना शुरू कर दिया।

कुछ दिन बाद वह एक दूसरी खान में नौकर हुआ। वहां एक युरानी विगड़ी हुई कल पड़ी थी। जार्ज ने खान के मालिक से कहा कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। मालिक को आश्वर्य तो अवश्य हुआ, और उसने उसे ठीक करने की अनुमति दे दी। जार्ज ने उसके पुर्जों की ठीकठाक करके उस मशीन को चालू कर दिया। इससे उसका डा नाम हुआ। अब उसे मशीन के काम की ही नौकरी मिल गई। हीं पर उसने रेल के इजन का निर्माण किया। खान से कोयले को बाहर ढोने के लिये इसका प्रयोग किया गया। यह लोहे की पटरी पर चलता था और १५०० मन कोयले से भरी हुई गाड़ी को खींच ले जाता था। बस यहाँ से रेलगाड़ी का श्रीगणेश हुआ समझना चाहिये। जार्ज की गाड़ी में पहले पहल ६०० मनुष्य सवार हुए।

इसके बाद रेलगाड़ियों का ऐसा प्रचार हुआ कि उसका अनुमान गाना भी कठिन है। अब तो ससार का शायद ही कोई प्रदेश हो जां रेलगाड़ी न चलती हो। अब तो ऐसी गाड़ियां बन गई हैं जो २ मील या इससे भी अधिक प्रतिघंटा की रफतार से चलती हैं। छले दिनों एक गाड़ी १२४ मील प्रति घंटा की रफतार से चली थी।

यात्रा की सुविधा सभ्यता के प्रचार और विणिज व्यापार की रेल का पर्याप्त भाग है।

### जहाज़

जैसे स्थल-यात्रा की कठिनाई को रेलों ने दूर किया है, वैसे ही जलयात्रा के कष्टों को जहाज़ ने दूर किया है। प्रारम्भ में मनुष्य के सामने नदी नालों को पार करने की समस्या अवश्य उपर्युक्त हुई होगी। कई पशुओं को जल में तैरता देखकर मनुष्य ने भी तैरना सीख लिया होगा और लकड़ी को जल में तैरता हुआ देख कर उसके जी में 'नाव' बनाने की चाह भी पैदा हुई होगी। कई बार पानी में तैरते हुए मोटे से ठेले पर बैठ कर मनुष्य ने भी जलयात्रा की होगी। घाट में उसे बीच में खोखला करके एक छोटी सी नाव भी बनाई होगी। इसके पश्चात् बहुत से लट्ठे बांध कर बड़े २ बेडे तैयार हुए। धीरे २ लकड़ी के तखते जोड़ कर नाव बनी फिर उसकी गति-विधि पर नियंत्रण करने के लिये डांड़ और चप्पे बने। तत्पश्चात् पाल ताने गये। और इस प्रकार शनैः २ लकड़ी के जहाज़ बने।

लकड़ी के जहाजों का आविष्कार बहुत पुराना है! वैदिक युग में इनके द्वारा नमुद्रयात्रा का वर्णन मिलता है। कहते हैं; मिस्रदेश के लोग भी बहुत पुराने समय से इनका प्रयोग करते थे। लकड़न के विटिश म्यूजियम में मिस्र के एक जहाज़ का चित्र पढ़ा है, जो ईसापूर्व ६००० वर्ष पहले बना था। पर लोहे के जहाज़ प्राचीनिक काल का ही आविष्कार है। लोहे का सर्वप्रथम जहाज़ चरतानिया में सन् १८२१ के लगभग बना।

स्पेन, फ्रांस, स्काटलैंड, तथा अमरीका आदि प्रदेशों में एक साथ ही जहाज़ बनाने का काम होता रहा और कई प्रान्तों के

वाद उन्हें वह सफलता मिली जो आज सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। आजकल के जहाज चार्लस पार्सन्स' के निकाले हुए तरीके पर बनते हैं। पहले समुद्र की चट्ठानों से टकरा कर जहाज् के ढूँढ़ने का बड़ा भय रहता था पर अब वह डर दूर हो गया है। समुद्र में जहाँ जहाँ चट्ठाने हैं, वहाँ ऊँचे-मीनार खड़े कर दिये हैं। इन्हें लाइटहौस कहते हैं। इन्हे देख कर जहाज् चट्ठानों के पास नहीं आते।

जहाजों की यात्रा अब बहुत सुखप्रद यात्रा हो गई है। सोने, सैंकरने आदि का उनमें पूरा प्रबन्ध होता है। जहाज् में रेडियो, होटल दुकानें, खेलने के मैदान आदि सभी सुविधाएं होती हैं। अब एक हजार फुट लम्बे जहाज भी बनने लगे हैं जिनमें ३००० मनुष्य बड़े सुख से यात्रा कर सकते हैं।

यात्रा और व्यापार की सुविधा के अतिरिक्त जहाज् युद्ध के लिये भी अत्युपयुक्त है। जहाजों में हजारों सैनिक बैठे रहते हैं। खाने-पीने का सब सामान उनके पास रहता है। चारों ओर बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं जिनसे शत्रु पर आक्रमण किया जा सकता है। ऐसे जहाजों को लड़ाकू जहाज् कहते हैं। ये लड़ाकू जहाज् एक प्रकार के पानी में तैरने वाले किले ही हैं। जहाजों के कारण ही समुद्र पार के देशों का—विशेषतः अमरीका आदि का ज्ञान हो सका है। इनके कारण ही सारा सप्ताह व्यापार और सभ्यता के एक सूत्र में बंधता जा रहा है।

### हवाई जहाज्

जैसे पश्चिमों को पानी में तैरते हुए देख कर मनुष्य ने तैरना सीखा, वैसे ही पक्षियों को वायु में उड़ते हुए देख कर मनुष्य को भी उड़ने की लालसा पैदा हुई होगी, पर अभी तक मनुष्य उस उच्छ्वास को पूर्ण नहीं कर सका है। हाँ, यन्त्रों की सहायता से आकाशयात्रा में

उसने सफलता प्राप्त कर ली है। पुराने समय में भी वायुयानों का उभयनिता है। कहते हैं श्रीरामचन्द्र जी लड़ा से अयोध्या तक उन विमान पर बैठ कर आए थे। कालिदास ने राजा दुष्यन्त का उपर्युक्ती सहायता के लिये एक आकाशचारी यान में बैठ कर यात्रा करने का वर्णन किया है। माघ कवि ने नारद का आकाश-मार्ग से आना लिखा है पहले इन व्रातों पर लोग विरवास नहीं करते थे पर श्व ने ये हमारी आंखों के सामने आ रही हैं।

आजकल च्याह-शादी के समय छोटे २ गुब्बारां में एक बत्ती जला कर उन्हे आकाश में उड़ा देते हैं। सब ने देखा होगा कि ये गुब्बारे वायु में दूर तक उड़ते फिरते हैं। इसका कारण यह है कि दीपक की गरमी से गुब्बारे के भीतर की वायु हल्की हो जाती है और वह ऊपर को उठती है। अपने बेग से वह गुब्बारे को भी ले उड़ती है। उस बही नियम हवाई जहाजों के निर्माण में काम करता है। ऊपर को बही चल्तु उड़ सकती है जो वायु से हल्की होगी।

सन् १७७६ई० में व्हैक महाशय ने इस बात का पता चलाया कि हाइड्रोजन नाम की गैस वायु से हल्की होती है। आजकल बाजारों में हाइड्रोजन गैस से भरे हुए फलूस वा बैलून मिलते हैं। वच्चे इन्हें लेकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें धागे से धांध कर वे सूर्य उड़ाते हैं। इसी आधार पर चमड़े के बैलून बना कर उनमें हाइड्रोजन भर कर उनकी सहायता से लोग आकाश की सैर किया करने भी। पर इनमें एक बड़ा दोष यह था कि वायु के अनुसार उड़ने थे। वायु जिधर चाहती, उन्हें उड़ा ले जाती थी। कभी कभी उड़ने वाले पढाड़ों, कौटों या नदियों तथा समुद्र में भी गिर पड़ते थे। मनुष्य का इनकी गति पर

कोई नियन्त्रण न था, न मनुष्य इनके द्वारा किसी अभिलाषित स्थान पर पहुँच सकता था।

‘इस त्रुटि को पूर्ण करने के लिये जर्मनी के ‘काउंट जैपलिन’ महाराज ने इन बैलूनों में एक विशेष सुधार किया। उसने इन गुब्बारों के नीचे एक ऐसा चंत्र लगाया जिसकी सहायता से इनको मनमाने ढंग से घुमाया-फिराया जा सकता था। जैपलिन ने अपने बैलून का ऊपरी भाग पतले टीन (एलनीनियम) का बनाया। उसमें गैस से भरे हुए कई गुब्बारे रखे, जिससे एकाध के फटने पर भी वह नीचे न आ गिरे। निचले हिस्से में गति का नियन्त्रण करने के लिये एक छोटा सा चंत्र लगा दिया। यह आविष्कर्ता के नाम पर ‘जैपलिन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पर ४० के लगभग मनुष्य बैठ सकते हैं।

जैपलिन से यद्यपि मनुष्य मनचाहे स्थान पर जा सकता था, तथापि इसकी गति बहुत मन्द थी। दूसरे इसके फट जाने का बड़ा डर रहता था। वैज्ञानिक इसमें और सुधार करने में तत्पर रहे। वे चाहते थे कि हाइड्रोजन गैस के बिना ऐसा वायुयान बने जो चंत्रों की सहायता से उड़ता फिरे। इस उद्योग में वीतियों वैज्ञानिकों के प्राणों की आहुति हुई। कई परीक्षण किये गये जिनमें कई सफल और कई असफल रहे। पर वैज्ञानिकों ने निरन्तर परिश्रम जारी रखा।

अन्त में ओरविल राइट और विलवर राइट के नाम के दो भाइयों ने इसमें सफलता प्राप्त की। सन् १९०५ में ये दोनों २४ मील तक उड़ने में समर्थ हुए। १९०६ में इन्होंने एक ऐसा वायुयान बनाया जिसमें इन्होंने स्वयं ५६ मील की यात्रा की।

अब तो हवाई जहाजों में और भी सुधार हो गये हैं और अभी और सुधार होने की आशा है। आजकल ऐसे हवाई जहाज भी बन

गये हैं जिनके नीचे नावें लगी रहती हैं। नावों के कारण ये किसी चौड़ी नदी या समुद्र में उतर सकते हैं और वहाँ से फिर उड़ जाते हैं। वायुयानों की रफतार में भी अब पर्याप्त वृद्धि हो गई है ४०० मील प्रति घटा की रफतारवाले वायुयान भी बन चुके हैं।

एक और प्रकार के वायुयानों के निर्माण के परीक्षण हो रहे हैं। इन्हें रौकेट् शिप् कहते हैं। साधारण वायुयान को ऊपर उड़ने में बहुत देर लगती है। रौकेट् शिप् आतिशवाजी के समान सीधा उड़ा करेंगे। यदि ये परीक्षण सफल हो गये तो घन्वर्ड से लंदन पहुँचने में केवल दो घण्टे लगा करेंगे।

यात्रा और डाक के ले जाने के अतिरिक्त हवाई जहाजों का अधिकतर प्रयोग युद्ध के लिये किया जा रहा है। लड़ाई में चार प्रकार के वायुयान काम में आते हैं। कुछ तो वम गिराते हैं। इन्हें 'ब०००' कहते हैं। कुछ लड़ाई करते हैं इन्हें 'फाइटर' कहते हैं। इनमें तोपें लगी रहती हैं। कुछ शत्रु की गति-विधि का पता लाते हैं। इन फोटो लेने के यत्र लगे होते हैं जिनसे शत्रु की सेना के पूरे चित्र जाते हैं। चाँथे सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं।

### शब्द-सम्पन्नी आविष्कार

**तार—** सन् १९५३ ई० में स्काटलैड के एक वैज्ञानिक ने एक लेख में यह सिद्ध किया कि विजली की सहायता से शब्द को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया जा सकता है। इस लेख से यह वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्पित हुआ और वे इस कार्य में जुट गये।

चाद में इंग्निस्टान के सर फ्रांसिस रोनाल्ड ने इस विषय के बहुत परीक्षण करके शब्द को धातु की तार के द्वारा द भीन तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की। फिर सर चार्ल्स हिंट्सन और विनियम

कुक की सहायता से रोनाल्ड ने तार के आविष्कार को पूर्ण किया। लंदन में सब से पहला तार सन् १८३८ ई० में लगा।

पर आजकल जिस पद्धति से तार द्वारा सबरें भेजी जाती हैं उसके आविष्कार का श्रेय अमरीका के मोर्से महाशय को है। उसने मन् १८३७ में अमेरिका तार के आविष्कार की रजिस्टरी कराई थी। अमरीका में सर्वप्रथम तार सन् १८४४ में लगा। इसके पश्चात् सर्वत्र मोर्स की रीति से ही तारों का प्रचार हो गया। अब तो सारे देशों में इसका प्रचार है। इसके द्वारा जणों में समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। अखबारों का तो यह प्राणभूत है।

इसमें अक्षरों की ध्वनियां के डिग्गित नियत किये गये हैं। जैसे 'अ' के लिये गरगटु, 'व' के लिये 'गटु गरगर', 'स' के लिये गटुगर गटुगर इत्यादि। इन्हीं ध्वनियों के सहारे लिखने वाला उनको लिखता जाता है।

**टैलीफोन**—टैलीफोन का आविष्कार तार से भी अधिक महत्व का है। इसमें तार के समान ध्वनिया के डिग्गित नहीं होते, अपितु इस के द्वारा हम अपने मित्र के साथ अपनी भाषा में वार्तालाप कर सकते हैं। टैलीफोन पर बात करने के लिये कुछ मीम्बने-समम्बने की आवश्यकता नहीं। टैलीफोन में दो चोंगे-होने हैं। एक को कान से लगा कर दूसरों मुख के सामने रखा जाता है। वह एक भूमय में ही हम अपने मित्र की बात मुनते भी हैं और अपनी उससे कहते भी हैं।

टैलीफोन का आविष्कार अनेकैलद्वार प्रादम पोल महाशय ने किया था। हम आविष्कार की कथा बड़ी विचित्र है। प्रादम का एक मित्र था। उसका नाम था वाटसन। दोनों मित्र अन्तग २ वर्षों में

रहते थे। दोनों ने अपने घरों में तार लगवाए हुए थे। फुरसत के समझ वैदेहों दोनों आपस में तार के द्वारा संकेत किया करते थे। एक बार वाटसन के स्प्रिंग में कुछ गड़वड़ी हो गई। वहुत यत्न करने पर भी उसके समझ में कुछ न आया। उसे स्प्रिंग पर बड़ा गुस्सा आया। एक हथौड़ा लेकर वह स्प्रिंग पर दनादन चोट करने लगा। इधर ग्राहम को अपने कमरे में ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उसके स्प्रिंग पर हथौड़ा मार रहा है। फट अन्दर जा कर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, हथौड़े का शब्द साफ सुनाई दे रहा था। वहाँ से वह फट वाटसन के घर में गया। वहाँ देखा कि वाटसन हथौड़े से स्प्रिंग को पीट रहा था। वस ग्राहम को सारी बात समझ में आ गई। जब हथौड़े की चोट तार द्वारा पहुंच सकती है तो मनुष्य की घोली भी पहुंचनी चाहिये। इससे दोनों मित्र टैलीफोन के आविष्कार में लग गये।

जिस दिन ग्राहम अमरीका के पेटेंट ऑफिस में अपने आविष्कार को रजिस्ट्री कराने के लिये गया, उसी दिन उससे कुछ ही मिनट बाद 'ओ' नामक एक और व्यक्ति भी वहाँ पहुंचा, उसने भी टैलीफोन का आविष्कार किया था और वह भी रजिस्ट्री कराने ही गया था। परं चूंकि ग्राहम पहले पहुंचा था इसलिये ग्राहम ही टैलीफोन का आविष्कारक माना गया।

**वेतार का तार और रेडियो—**तार और टैलीफोन में एक बड़ा फ़ंसट है। उनके लिये तारों और खम्भों की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ सभी नहीं, वहाँ तार और टैलीफोन काम नहीं दे सकते। यह कठिनाई समुद्र पर चलने वाले जहाजों को सब से अधिक अनुभव होती थी। जब भी कोई जहाज् छूटने लगता था या ढूढ़ जाता था तो उसकी सूचना किसी को न दी जा सकती थी। लाखों मनुष्यों के प्राण

विना सूचना और विना सहायता के ही चले जाते थे। इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही वेतार के तार का आविष्कार हुआ।

इसका श्रेय इटली के मार्किन नामक वैज्ञानिक को है। उसने १९०७ में यह आविष्कार किया था। गौरव की बात है कि मार्किन से बहुत पहले भारतीय विद्वान् सर जगदीशचन्द्र बोस ने यह परिज्ञान प्राप्त कर लिया था, पर संसार में नाम 'पहले बनाने वाले का नहीं होता, पहले प्रकाशित करने वाले का होता है।' मार्किन ने इसे पहले प्रकाशित कर दिया। इससे वही अब इसका आविष्कारक माना जाता है।

वेतार के तार भेजने का सिद्धान्त यह है। वायु में ईंधर नाम का एक पदार्थ है जो वायु से भी अधिक पतला है। जिस प्रकार पानी के तालाब में ढेला फैकरने से छोटी छोटी तरङ्गे उठ कर चारों ओर फैलती जाती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं, वायु में प्रकम्पन पैदा कर देता है और ईंधर की तरङ्गे भी चारों ओर फैलती चली जाती हैं। ये तरङ्गे जब हमारे कान से टकराती हैं तो, वह शब्द हमें सुनाई देता है। यदि किसी यन्त्र की सहायता से शब्द को अधिक ऊँचा कर दिया जाय और तरङ्गों को प्रहण करने के लिये साधारण कान से अधिक बलशाली यन्त्र रखा जाय तो ये तरंगे सारे संसार में सुनी जा सकती हैं। वस यही सिद्धान्त 'वेतार' की तार का रहस्य है। १९०३ में रेडियम के अविष्कार से शब्द की तरङ्गों को बढ़ाने में असीम सहायता मिलती है। इसी के नाम पर अब रेडियो प्रचलित हुए हैं।

वेतार की तार के लिये ऊँचे २ खम्भे लगाने पड़ते हैं। इनके द्वारा

भारत के प्राचीन शृणियों को शब्द की इस व्यापनशील शक्ति का पता या। गौतम ने इसे 'शब्दसन्तान' कहा है। यास्क ने भी शब्द को 'व्याप्तिमान' कहा है।

न्द ईथर में कैलाए जाते हैं और सुने जाते हैं। दिल्ली, लाहौर कलकत्ता, द्रास, कराची, इलाहाबाद आदि भारत के बड़े २ नगरो में ये बेतारीं तार के सम्मेलगे हुए हैं।

रेडियो में यह भॅम्पट भी छूट गया है। अब तो एक छोटे से यंत्र की सहायता से ही यह काम चल जाता है। प्रत्येक आदमी अपने घर में डियो लगावा सकता है। एक एक घर में दो रेडियो भी मिलते हैं। ऐसे प्रकार के रेडियो भी बन गये हैं जिन्हें ऐनक की तरह कान पर लगा कर एक ही व्यक्ति सब कुछ सुन सकता है।

**टैलिविजन**—रेडियो के द्वारा तो शब्द ही सुनाई देते हैं, अब तो (१९२५ से) ऐसे यन्त्र भी बन गए हैं जिनसे शब्द के साथ ही बोलने के साक्षात् दर्शन भी होने लगे हैं। इन्हें टैलिविजन कहते हैं। इसकी सहायता से एक स्थान पर होने वाला नाटक संसार भर में दिखाया जा सकेगा। उसके दृश्य और गाने सभी एक समय में देख और सुन सकेंगे। भारत में अभी इसका प्रचार कम है।

---

## परिशिष्ट (ख)

# साधारण परिज्ञान

### कुछ ज्ञातव्य वाते

संसार मे सब से बड़े, सब से लम्बे और सब से ऊँचे पदार्थ—	
सब से ऊँचा पर्वत	हिमालय की एवरेस्ट ( गौरीशंकर ) चोटी ( २६००२ फुट ऊँची )
सब से लम्बी नदी	अमेजन ( अमरीका ) ४००० मील )
„ बड़ी झील	कैस्पियन समुद्र ( १७०००० वर्ग मील )
„ बड़ा पुस्तकालय	विविलिओथेक नेशनल ( पैरिस )
„ „ मरुस्थल	सहरा ( अफरीका )
„ ऊँची छमारत	अंपायर स्टेट विलिडग्न ( अमरीका ) १२५० फुट ऊँची
सब से बड़ा जहाज	नारमंडी ( ८२७६६ टन )
„ „ नगर	लंदन ( ८७४७१४३ जनसंख्या )
„ ऊँची प्रतिमा ( बुर )	स्वतंत्रता की प्रतिमा ( न्यूयार्क ) १५१ फुट ऊँची
„ गहरा समुद्र	प्रशान्त महासागर ( ३५४१० फुट गहरा )
सब से लम्बा रेलवे स्टेशन	सोनपुर ( विहार )
„ बड़ा अजायबघर	ग्रिटिश म्यूज़ियम ( लंदन )
„ „ महाढीप	एशिया
„ लम्बी दीवार	चीन की दीवार ( १००० मील लम्बी २१४ ई० प० में निर्मित )
सब से लम्बी नहर	स्टालिनस् रेत सीवालिटक ( १५२ मील )
„ „ रेल की सुरंग	सिपलान ( स्थिट्जरलैंड ) १२ मील ४५८ गज लम्बी )

सब से बड़ी घण्टी

मास्को की घंटी सन् १७३३ में निर्मित २१  
फुट ऊची २१ फुट का घेरा और २००  
'टन भारी )

### संसार के कुछ प्रसिद्ध आविष्कारक

कोल्ट ( अमरीका )	रिवोल्वर ( १८५५ )
एडीसन	चलचित्र ( फिल्म ) ( १८६३ )
राहट बन्धु	पुरोप्लेन ( १८०३ )
बाट् (इंग्लिस्तान)	स्टीम हंजन ( १५६६ )
थिमोनियर ( फ्रांस )	सिलाई की मशीन ( १८३० )
मार्कोनी ( इटली )	बेतार की तार ( १८६६ )
मैट्रेम करी ( फ्रांस )	रेडियम ( १८०३ )
आई. एल. बेर्ड ( इंग्लिस्तान )	टैक्सिविजन ( १८२५ )
स्टीफनसन ( इंग्लिस्तान )	रेल का हूँजन ( १८८५ )
रोपेंट्रॉन ( जर्मनी )	एवस रे ( १८६५ )
यान लेवन हुक	चैक्टीरिया ( १८६० )
मेट्रोप्ल्यूर ( अमरीका )	लिनो टाइप ( १८८५ )
जाडे क्लिस्टर ( इंग्लिस्तान )	ऐटीसैटिक सर्जरी ( १८६७ )
लेवरन ( जर्मनी )	मलंरिया के कीटाणु ( १८८० )
हां जेनर ( जर्मनी )	चेचक का टीका ( १८६५ )
फहरनहीट	पारे का धर्मामीटर ( १७२१ )
गलेक्टिथो	दूरध्वीन
याटरमैन ( अमरीका )	कलम ( फाउटेन पैन ) ( १८६४ )
शोज्जीस्	टाइपराइटर ( १८७३ )
निकेट ( अमरीका )	सेफ्टी रेजर ( हजामत वा टैक ( फौजी घातक यान )
स्विट्टन	मशीनगन ( १८६९ )
गाटलिंग	स्टेपोस्कोप ( १८१६ )
से नेक ( फ्रांस )	

## कुछ पश्चिमों की आयु का मान

विल्ली	१०-१५ वर्ष	चूहा	२-३ वर्ष
कुत्ता	१०-१५ ,,	उल्लू	६-८ ,,"
हाथी	४०-८० ,,"	तोता	२०-२५ ,,"
लूमढ़	१०-१२ ,,"	भेड़	१०-१५ ,,"
अकरी	१२-१५ ,,"	चीता	१५-२० ,,"
हँस	२५-५० ,	कहुआ	१५० ,,"
दोडा	१५-३५ ,,"	बाघ	१०-१५ ,,"
शेर	१२-२५ ,,"		

छोटी संरया साधारण आयु प्रगट करती हैं और वड़ी संरया उनकी परमायु यताती हैं। वैज्ञानिकों का विचार है कि किसी पशु की इससे अधिक आयु का कथन कोरी गप्प है।

## त्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय

सर मनचर जी भाउनगरी	स० सकलतवाला
दादा भाई नौरो जी	लाई सिन्हा

## प्रिवि कॉसिल में भारतीय

राहट आनरेखल अमीर अली	रा. आ. सर ढी. एफ. मुह्मा (१६२०)
लाई सिन्हा	,, सर शादीलाल (१६२४)
सर वी. सी. मित्र	,, एच. एच. आगा खां (१६२४)
ए. आ., वी. एस. श्रीनिवास शास्त्री	सर तेजयहादुर सम्रू (१६२४)
(१६२१)	सर अकबर हैदरी (१६२६)

भारत के प्रसिद्ध नगरों की जनसंख्या ( १६२१ के अनुसार )

फलकत्ता (हौडा साहित)	१४८५५८२	श्रमृतसर	२६४८४
धंधई	११६१३८३	लालनऊ	२७४६५१
कराची	२६३५६९	आगरा	२२६७६५
नागपुर	२९५१६५	प्रयाग	१८३६१५
देहली	४४७४४२	यनारस	२०५२९५
मद्रास	६४७२३८	पूना	२५०१५८५
लाहौर	४२८७४७	कानपुर	२४३७५
थदमदायाद	३१३७८६		

भारत के प्रान्तों की जनसंख्या (१९३१ के अनुसार)

आन्तर्गत	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जनसंख्या
मद्रास	१४२२७७	४६७४०१०७
बंगलौर	१२३६७६	२१६३०६०९
बंगाल	७७५२१	५०११४००९
यू. पी.	१०६२४८	४८४०८७६३
पंजाब	६६२००	२३५८०८५२
बिहार	८३०५४	३७६७७५७६
सी. पी.	६६६२०	१५५०७७२६
आसाम	५५०१४	८६२२२५१
सीमाप्रान्त	१३५१८	२४२५०७६
बलोचिस्तान	५४२२८	४६३५०८
अजमेर	२७१९	५६०२६२
कुरग	१५६३	१६३३२७
देहली	५७३	६३६२४६
अरडेमन-निकोयार	३१४३	२६४६३६

भारत के प्रसिद्ध धर्मों की जनसंख्या (१९३१ के अनुसार)

हिन्दू	२३६१६५००	बौद्ध	१२७८७०००
सुसलमान	७७६७८०००	पारसी	११००००
सिक्ख	४३३६०००	ईसाई	६२६७०००
जैन	१२५२०००		

भारतीय-प्रसिद्ध भाषाओं की जनसंख्या (१९३१ के अनुसार)

हिन्दी	७६४१४७७४	सिन्धी	४००६१४७
बंगाली	५३४६८४६६	गुजराती	१०८४६६८४
मराठी	२०८६०६५८	पंजाबी	१५८३६२५४
आसामी	१६६६७५७	पश्चिमी पंजाबी	८५६६०५१
तामिल	२०४१२६५२	राजस्थानी	१६८७८८८६
तेलगू	२६३७३७२७	उडिया	१११६
मञ्चालम	८४३७६१५		

### भारत-सम्बन्धी कुछ अद्भुत वारें—

भारत की जनसंख्या संसार की जनसंख्या का पांचवा भाग है ।

जनसंख्या के अनुसार बंगाल सब से बड़ा प्रान्त है (५०११४००२)

मध्यप्रदेश मृत्युसंख्या में सब से बड़ा है । (३३-५)

आसाम में सब से कम मृत्युसंख्या है । (२३-८)

मद्रास में खियां सब प्रान्तों से अधिक है । (१००० पुरुषों के प्रति १०२ खियां हैं) ।

पंजाब में खियां सब प्रान्तों से कम हैं । (१००० पुरुषों के प्रति ८३ खियां हैं) ।

विधवाओं की संख्या सब से अधिक बंगाल में है । (१००० खियों में २२६ विधवा हैं)

अजमेर में अन्धों की संख्या सब से अधिक है । (३८३ प्रति लाख) ।

जैकवावाद में सब से अधिक (१२५°) गरमी पड़ती है ।

चिरापंजी में सब से अधिक वर्षा होती है (४६० इन्च)

भारत में केवल १० प्रतिशत के लगभग लोग शहरों में रहते हैं । १० प्रतिशत आमनिवासी हैं ।

भारत में प्रति १००० पुरुषों के ६४० खियां हैं ।

भारत की जन्म और मृत्यु संख्या का अनुपात संसार भर में सब से अधिक है ।

संसार भर में अनपदों की संख्या का  $\frac{1}{4}$  भाग केवल भारत में पाया जाता है ।

भारत में कठिनता से ८ प्रतिशत लोग शिक्षित हैं ।

१९२१ से १९३१ तक भारत में शिक्षा में केवल १ प्रतिशत की घृणा हुई है ।

संसार के प्रसिद्ध देशों की सब से बड़ी व्यवस्थापिका सभाओं  
के नाम (पालिंयामैट)

इंग्लिस्तान	पालिंयामैट	पोलैश्ड	सेजम
अमरीका	कॉन्ग्रेस	परिंया	मजलिस
चीपान	लाइट	स्विटज़रलैंड	फैडरल असेंबली
दक्षि	ग्रांड नेशनल	इटली	सैनेट
	असेंबली	स्पेन	कौटेंस
जर्मनी	रीशस्टैग	मिस्र	वरलामान

संसार के अत्यधिक वेतन पाने वाले—

अमरीका का प्रधान	२०००० पौंड प्रति वर्ष
चीपान का प्रधान मंत्री	७४८८ „
इंग्लिस्तान का प्रधान मंत्री	५००० पौंड „
” ” लार्ड चॉसलर	८००० „ „
भारत का वाह्यसराय	२५०८०० रुपये प्रति वर्ष
जर्मनी का फ्युहरर	३७८०० (र. म.) „ (इसके साथ ही ५२०००० र. म. प्रतिवर्ष उसे भजा मिलता है।)

१९३५ मे भारत मे

क्रेडिटा	पद३१ (कर्मकर १६१०६३२ व्यक्ति, दुघटनाएं १८३२७ )
गलावोई	१०६८ (आय १६१७०३४५५ रु०।
	व्यय १५६१७८८५८ रु०)
उनिसिपल कमेटियां ७६८ (आय ३८०७८८२०८ रु०।	
	व्यय ३७५६६०२९० रु०)

प्रेसारेटिव समितियां ८६१८४

आकाश यात्रा मे प्राप्त कुछ पराकाष्ठाए (रिकार्ड)

—जिनसे घटकर आभी तक कोई नहीं कर सका है।

१६३४ मे इटली के फ्रांसिस्को अजेलो ने हवाई जहाज की ४४० मील ति घटा की रफ्तार का रिकार्ड स्थिर किया है।

१९३८ में आर. ए. पुक. के एक दम-वर्षक जहाज़ ने ७१ लगातार बिना ठहरे उडने का रिकार्ड स्थिर किया है।

१९३७ में आर. ए. पुक. के जहाज़ ने १३६३७ फुट ऊंची रिकार्ड स्थापित किया है।

कुछ खियों की उडान की पराकाश्टाएं।

२४-२५ अगस्त, १९३२ को मिसेज़ अमेलिया अमरीका ने २४४७०० मील की निरन्तर यात्रा का रिकार्ड स्थिर किया है।

फ्रांस की मिलेहिव्स १९३६ में ४६६४८ फुट ऊंची उड़ी थी। एच० वौचर ( फ्रांस ) ११ अगस्त १९३४ को २७६ मील प्रति घण्टा की रफ़ से उड़ी थी।

२०-२१ मई १९३२ को मिसेज़ अमेलिया ( अमरीका ) १३ घण्टे मिनट में २०२६ मील उड़ी थी।

मिस ई० ट्रौट और मिस मे कैलिफोर्निया में १२३ घरटे लगातार आवाया में रहीं।

